खण्ड-320, अंक-4
गुरूवार, 5 चैत्र, शक संवत् 1898
(25 मार्च, 1976 ई0)

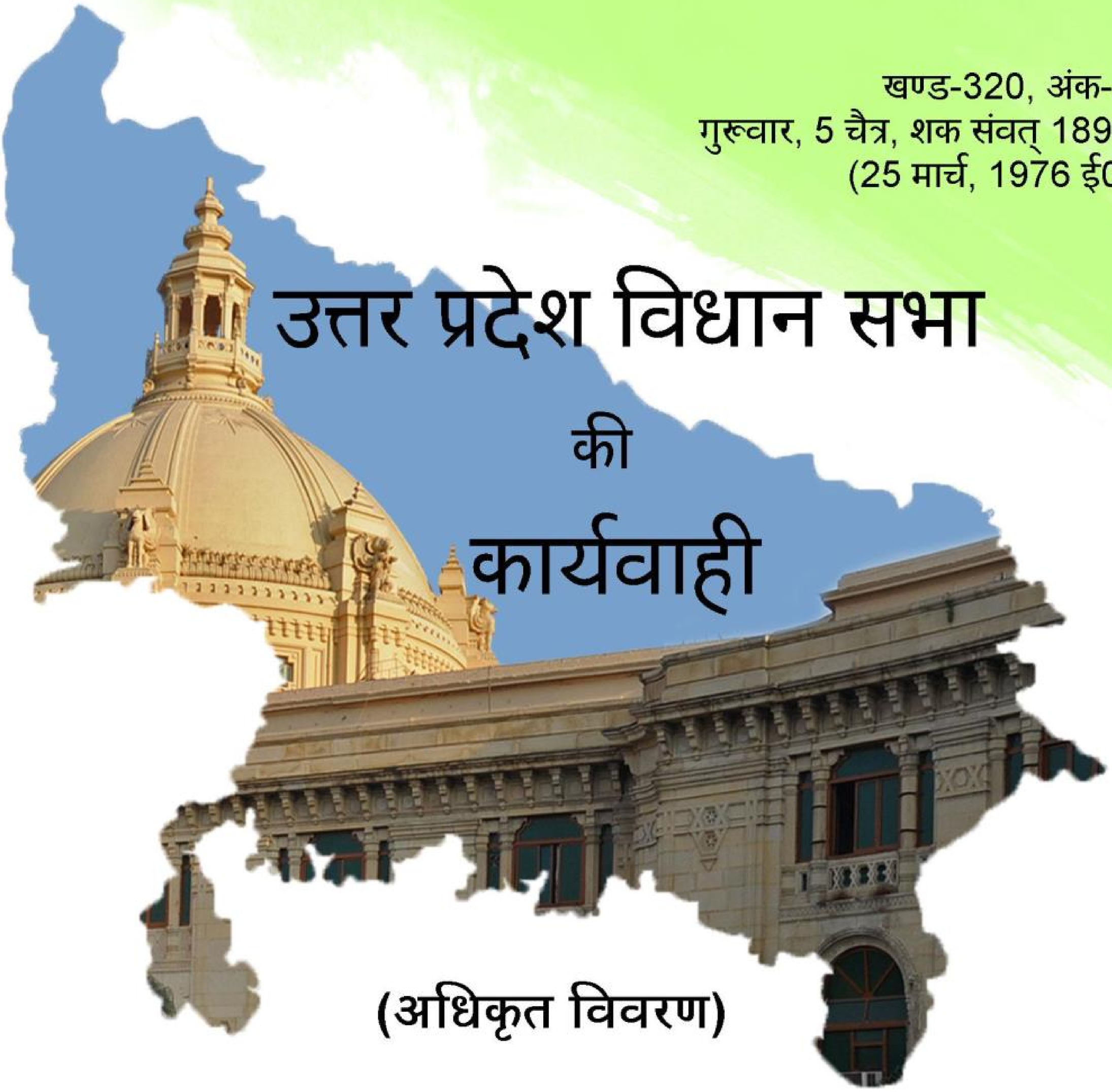

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 320 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	.. 289–292
प्रश्नोत्तर	.. 292–321
भूतपूर्व सदस्य, श्री चिरंजी लाल जाटव के निधन पर शोकोद्गार	.. 321–323
सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचनाएं ..	.. 323
उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया)	.. 323–324
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना	.. 324
नेता विरोधी दल के भाषण को समाचार पत्रों द्वारा न छापे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	.. 324–331
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	.. 332–370
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	.. 370–375
नत्थियां	.. 376–394

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 25 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बासु देव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य 309

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
आनन्द स्वरूप यादव, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का0 मु0 मुहीउद्दीन, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद लोधी, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर, श्री (ऐडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र भान आजाद, श्री

चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झिलमिट, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीप नारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री

मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
महाबीर प्रसाद श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह, श्री
मानबहादुर सिंह, एडवोकेट श्री
मिस्रयार खां, श्री
मुहम्मद असरार अहमद श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन, श्री एडवोकेट
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री

लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिव चरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल घुसिया, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोटः—विद्युत् राज्य मंत्री श्रीरमेन्द्र वर्मा, स्वायत्त शासन राज्य मंत्री श्री श्रीकृष्ण गोयल तथा ग्राम्य विकास राज्य मंत्री श्री हबीबुर्रहमान नोमानी भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 25 मार्च, 1976

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री जगदीश अवस्थी—

[1 के उत्तर में तारांकित प्रश्न संख्या 27 पर उत्तरित।]

ब्लाक पल्हनी, जिला आजमगढ़ में निजी नलकूपों को दिये गये विद्युत् कनेक्शन तथा उसमें बरती गयी अनियमितता संबंधी शिकायती-पत्र

*2—श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ के पल्हनी ब्लाक में कितने किसानों ने निजी नलकूप के कनेक्शनों के लिये पैसा सन् 1972 से अब तक जमा किया है तथा कितने को अब तक कनेक्शन दिया जा चुका है ? क्या रुपया जमा किये हुए उक्त काश्तकारों को कनेक्शन, रुपया जमा करने की तिथियों के आधार पर नहीं दिये गये है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

विद्युत् राज्य मंत्री (श्रीमती इन्द्रमोहनी)—

जनपद आजमगढ़ के पल्हनी ब्लाक में सन् 1972 से 29 फरवरी, 1976 तक 156 काश्तकारों ने निजी नलकूप के कनेक्शन के लिये पैसा जमा किया है।

156 काश्तकारों में से 154 ने बी एण्ड एल फार्म जमा किये और उनमें से 143 को कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

कनेक्शन रुपया जमा करने की तिथि के आधार पर नहीं बल्कि बी एण्ड एल फार्म जमा करने की तिथि के आधार पर ही दिया जाता है। ऐसा इसलिये किया जाता है कि यह पता लग जाय कि काश्तकार का मोटर तथा वायरिंग का कार्य पूरा हो चुका है और कनेक्शन लेने के लिये तकनीकी रूप से सक्षम है।

*3—श्री जफर आजमी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कनेक्शनों के दिये जाने में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में पल्हनी ब्लाक में नियुक्त विद्युत् कर्मचारियों के विरुद्ध इसी अवधि में शिकायतें की गई थीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

इस अवधि में कनेक्शन देने में अनियमितता बरतने के संबंध में एक जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई तथा दोषी पाये जाने पर उसकी चरित्र पंजिका में चेतावनी अंकित कर दी गई है एवं उसका स्थानान्तरण भी कर दिया गया है।

श्री जफर आजमी—

क्या माननीया मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि उस जूनियर इंजीनियर के खिलाफ क्या-क्या चार्जेज थे और उसमें किसने इन्क्वायरी की ? जांच से क्या मिला ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या बी0 एल0 फार्म जो है, उन्हीं काश्तकारों से लिया गया, जिनसे पैसा लिया गया और पैसा न दिये बगैर लोगों को नहीं दिया गया ?

विद्युत् मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

शासन के पास इस तरह की इत्तिला आयी है कि एक जूयिनर इन्जीनियर ने कुछ आउट आफ टर्न किसी व्यक्ति को कनेक्शन दे दिया था। इसलिये उसके खिलाफ कार्यवाही की गयी और उसकी चरित्र पंजिका में इन्ट्री की गयी और उसका स्थानान्तरण कर दिया गया। जिन लोगों ने बी0 एल0 फार्म भरे उन सबको पैसा लेकर किया गया, यह कहना बहुत कठिन है, क्योंकि न तो शासन के पास ऐसी इत्तला है और न यह मानकर चलना चाहिये कि सारे के सारे फार्म रुपया लेकर दिये गये।

श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

कनेक्शन देने का अधिकार इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को है तो जूनियर इन्जीनियर के विरुद्ध कार्यवाही क्यों की गयी ? एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के विरुद्ध क्यों नहीं की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कनेक्शन जरूर देता है, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर। जिस रिपोर्ट पर यह कनेक्शन दिया जाता है और वह रिपोर्ट गलत आये तो उस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया और उस पर

ऐक्शन लिया गया। अधिकारी समझते हैं कि किसकी रेस्पान्सिबिलिटी है और किसके विरुद्ध ऐक्शन लिया जाना है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, वह जो 50 के करीब जिन व्यक्तियों को कनेक्शन नहीं दिया गया है और जिनके फार्म भी जमा हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगी कि उन लोगों को कनेक्शन मिल जाये, क्या उसकी जांच भी करायेंगी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, तीन योजनायें हैं, एक सामान्य योजना जिसमें 56 व्यक्तियों ने पैसा जमा किया और उनमें से 51 व्यक्तियों को कनेक्शन दे दिये गये हैं। 5 व्यक्तियों को कनेक्शन देना शेष है। इन 5 व्यक्तियों में एक व्यक्ति ने कनेक्शन लेने से मना कर दिया है। दूसरी योजना वाणिज्य योजना है। उसके अन्तर्गत 79 व्यक्तियों ने कनेक्शन के लिये पैसा जमा किया था और 73 आदमियों को कनेक्शन दे दिया गया है। 6 व्यक्तियों को कनेक्शन देना शेष है। इन 6 व्यक्तियों में 4 व्यक्तियों ने कनेक्शन लेने से मना कर दिया है और 2 व्यक्तियों के बी0 एल0 फार्म जमा नहीं हैं। तीसरी योजना पूर्ण जमा योजना है। इस योजना के अन्तर्गत 21 व्यक्तियों ने पैसा जमा किया जिसमें 19 व्यक्तियों को कनेक्शन दे दिया गया है और 2 व्यक्यों को कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है और इतने कनेक्शन देने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री जफर आजमी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि किस काश्तकार ने कनेक्शन लेने से इन्कार किया है? क्या यह सही है कि उससे 500 रुपया मांगा गया तब उसने इन्कार किया और जो वहां पर तार और खम्भे गिराये गये उनको ले जाकर दूसरे स्थान पर गिराया गया?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसकी सत्यता की जांच मैं फिर से कराऊंगी। वह उसे लिखकर भेज देंगे, जैसा वह कह रहे हैं वह बहुत गम्भीर है तो उसे उससे ज्यादा सजा दी जायेगी।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में नल कूप और लाइट एन्ड फैन तथा इन्डस्ट्रियल कनेक्शन को देने के बारे में आपने क्या नीति अपनायी है? किस तरह से कनेक्शन देंगी? आप स्पष्ट करने की कृपा करेंगी।

श्री अध्यक्ष—

विस्तृत प्रश्न है, लेकिन अगर माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहें तो दे दें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्न तो विस्तृत है लेकिन मैं माननीय सदन के माध्यम से यह कह रही हूं कि अब हम उस क्राइसेज के पीरियड से निकल चुके हैं। इसलिये कनेक्शन देने में अब हमें कोई दिक्कत आगे नहीं है।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि वह ऐसा आदेश प्रसारित करेंगी कि जो कनेक्शन के लिए प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं, वह किसी निश्चित अवधि में दे दिए जायें?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ये आदेश कर दिए गये हैं कि जो प्रार्थना-पत्र 2 वर्ष से पड़े हुए हैं, उनको 15 दिन के अन्दर निपटाया जाय और जो नये कनेक्शन्स हैं, उनको जुलाई से आगे लिया जायगा।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

शिकायती पत्र मिलने के बाद आपने जो आदेश दिए हैं तब से कितने कनेक्शन दिए गये हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कनेक्शन्स की सूचना शासन के पास नहीं होती है। यह विद्युत् परिषद् के पास होती है।

श्री निसार अहमद अंसारी (जिला फैजाबाद)—

जब कनेक्शन की सैंक्शन होती है, तो सरकारी एस्टीमेट बनता है। उसके बाद उपभोक्ता से कहा जाता है कि वह उस एस्टीमेट की धनराशि जमा करे। वह उसे जमा कर देता है, लेकिन उसकी लाइन खींचने में देरी की जाती है। फिर बी0 एल0 फार्म जमा करने का प्रश्न उठता है। स्थिति यह है कि बी0 एल0 फार्म जमा करने में देरी होती है, ऐसी बात नहीं है, लाइन न खींच कर विद्युत् परिषद्, उपभोक्ताओं को हैरेस करते हैं और बार-बार दौड़ाते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में कोई नियम बनायेगी कि इतने दिनों में कनेक्शन अवश्य मिल जाया करे ?

श्री अध्यक्ष—

यह आप विस्तृत प्रश्न कर रहे हैं। यदि आप ऐसा प्रश्न पूछना चाहते हैं तो लिख कर दें। चूंकि बिजली का मामला बड़े महत्व का है, मैं माननीय मंत्री जी से किसी दिन बयान करा दूंगा। लेकिन इस समय ऐसा प्रश्न करके काम नहीं चलेगा।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, पल्हनी ब्लाक में ही नहीं पूरे आजमगढ़ में जहां पर विद्युत् विभाग के तीन कार्यालय हैं, वहां पर पैसा लेकर बिजली देने की प्राथमिकता को तोड़ने की हर महीने शिकायत आती हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी लखनऊ से किसी अधिकारी को भेजकर घूसखोरी आदि की शिकायतों की जांच कराने की कृपा करेंगे और दोषी व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र सजा दिलाने की कृपा करेंगीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ठीक है, मैं करा लूंगी।

पनकी पावर हाउस डिसपेन्सरी में बाहरी व्यक्ति का आपरेशन और कर्मचारियों द्वारा डाक्टरों का घेराव

*4—श्री राम नारायण पाठक (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 19 फरवरी, 75 को पनकी पावर हाउस के सरकारी चिकित्सालय में किसी बाहरी व्यक्ति का आपरेशन पैसा लेकर किया गया और पावर हाउस के कर्मचारियों के विरोध करने पर उनके विरुद्ध विभिन्न आपराधिक मुकदमें कायम किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

पनकी पावर हाउस डिसपेन्सरी सरकारी डिसपेन्सरी नहीं है परन्तु यह राज्य विद्युत् परिषद् की विभागीय डिसपेन्सरी है। 19 फरवरी, 1975 को उक्त डिसपेन्सरी के डाक्टर द्वारा एक बाहरी व्यक्ति का हाइड्रोसील का आपरेशन किया गया परन्तु उससे कोई पैसा नहीं लिया गया। आपरेशन के बाद वहां के कर्मचारियों द्वारा डाक्टर का घेराव किया गया तथा उसको गाली इत्यादि दी गई। डाक्टर पुलिस तथा मजिस्ट्रेट की सहायता से बाहर निकाला गया। डाक्टर ने इस घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी।

भगवान इन्डस्ट्रीज द्वारा क्रय किये गये चन्दौसी पावर हाउस के बन्द होने के फलस्वरूप श्रमिकों में बेरोजगारी

*5—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी) तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि चन्दौसी पावर हाउस जो भगवान इन्डस्ट्रीज को बेच दिया गया था वह दिसम्बर, 1974 से बन्द पड़ा है और मजदूरों के क्रमिक भूख हड़ताल के बाद भी उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों और सरकार क्या इसे जल्द खुलवाने व कर्मचारियों को वेतन दिलाने के लिये तत्काल हस्तक्षप करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम राज्य मंत्री (श्री रमेन्द्र वर्मा)—

भगवान इन्डस्ट्रीज ने चन्दौसी पावर हाउस को दिनांक 26-8-1974 को क्रय किया था। यह पावर हाउस 19-12-1974 से बन्द है। श्रमिकों को 19-12-1974 तक की अवधि के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। इसके आगे श्रमिकों को रोजगार देना सेवायोजकों द्वारा पावर हाउस के चलाने पर निर्भर है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या माननीय श्रम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त चन्दौसी पावर हाउस भगवान इन्डस्ट्रीज के हाथ आया उस समय कितने श्रमिक थे और उसमें से कितने स्थाई और कितने अस्थाई थे?

श्री रमेन्द्र वर्मा—

जिस समय भगवान इन्डस्ट्री ने यह पावर हाउस लिया, उस समय जो भी कर्मचारी काम कर रहे थे, वे 82 थे जिनमें से 14 को डेप्युटेशन पर उन्होंने ले लिया था विद्युत् परिषद् से।

श्री ऊदल—

जिस समय यह पावर हाउस बेचा गया क्या उस समय सरकार ने भगवान इन्डस्ट्रीज से कहा था कि जितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उन सब को काम पर रखा जायगा?

श्री रमेन्द्र वर्मा—

इस प्रकार का कोई समझौता तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से नहीं हुआ था कि जो कर्मचारी रहेंगे वे, उनके टेक-ओवर के साथ ले लिये जायेंगे क्योंकि वह इन्डस्ट्री उनके हाथ दे दी गयी।

श्री ऊदल—

जितने कर्मचारी थे, वे सब राज्य विद्युत् परिषद् के थे। तो उनको पुनः काम पर लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जो कर्मचारी राज्य विद्युत् परिषद् के थे, उनको एक-एक कर के अलग-अलग जगहों पर ऐब्जार्ब कर लिया गया है। इसलिये राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों का सवाल नहीं है। जो उन्होंने थोड़े से कर्मचारियों को 3-4 महीने के लिये रखे थे, उनका सवाल है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

यह सही है कि प्रदेश म बिजली की स्थिति काफी सुधरी है, लेकिन यह पावर हाउस इतने दिनों से बन्द पड़ा है, तो इसको खुलवाने के लिये सरकार क्या कर रही है और अगर कुछ नहीं कर रही है तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

क्योंकि यह अनएकोनामिकल था, इसलिये इसको बेचा गया था। इसकी जनरेशन की कास्ट 35 पैसे प ती है, जबकि अपने ग्रिड से जो बिजली देते हैं, वह प्रति निट 15 पैसे प ती है। इसीलिये यह दिया गया था कि दूसरे लोग शायद चला सकते थे, इस समय पावर की क्राइसिस थी। इस समय भी यह अन्डरटेकिंग थी कि जो भी 2–3 पावर हाउसेज बेचे गये थे, उस वक्त उनको दो, तीन साल से ज्यादा शायद नहीं चला सकेंगे। इसलिये हमारे चलाने का सवाल उठता नहीं है।

श्री हुकम सिंह—

आपको स्मरण होगा कि चन्दौसी पावर हाउस के बारे में पहले भी इस सदन में चर्चा हो चुकी थी। यह पावर हाउस भगवान इन्डस्ट्रीज के पास है या सरकार के पास आ गया है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से तो यह भगवान इन्डस्ट्रीज के पास ही है।

श्री हुकम सिंह—

स्थिति क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

स्थिति यही है कि अभी वह भगवान इन्डस्ट्रीज के पास है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह अनएकोनामिकल है। यह मामला पारसाल भी आया था और यह साफ तरीके से कहा था कि इसे अनएकोनामिकल दिखला कर विद्युत् परिषद् और सरकार ने भगवान इन्डस्ट्रीज के हाथ गलत तरीके से सस्ते दामों पर बेच दिया। तो क्या माननीय मंत्री जी, अलग से इसकी जांच करायेंगी कि यह गलत तरीके से बेचा गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यों सारा ही विषय सरकार के विचाराधीन है कि यह अनएकोनामिकल है, और यह कैसा है, यह जो हमारे बहुत से पावर हाउसेज पुराने हो गये है, उनके बारे में। अब जो हाइडल और न्यू पावर स्टेशन्स बन रहे हैं, यह सारे प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री हुकम सिंह—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह अभी भगवान इन्डस्ट्रीज के पास है। मेरा सवाल यह है कि इसका पैसा सरकार के पास आ गया है या नहीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सरकार को कुछ रुपया मिला था, पूरा रुपया नहीं मिला।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, आपको विदित होगा कि एक व्यक्ति करीब 20 लाख रुपये ज्यादा दे रहा था। पिछले साल आपको याद होगा कि यहां कई दिन बहस चली थी और तेरह तिकड़म कर के इस सरकार ने और विद्युत् परिषद् के अधिकारियों ने कम पैसे ले कर इसको बेच दिया। तो रुपया सब आना चाहिये, मगर सब मिला नहीं। पावर हाउस भी बन्द पड़ा है। कर्मचारी भी बेकार हैं। सरकार कहती है मामला विचाराधीन है। विचाराधीन तो चलता ही रहेगा। क्या सरकार कोई निश्चित अवधि के अन्दर इन सारी बातों पर विचार करवायेगी कि क्यों रुपया जमा नहीं हुआ, कम दामों पर क्यों बेचा गया, कौन इनके लिये दोषी हैं तथा सदन को उससे अवगत करायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सरकार इन सारी बातों की जानकारी कर रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर द्वितीय चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति

*6—श्री सलाहउद्दीन उस्मानी (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश के सभी प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों पर दो डाक्टरों की नियुक्ति करने की जो योजना बनाई थी वह समाप्त कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? इस समय प्रदेश के कितने स्वास्थ्य केन्द्रों पर दो डाक्टर कार्य कर रहे हैं ?

चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री रामायण राय)—

जी नहीं।

प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर द्वितीय चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

श्री सलाहउद्दीन उस्मानी—

इस समय प्रदेश के अन्दर कितने प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जहां पर दो डाक्टर कार्य नहीं कर रहे हैं ?

श्री रामायण राय—

श्रीमन्, नियुक्ति 437 डाक्टरों की हुई थी, मगर 315 ने ही ज्वाइन किया है, शेष ने नहीं किया। उसके कई कारण हैं। उनके लिये आदेश कर दिया है कि 31 मार्च के भीतर कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेन्टर डाक्टर से खाली न रहे।

श्री सलाहउद्दीन उस्मानी—

दो डाक्टरों की योजना कब से लागू की गयी ?

श्री रामायण राय—

1971 में।

श्री ऊदल—

क्या सरकार को पता है कि डाक्टरों के लिये रहने की व्यवस्था नहीं है, इस कारण डाक्टरों ने ज्वाइन नहीं किया है ? तो क्या सरकार उनके रहने के लिये क्वार्टर्स की व्यवस्था करवायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रभु नारायण) —

वित्तीय साधनों को देखते हुये जितना सम्भव है उसके लिये सरकार प्रयास करती है और कर रही है।

श्री देवकुमार यादव—

चूंकि गांवों में महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल नहीं हो पा रही है, इसलिये क्या यह सम्भव नहीं होगा कि दो डाक्टरों में एक डाक्टर महिला हो ?

श्री प्रभुनारायण—

ऐसी बात तो मैं नहीं मानता कि देखभाल नहीं हो रही है। हमारे यहां 875 तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, 800 के करीब आयुर्वेदिक अस्पताल हैं, एलोपैथिक हैं। जहां तक महिला डाक्टर का प्रश्न है, वह उतनी संख्या में उपलब्ध नहीं है जितनी चाहिये। महिला अस्पतालों में ही अभी उनका अभाव है, वहां के लिये भी नहीं मिल रही हैं। इसलिये यह सम्भव नहीं है।

श्री दीपनारायण पांडेय (जिला गोंडा)—

गोंडा जिले में ऐसे भी अस्पताल हैं, जहां एक भी डाक्टर नहीं हैं ?

श्री रामायण राय—

जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसा कोई अस्पताल नहीं है, जहां एक भी डाक्टर न हों। हर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पर एक तो अवश्य है। दूसरे की नियुक्ति भी की जा रही है। कुछ में ही रह गयी है।

मोदीनगर नोटीफाइड एरिया को नगरपालिका बनाने की मांग

*7—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोदीनगर नोटीफोइड एरिया को नगरपालिका बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठना।

कानपुर नगर के निराला नगर स्थित पार्क में अनधिकृत कब्जा

*8—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर के निराला नगर में इन्द्रा पार्क के लिये भूमि खंड संख्या 168 निश्चित किया गया था और उसमें बाउन्ड्री बनाई गई तथा बच्चों के खेल का सामान भी लगाया गया है किन्तु नगर महापालिका की ओर से इस इन्द्रा पार्क को सुन्दर बनाने में लापरवाही की जा रही है तथा उसके कुछ भाग पर लोगों ने अनधिकार कब्जा भी कर लिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई, नहीं तो क्यों ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

जी हां। पार्क हेतु भूमि रिजर्व की गयी थी। नाम अभी तक नहीं दिया गया है।

अभी तक बाउन्ड्री नहीं बनी है। कुछ खेल का सामान टूटी-फूटी अवस्था में लगा हुआ है।

सीमित साधनों के कारण इस पार्क को विकसित करने में अब तक नगरमहापालिका सफल नहीं हो सकी है।

कुछ लोगों ने एक मन्दिर का भी निर्माण नाजायज रूप से किया है। नाजायज कब्जों के हटाने की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

किन-किन लोगों ने नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया है और किन लोगों के खिलाफ मुकदमें अदालत में दर्ज हैं ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

एक मन्दिर ही बना है। यह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

पार्क के लिये जो भूमि रिजर्व है, उसमें बाउन्डरी कब तक बना दी जायेगी ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

जल्दी ही बना दी जायेगी।

वाराणसी जिला तथा तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत पेयजल का संकट

*9—श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील ज्ञानपुर वाराणसी, जनपद वाराणसी के ग्रामीण अंचलों में कितने ग्राम के कुओं का पानी सूख गया है व किन-किन ग्रामों में पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया सरकार इस संकट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी--

जनपद बाराणसी की तहसील ज्ञानपु तथा वाराणसी के क्रमशः 316 एवं 95 ग्राम अब तक सूखाग्रस्त घोषित किये गये है। इन ग्रामों की सूचियां संलग्न है।

इनमें से 285 ग्रामों में सिंचाई विभाग के वर्तमान नलकूपों से अस्थायी रूप से पाइप लाइन डालकर तथा 126 ग्रामों में जहां पहिले ही से सिंचाई विभाग द्वारा अवर जलाशय बनाये गये है, उसके अन्तर्गत पड़ी हुयी पाइप लाइनों की रम्मत करा कर पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. 376–381 पर।)

श्री गिरिजा शंकर पाठक--

क्या सरकार बतायेगी कि किन-किन ब्लाकों में पानी दिया जा रहा है और किनमें नहीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह सूची तो इसके साथ दी है। इसके अलावा भी हमने आदेश कर दिये हैं कि अधिकारी सतर्क रहें और जहां-जहां से जिलाधीशों से यह सूचना मिले कि कुयें सूख गये हैं, वहां पानी की व्यवस्था की जाय, जो नलकूप हैं, उनसे पाइप लाइन ले जाकर या टंकी बनवा कर। मैं यह आश्वासन देना चाहती हूं कि हमारी पूरी यह कोशिश होगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंच सके।

श्री गिरिजा शंकर पाठक--

सन् 1965 से लेकर ये गांव सूखा पीड़ित हैं और 4–4 मील जाकर लोग अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं और सस्ते रेट पर अपने पशुओं को बेच रहे हैं। जिन गांवों की सूची दी गयी है, अगर उन गांवों को पानी मिलता होगा तो मैं माननीया स्वायत्त शासन मंत्री को आश्वासन देता हूं कि मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा और अगर यह गलत हो तो क्या माननीय मंत्री जी भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। माननीया मंत्री जी गलत रिपोर्ट देकर सदन को गुमराह कर रही हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

इसमें किसी को गुमराह करने का कोई सवाल नहीं है। शासन के पास जिला स्तर पर जिलाधीश से और विभागीय अधिकारियों से सूचना मिली है और उसके ऊपर एक योजना बनायी गयी है। उसके ऊपर कार्य आरम्भ होने जा रहा है। मैंने तो यह कहा कि पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, मैंने यह नहीं कहा कि सारे गांवों को पानी दे दिया गया है। इसलिये यह सवाल नहीं उठता है कि मैं इस्तीफा दे दूं या आप इस्तीफा दें दे। सवाल यह है कि इन गांव वालों को किस तरह से पानी उपलब्ध कराया जाय। सरकार स्वयं चिन्तित है क्योंकि यह एक कठिन समस्या है जो हमारे सामने उपस्थित है। आप तो केवल प्रश्न करके ही सन्तोष कर लेंगे लेकिन जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम लोग वहां पर पीने के लिये पानी की व्यवस्था करा सकें और उसकी व्यवस्था हम करायेंगे अपने अधिकारियों के द्वारा, चाहे जिस प्रकार से भी हो।

श्री गिरिजा शंकर पाठक--

इसमें 411 गांवों को पानी देने की बात कही गयी है, केवल 4 गांव रह जाते हैं। मैंने 1975 में प्रश्न किया था और फिर भी माननीया मंत्री जी को सरकारी अधिकारियों ने अगर गलत सूचना देने का प्रयास किया है तो क्या उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अध्यक्ष जी, जो लिस्ट भेजी गयी है, इसके अलावा पार्टिकूलर कुछ गांवों के बारे में माननीय सदस्य को मालूम हो तो वे उनकी लिस्ट भेज दें, उसको भी हम शामिल कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

श्री गिरजा शंकर पाठक जी का प्रश्न यह है कि यह जो सूची जिले से आयी है और जो इत्तला आपको मिली है वही आप पढ़ रही हैं, तो वे यह चाहते हैं कि अगर यह इत्तला तथ्यहीन हो, तो उसके लिये नियम है और यदि गलत साबित हो जायगा तो इसे दंडित किया ही जायेगा । जिसने मंत्री जी को गलत सूचना दी है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अगर कुछ छूट गया है और माननीय सदस्य देंगे तो उसको भी शामिल कर लिया जायेगा । हमारे सामने तो पानी देने का सवाल है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

आमतौर से जिला स्तर से जो सूचना सरकार के पास आती है, वह सही नहीं आती, यह मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं । इसमें क्या आपत्ति है माननीय मंत्री जी को कि वे इस सूचना को फिर से चेक करा लें, जिससे मालूम हो जाय कि माननीय सदस्य जो 411 गांवों की बात, सूची वाले कहते हैं वह सही है या गलत है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैं कह रही हूं कि हमारे अधिकारियों ने जो सूची भेजी है, इसके अनुसार वहां काम चालू होने जा रहा है । काम होने दीजिये । फिर भी कोई कमी रह जाय तो उसकी सूचना दीजिये, उसको भी उसमें जोड़ लिया जायेगा । यह तो फैक्ट है कि कुवें सूख रहे हैं। बनारस इलाहाबाद के आसपास काफी कुंवें सूख रहे हैं, ज्ञानपुर, भदोही के क्षेत्र में दौरे पर जाने पर मैंने स्वयं भी देखा है कि वहां बहुत बड़ी संख्या में कुवें सूख रहे हैं, और शासन की तरफ से हमने कुछ रुपये भी दिये हैं, ताकि वहां इसके लिये तुरन्त इन्तजाम किया जा सके । तो अगर कहीं कोई गांव लिस्ट में छूट गया हो तो उसकी आप दूसरी लिस्ट दे दीजिये, शासन उसको भी शामिल कर लेगा । इसमें कोई विवाद का सवाल नहीं है, यहां तो लोंगों को राहत पहुंचाने का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष--

आपको शायद भ्रम हो रहा है । भ्रम यह है कि इसमें कहा गया है कि पेयजल की व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है और जिन जिन गांवों में पेयजल की आवश्यकता है, उनकी सूची संलग्न है, और आप शायद समझ रहे हैं कि पेयजल की व्यवस्था हो गयी है ।

श्री गिरिजा शंकर पाठक--

पानी पाइप लाइन डालकर दिया जा रहा है, टैंक द्वारा दिया जा रहा है, ऐसा बताया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रयास किया जा रहा है ।

श्री गिरिजा शंकर पाठक--

126 गांवों में दिया जा रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि किन गांवों में दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

आपको भ्रम हो रहा है । पढ़ लें ।

इनमें से 285 ग्रामों में सिंचाई विभाग के वर्तमान नलकूपों से अस्थायी रूप से पाइप लाइन डालक तथा 126 गांवों में, जहां पहिले ही से सिंचाई विभाग द्वारा अवर जलाशय बनाये गये हैं, उसके अन्तर्गत पड़ी हुयी पाइप लाइनों की मरम्मत करा कर पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे । यह है उत्तर । सभी के लिये प्रयास किया जा रहा है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीया मंत्री जी ने स्वयं जाकर देखा है, मान्यवर, यह एक साल पहले का प्रश्न है? माननीय मंत्री जी मानती हैं कि कुयें सूख गये हैं। मान्यवर, पानी की अन्न से ज्यादा जरूरत होती है चाहे आदमी हो या मवेशी हों। पाइप लाइन डालने का प्रयत्न हो रहा है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी आश्वासन क्यों नहीं देती हैं कि युद्ध स्तर पर जल्दी से जल्दी मोटी लाइन डालकर पानी का इन्तजाम करा देगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य को यह सुनने में संतोष होता है कि कार्य वार पूटिंग लेविल पर कर दिया जाय तो मैं कहने के लिये तैयार हूं कि हम तो फर्स्ट प्रायरिटी पर करने के लिये प्रयत्नशील हैं। अभी हमारी मीटिंग हुयी है और 5 तारीख को निर्णय लिया है, करीब 21 लाख रुपये की योजना बनायी है। किसी तरह टंकियां खरीद कर पानी दिया जा सके क्योंकि कुयें सूखें हैं। हमारे सामने जो यह दिक्कत आयी है, उसको हमने देखा और उसके लिये हम प्रयत्नशील हैं, और करने जा रहे हैं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को जब यह सूचना है कि कुयें वाराणसी जिले में सूख जाया करते हैं तो क्या वह कोई ऐसी व्यवस्था करेंगी कि कुओं को गहरा करा दें जिससे इस प्रकार का संकट उत्पन्न न हो। कोई स्थायी व्यवस्थ कराने की कृपा करेंगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, दोनों तरह की योजना हमारे सामने है। इमीडियेट कार्य करने की योजना है और कुओं की गहरा कराने की योजना भी है।

*10—श्री हरीश चन्द्र खंडेलवाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।

गोरखपुर जिले में पंजीकृत लघुस्तरीय औद्योगिक इकाइयों को दी गयी सहायता

*11—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित), श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित), श्री रणधीर सिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में फरवरी, 1974 के अन्त तक कितनी लघु उद्योग की इकाइयां हैं जिन्हें शासन से सहायता प्राप्त हुई है? क्या यह सच है कि बहुत सी इकाइयां केवल कागज पर कार्य रही हैं तथा इनका अस्तित्व ही नहीं है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्य करा के तथ्यों से सदन को अवगत करायेंगे?

लघु उद्योग मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)—

गोरखपुर जिले में फरवरी, 1974 तक कुल 567 लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत थीं। इनमें से केवल 71 इकाइयों को कार्यशाला निर्माण हेतु तथा 147 इकाइयों को उत्पादन हेतु कच्चे माल की सहायता दी गयी।

जिले में हुई औद्योगिक गणना के समय तथा उसके पहले और बाद में की गयी जांच के फलस्वरूप गोरखपुर जिले में कुल 199 इकाइयां ऐसी पाई गयीं जो या तो प्रस्तावित रूप में पंजीकृत थीं परन्तु अपनी इकाई स्थापित नहीं कर सकीं अथवा अपना कार्य आरम्भ करने के बाद कुछ असाध्य कारणों वश चल नहीं सकीं। इन सभी इकाइयों का पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है।

जिले में ऐसी कोई इकाई जांच के समय नहीं पाई गई जो स्थापित ही नहीं हुई थी पर उसे लगातार उत्पादन हेतु कच्चा माल दिया जाता रहा हो।

मेरठ जिलान्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को आवंटित कोयला

*12—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) (अनुपस्थि··)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ में स्थिति कितने औद्योगिक इकाइयों को वर्ष 1973–74 एवं 1975 में कितना–कितना कोयला आवंटित किया गया तथा वह औद्योगिक इकाइयां कौन–कौन सी हैं ? इन इकाइयों द्वारा प्राप्त कोयले के सदुपयोग की जांच भी की गई ? यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

चर्मकार गृह उद्योग सहकारी समिति लि० हरिपुरा, जालौन में अनियमितता एवं गबन संबंधी शिकायत

*13—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित), श्री झामलाल अहिरवार (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित) तथा श्री सोहन लाल (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या लघु उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को जिला जालौन की चर्मकार गृह उद्योग सहकारी समिति, मुहल्ला हरिपुरा, कस्बा जालौन में अनियमितता तथा गबन सम्बन्धी कोई जानकारी हाल में मिली है ? यदि हां, तो आरोप क्या है और सरकार ने उक्त समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

चर्मकार गृह उद्योग सहकारी समिति लि0 हरिपुरा जिला जालौन के संबंध में समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष से दिनांक 8–9–73 को एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी जालौन को प्राप्त हुआ था जिसमें समिति के अध्यक्ष श्री धनीराम जाटव के विरुद्ध समिति के धन के दुरुपयोग किये जाने का आरोप लगाया गया था ।

विभागीय जांच के उपरान्त यह आरोप निर्मूल सिद्ध हुए । अतः किसी कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

भदोही, वाराणसी तथा मिर्जापुर में कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

*14—श्री ऊदल—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भदोही, वाराणसी, तथा मिर्जापुर में कालीन उद्योग में ट्रेनिंग देने हेतु 30 सेन्टर खोलने की स्वीकृति भारत सरकार ने 1974–75 में दी है ? यदि हां, तो उसकी रूप –रेखा क्या है ? कहां–कहां सेन्टर खुलेगा और कितना रुपया खर्च होने की सम्भावना है ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975–76 में कालीन बुनाई के उत्तर प्रदेश में 20 तथा जम्मू काश्मीर में 10 प्रशिक्षण केन्द्र अखिल भारतीय हस्तकला परिषद् द्वारा स्थापित किए जाने हेतु 18.97 लाख रु0 स्वीकृत किया गया है । प्रशिक्षण केन्द्रों की रूप-रेखा, स्थान तथा व्यय संबंधी विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ. 382 पर)

श्री ऊदल—

मान्यवर, इसमे एक सूची संलग्न है । जैसा इसमें तमाम लोगों के बारे मे दिया है, सीनियर फील्ड आफीसर, स्टोर क पर और मान्यवर बहुत से सामानों के नाम भी दिये गये हैं । तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 1 साल की अवधि में क्या प्रगति हुयी है ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

मान्यवर, लिस्ट पढ़ी होगी इसमें हर केन्द्र पर 50 ट्रेनीज होते हैं। उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिये भवन किराये पर लिया जाता ह और उसमें इन्स्ट्रक्टर वगैरह ट्रेनिंग देने के लिये रखे जाते हैं। 5 मार्च की सूचना मैं दे रही हूं। ज्यादातर ट्रेनिंग एक साल की होती है और उनको 60 रु0 वजीफा देते हैं। पिछड़े जिलों मे कहीं-कहीं भवन की व्यवस्था नहीं हो पायी है इसलिये कुछ केन्द्र रह गये हैं जहां ट्रेनिंग नहीं शुरू हुई ह वहां हम बहुत जल्द काम करेंगे।

श्री ऊदल—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं पूछना चाहता हूं कि सेवापुरी, मिर्जापुर और राजा तालाब में केन्द्रों की स्थापना नहीं हुई है, वाराणसी में क्या इसकी जानकारी आप करायेंगे ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

मान्यवर, बनारस में 10 केन्द्र हैं। 8 में प्रशिक्षण शुरू हो गया है और 2 केन्द्र रह गये हैं।

श्री गिरिजा शंकर पाठक—

मान्यवर, जो केन्द्र खोलने का प्रश्न उठाया है तो क्या मंत्री जी बतायेंगी कि जहां कालीन बुनने वाले हैं, वहां केन्द्र खुलेंगे या जहां बुनकर नहीं है वहां ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

मान्यवर, कोशिश यह की जा रही है कि जैसे भदोही है, वहां कालीनों का सेन्टर है तो उसके आस-पास केन्द्र खोलेंगे। लेकिन मैं सदन को सूचना देती हूं कि ऐसे सेन्टर खोलेंगे और हमारे पास एक स्कीम है, जिसमें दूसरी जगहों पर भी सेन्टर लिये जायेंगे ?

श्री ऊदल—

मान्यवर, कुछ ऐसे सेन्टर हैं जहां बुनाई का काम बड़े पैमाने पर होता है। वाराणसी तहसील मे कालिकाधाम, सेवापुरी है और दादू तथा दवार आदि बुनाई के केन्द्र हैं। लेकिन अधिकारियों का ध्यान वहां नहीं गया है। क्या मंत्री जी वाराणसी तहसील के बड़ा गांव और सेवापुरी ब्लाक का सर्वेक्षण करायेंगी जहां बड़े पैमाने पर काम होता है और वहां बुनाई का केन्द्र खोलेंगी ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

जो आप कह रहे हैं, वह लिखकर भेज दें।

[गुरुवार, 25 मार्च, 1976 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

*1—श्री अठई राम—

[2रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 31 पर स्थानान्तरित।]

*2—श्री दीपनारायण पाण्डेय—

[2रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 32 पर स्थानान्तरित।]

गोंडा जिले की दीवानी कचेहरी में चपरासियों एवं लिपिकों की नियुक्तियों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की भर्ती

*3—श्री दीपनारायण पाण्डेय—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के दीवानी कचेहरी में विगत 6 माह म कितने लिपिक एवं चपरासियों की नियुक्ति की गयी तथा यह नियुक्ति किसने किया है ? क्या यह भी सही है कि कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति बगैर रोजगार दफ्तर से नाम मंगाये हुए कर दिया गया है तथा स्वतन्त्रता सेनानी के परिवार वालों को भी भरती नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है ?

न्याय मंत्री (श्री प्रभुनारायण)—

गोन्डा जजी में 1–5–75 से 31–10–75 की अवधि में जिला जज द्वारा 21 लिपिक और 18 चतुर्थ श्रेणी कमचारियों की नियुक्ति की गई। य नियुक्तियां स्थानीय सेवायोजन अधिकारी के माध्यम स प्रार्थना पत्र मंगाकर की गई तथा स्वतंत्रता सग्राम सेनानियों के केवल एक आश्रित ने लिपिक वर्ग में भर्ती क लिये प्रार्थना पत्र दिया था, जिस नियुक्त कर लिया गया। श्रेणी चार के लिये स्वतंत्रता सग्राम सेनानियों के किसी आश्रित ने प्रार्थना पत्र नहीं दिया।

श्री दीपनारायण पाण्डेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो जवाब दिया है, कि प्रार्थना पत्र मंगाकर नियुक्तियां की गयी हैं, जबकि नियम है कि कम्पलसरी सेन्ट्रल वैकेंसी नोटीफिकेशन के अन्तर्गत रोजगार दफ्तर से नाम मंगाकर वैकेन्सी भरी जाय। तो मंत्री जी क्या बतायेंगे कि नाम रोजगार दफ्तर के रजिस्ट्रेशन से मंगाये गये या नहीं?

श्री प्रभुनारायण—

मान्यवर, जहां तक लिपिक वर्ग तथा चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रश्न है तो यह सिविल कोर्ट्स मिनिस्ट्रीयल इस्टेब्लिशमेंट रूल्स 1947 और सिविल कोर्ट्स इंफीरियर इस्टेब्लिशमेंट रूल्स 1955 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। ऐसी स्थिति मे जो नाम मंगाने की प्रक्रिया है, वह पूरी की गयी है।

श्री दीपनारायण पांडेय—

यह तो मंत्री जी ने स्टेट ऐक्ट्स रूल्स बतलाये हैं। जो सेन्ट्रल ऐक्ट है और जो पूरे हिन्दुस्तान में लागू होता है उसी के अनुसार नाम मंगाकर नियुक्तियां होनी चाहिये थीं जो नहीं हुई और यह अवैधानिक रूप से हुई। यह भी रिपोर्ट गलत है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का केवल एक ही ल का था। क्या मंत्री जी इसकी पुनः जांच करायेंगे?

श्री प्रभुनारायण—

माननीय सदस्य जो यह कह रहे हैं कि कई लोगों की दरख्वास्तें थीं और केवल एक ही भर्ती हुआ तो सारी बातें लिख कर आप दे दें, इसकी पूरी जांच कराने के लिये मैं तैयार हूं।

*4—श्री राम सुन्दर पांडेय—

[2रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 33 पर स्थानान्तरित।]

*5—अठई राम—

[1ले शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 33 पर स्थानान्तरित।]

*6—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[प्रथम शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 34 पर स्थानान्तरित।]

*7—श्री बाबू लाल वर्मा—

[प्रथम सत्र 1975 के छठे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर उत्तरित।]

*8—श्री ऊदल—

[6ठे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 15 पर स्थानान्तरित।]

कानपुर जे० के० रेयान मिल में श्रमिकों की कथित छटनी

*9—श्री ऊदल—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर की रेयन मिलों (आर्टीफिशियल फाइबर) में जे0 के0 रेयन तथा दूसरी मिलों में सैकड़ों मजदूरों की छटनी हाल में करदी गयी है और काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार ने जे0 के0 रेयन को 3 लाख रुपया कोयले का बहुत बड़ा कोटा तथा पावर फुल जनरेटर भी दिया है?

श्री रमेन्द्र वर्मा—

कानपुर में आर्टिफिशियल फाइबर की एक ही मिल जे0 के0 रेयान है। उक्त प्रतिष्ठान में श्रमिकों की छटनी नहीं की गई है और न कार्य के घंटों में वृद्धि हुई है।

सरकार ने सेवायोजकों को लगभग रु0 1,04,000 मूल्य के कोयले का कोटा दिया है तथा जेनेरेटर के लिये उन्होंने रु0 1,89,273 की धनराशि सबसीडी के रूप में यू0 पी0 फाइनेन्शियल कारपोरेशन से प्राप्त किया है।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त मैंने सवाल किया था उस वक्त कितने मजदूर काम कर रहे थे और इस वक्त कितने कर रहे हैं ?

श्री रमेन्द्र वर्मा—

इस सम्बन्ध में तो आंकड़े नहीं हैं। लेकिन आज ही एक समझौता हुआ है जिसके मुताबिक अब वहां कोई विवाद नहीं है। लोग काम कर रहे हैं।

श्री ऊदल—

क्या सरकार इस बात की जानकारी करेगी कि जिस वक्त मैंने यह सवाल किया था, उस वक्त बहुत से मजदूर छांट दिये गये थे, और बहुतों को बैठा दिया गया था। इन लोगों को सेवायोजकों ने नहीं रखा है तो उनको सरकार फिर से काम दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इधर हाल में छंटनी नहीं हुई है। 1974 में करीब 72 श्रमिकों की छटनी हुई थी। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो इसको देखा जा सकता है। अभी एक समझौता हुआ है। उनसे फिर कहा जायगा कि इसको देखें।

श्री ऊदल—

मंत्री जी ने कहा कि देखा जायगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको फिर बहा करने के लिये आप आश्वासन देंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इस वक्त तो आश्वासन देना कठिन है। लेकिन सारी चीजों को दिखवा लेंगे कि कौन लोग लिये जा सकते हैं और कौन नहीं लिये जा सकते।

दि फर्रुखाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०, फतेहगढ़ को राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा दी गयी बिजली की दर

***10—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—**

क्या विद्युत् मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दि फर्रुखाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि0, फतेहगढ़ को वर्तमान समय में किस दर पर विद्युत् परिषद् द्वारा बिजली दी जाती है ? तथा किस दर पर बिजली कम्पनी उपभोक्ताओं को देती है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

दि फर्रुखाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, फतेहगढ़, को उत्त प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा दिनांक 1 दिसम्बर, 1975 को अधिगृहीत कर लिया गया है। राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा उक्त बिजली कम्पनी को 1 दिसम्बर, 1975 के पहले जिन दरों पर बल्क सप्लाई दी जाती थी तथा बिजली कम्पनी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को जिन दरों पर बिजली सप्लाई की जाती थी उनकी सूचियां संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 383 पर)

*11–12—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

(उरे बुधवा में तारांकित प्रश्न संख्या 15–16 पर स्थानान्तरित)

*13—श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

[11वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 पर स्थानान्तरित ।]

*14—श्री राम सुन्दर पांडेय—

[8वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न सख्या 2 पर स्थानान्तरित ।]

*15—श्री श्रीनारायण—

[3रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 पर स्थानान्तरित ।]

जयपुर जूट उद्योग, कानपुर की बन्दी एवं मजदूरों के वेतन का भुगतान

*16—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जयपुर जूट उद्योग, कानपुर में किन कारणों से 6 अक्तूबर, 1975 से तालाबन्दी चल रही है तथा मजदूरों के 3 महीने से वेतन न मिलने के सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कानपुर जूट उद्योग में सभी श्रमिक अक्टूबर 6, 1975 से बैठकी पर भेज दिए गए हैं। यह प्रतिष्ठान जयपुर उद्योग लिमिटेड की इकाई है और आर्थिक कठिनाई के कारण बन्द हो गया है।

प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों का माह जुलाई 1975 के द्वितीय पक्ष, अगस्त, 1975 के दोनों पक्ष तथा सितम्बर, 1975 के प्रथम पक्ष का वेतन वितरित न करने के सम्बन्ध में प्रबन्धकों के विरुद्ध वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के अधीन वाद सक्षम अधिकारी द्वारा दायर किया गया है। साथ ही साथ इस इकाई को फिर से चालू कराने के लिये शासन के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री श्रीनारायण—

मान्यवर, जयपुर जूट उद्योग जुलाई से बन्द है और उसमें काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके आश्रित हजारों लोगों को आर्थिक संकटों का सामान करना प रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जूट उद्योग जल्द से जल्द कब तक चालू हो जायेगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को जितनी चिन्ता है उतनी ही चिन्ता सरकार को भी है और हमारी पूरी कोशिश है कि यह उद्योग जल्द से जल्द चालू हो जाय। हमारे सूबे में वह अपने किस्म का उद्योग है। मैं भारत सरकार से भी इस सम्बन्ध में बातचीत कर रही हूं। या तो मिलमालिक इसक स्वयं ही जल्द से जल्द चलायें अन्यथा सरकारी स्तर पर मैं स्वयं कार्यवाही करूंगी।

*17—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[4थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 पर स्थानान्तरित ।]

कानपुर जिले की सिकन्दरा बिरिया डेरापुर विद्युत् लाइन से तारों की चोरी

*18—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

विधान सभा के दिनांक 13 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 32 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के डेरापुर विकास खंड के अन्तर्गत 11 के0 वी0 सिकन्दरा बिरिया डेरापुर विद्युत् लाइन से 13 कि0 मी0 तार की चोरी हो गयी है ? यदि हां, तो यह चोरी कब और कैसे हुयी ? इसके पता लगाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और इस तार की कीमत क्या थी ? पुनः तार लगाने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

जी हां, सिकन्दरा विरिया डेरापुर 11 के0 वी0 लाइन से कुल 20.38 कि0 मी0 तार की माह अगस्त व सितम्बर, 1974 में चोरों द्वारा तार काटकर चोरी की गई। आवश्यक जांच के लिये स्थानीय पुलिस को इस चोरी होने की सूचना दर्ज करा दी गई। इस तार की अनुमानित कीमत रु0 30,577.50 पैसे है। चोरी के भय से इस लाइन से बाकी का तार भी उतार लिया गया था और अभी तक पुनः तार नहीं लगाया गया है। इस लाइन पर कनेक्शन लेने हेतु जैसे ही पर्याप्त संख्या में उपभोक्ता उपलब्ध हो जायेंगे, पुनः तार खींच कर लाइन बना दी जायेगी।

चौधरी राम पाल सिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि यह 20 किलोमीटर बिजली का तार एक साथ ही गायब हो गया। इसकी पुलिस में रिपार्ट हुई। दो वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। यह मामला भी आश्चर्यजनक है और इसमें शंका है कि बिजली विभाग ने ही इस 20 किलो मीटर तार को लगाया ही न हो और उसको दिखा दिया और इस प्रकार से सारे का सारा घोटाला कर लिया। क्या इसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवाई जायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। एक व्यक्ति पकड़ा भी गया और उस पर न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है। पुलिस ने 2113 किलोग्राम तार बरामद भी किया जिसकी अनुमानित कीमत 18 हजार रु0 की है। यह बरामद किया हुआ तार अभी वापस नहीं मिला है। इसमें हमारे विभाग के किसी कर्मचारी के शामिल होने की सूचना नहीं है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक बार नहीं अनेकों बार चोरियां हुई हैं। यह प्रयास किया गया कि यहां पर लाइन डाली जायं लकिन यहां पर चोरियां होती रही हैं। इसलिये यह सोचा गया कि जब तक पूरी सुरक्षा की व्यवस्था न हो जाय और ज्यादा कनेक्शन लेने की बात की जाय तब लाइन बिछाई जाय वर्ना बिछाई जाय, क्योंकि ऐसा न होने पर ज्यादा नुकसान होगा।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

20 किलोमीटर की यह जो लाइन है इसका पूरा तार चोरी चला गया, केवल खम्भे खड़े हैं और यह कहा गया कि कोई उपभोक्ता नहीं मिला। जब बिजली का तार ही नहीं है तो उपभोक्ता कैसे आवेदन-पत्र देता ? क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि उनके विभाग के जो कर्मचारी हैं वे वहां उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराने के लिये क्या प्रयास कर रहे हैं और किस शर्त पर यह 20 किलोमीटर में तार फिर लगा दिये जायेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

नियमों के अनुसार तार लगाये जा सकेंगे लेकिन माननीय सदस्य मदद कर दें तो फिर से इस पर विचार कर लिया जायगा क्योंकि विद्युत् विभाग को तार खर्चने में कोई एतराज नहीं है, केवल तारों की सुरक्षा का सवाल है जिसमें जन-प्रतिनिधि तथा जनता के लोग ही सहायता कर सकते हैं।

श्री ऊदल—

क्या सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खम्भों पर लोहे के कटीले तार भी विद्युत् विभाग लगाने पर विचार कर सकता है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह भी कर देंगे। विद्युत् विभाग स्वयं यह चाहता है इस तरह की व्यवस्था हो जिससे तारों की चोरी न हो सके और जो भी सुरक्षा के अन्य उपाय हैं उन पर भी विभाग विचार करने को तैयार है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

इस 20 किलोमीटर क्षेत्र में जितने गांव हैं उनमें विभाग के अधिकारी जा कर क्या लोगों को प्रेरित करेंगे कि वे बिजली के कनेक्शन अधिक से अधिक लें ताकि तार फिर से खींचे जा सकें ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इस काम को तो माननीय सदस्य अच्छा कर सकते हैं।

*19—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

*20—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

[सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त।]

*21—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

[9वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित।]

*22—श्री दयाराम मास्कर—

[प्रथम मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 43 पर उत्तरित।]

अरोड़ा अल्यूमीनियम ऐण्ड एलाइड वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, देवरिया में कथित तालाबन्दी तथा मजदूरों की मांगें

*23—श्री श्रीनारायण—

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के अल्मूनियम ऐन्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, देवरिया में 30 अक्तूबर, 1974 से चल रही तालाबन्दी समाप्त हो गयी है ? यदि हां, तो मजदूरों की कौन-कौन सी मांगें थीं तथा उनमें कितनी मांगें मान ली गयीं तथा मिल मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमेन्द्र वर्मा—

देवरिया स्थित अरोड़ा अल्यूमीनियम ऐन्ड एलाइड वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड, देवरिया के सेवायोजकों द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 1974 से न तो कोई तालाबन्दी की गई और न चल रही है। इसलिये इसके समाप्त होने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री श्रीनारायण—

देवरिया में अरोड़ा अल्यूमीनियम इंडस्ट्री में 84 मजदूर काम करते थे। 30 अक्तूबर से तालाबन्दी करके उनको निकाल दिया गया क्योंकि वे अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद महीनों उन्होंने गेट पर धरना दिया। उनको गिरफ्तार करके दूसरे मजदूरों से इडस्ट्री चलाई गयी। तो मेरे इस कथन को सत्य मान कर और जो रिपोर्ट आई है, उसको गलत मान कर क्या माननीय मंत्री इसकी पुनः जांच करायेंगे ?

श्री रमेन्द्र वर्मा—

यह बात सही है कि एक आन्दोलन इस कारखाने में हुआ जिसमें श्रमिकों का कहना था कि हम 84 की तादाद में हैं और सेवायोजक उनकी संख्या केवल 19 बतलाते थे और रजिस्टर में भी केवल 19 मजदूरों का नाम था। यह प्रश्न लेबर इंस्पेक्टर तथा वहां के एस0 डी0 एम0 के समक्ष उपस्थित किया गया और इस मामले में यूनियन से भी काफ लम्बे अर्से तक बातचीत चली और आखिर में यूनियन के मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 20–3–75 के द्वारा यह सूचित किया कि श्रमिकों ने अपना आन्दोलन पूर्णतया समाप्त कर दिया है और तदुपरान्त 19–4–75 को श्रमिकों से समझौता सम्पन्न हुआ और उनका आन्दोलन अन्तिम रूप से निबट गया।

श्री श्रीनारायण—

मान्यवर, यह जो रिपोर्ट आई है यह गलत दी गई है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अध्यक्ष जी, जब विवाद ही नहीं है तो प्रश्न किस बात का।

श्री श्रीनारायण—

जो 84 मजदूर निकाल दिये गये हैं और 19 रख लिये गये, बाकी बेकार हैं, उनके बारे म क्या सोच रहे हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जब एक समझौता हो जाता है और विवाद समाप्त हो जाता है तो इस प्रश्न पर हम नहीं जाते ।

*24—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

[प्रथम सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 49 पर स्थानान्तरित ।]

प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युतीकृत गांव

*25—श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खंड सांगीपुर के कितने और कौन-कौन ग्रामों को अब तक बिजली पहुंचायी गयी और चालू वर्ष मे कितने ग्रामों को बिजली पहुंचाने की योजना है ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

प्रतापगढ़ जनपद के सांगीपुर विकास खंड में अब तक 21 (इक्कीस) ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जिनका पूर्ण विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

चालू वित्तीय वर्ष में प्रतापगढ़ जनपद के सांगीपुर विकास खंड के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ऋण पोषित योजनाओं के अन्तर्गत 54 (चौव्वन) ग्रामों के विद्युतीकरण का प्राविधान है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 384 पर)

श्री दीनानाथ सेवक—

मान्यवर, जो इन 54 गांवों में चालू वित्तीय वर्ष में विद्युतीकरण किया जायेगा और जो 21 गांवों की सूची दी गई है वह इन 54 जिलों में शामिल है अथवा वह अलग है ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

21 गांवों का तो हो चुका है और 53 का इस साल होगा।

*26—श्री दयाराम भास्कर—

[प्रथम शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 35 पर स्थानान्तरित ।]

एम० एस०, एम० डी० तथा अन्य पोस्ट–ग्रेजुएट कोर्सों के लिये अनुसूचित जाति के आरक्षण की मांग

*27—श्री रामपति (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एम0 बी0, बी0 एस0 की भांति एम0एस0तथा एम0डी0 कक्षाओं में भी अनुसूचित जातियों के लिये कोई आरक्षण व्यवस्था है ? यदि हां, तो कितनी प्रतिशत ? यदि नहीं, तो क्यों तथा यह व्यवस्था कब तक हो जावेगी ?

श्री प्रभु नारायण—

एम0 एस0, एम0 डी0 तथा अन्य पोस्ट–ग्रेजुएट कोर्सों में छात्रों को उनके अन्डर ग्रेजुएट कोर्स के एकेडेमिक रिकार्ड तथा इन्डियन मेडिकल कौंसिल द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर ही प्रवेश दिया जाता है। अतः आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज स्थित गैरसरकारी महिला चिकित्सालय के लिये लेडी डाक्टर की नियुक्ति की मांग

*28—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद के कमालगंज महिला चिकित्सालय में लेडी डाक्टर नहीं हैं ? यदि हां, तो कब से तथा क्यों और अब कब तक उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी ?

श्री रामायण राय—

जनपद फर्रुखाबाद के कमालगंज में शासन द्वारा कोई महिला चिकित्सालय स्वीकृत नहीं है। अतः वहां शासन द्वारा लेडी डाक्टर तैनात किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुरा, जालौन के चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध फर्जी नसबंदी केसों को प्रमाणित करने का आरोप

*29—डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन के पब्लिक हेल्थ सेन्टर, रामपुरा के डाक्टर ने फर्जी नसबन्दी के केस प्रमाणित किए जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जांच में पकड़े गए, जिसकी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आख्या शासन को भेजी है ? यदि हां, तो आख्या क्या है और शासन ने डाक्टर के विरुद्ध क्या कार्य ाही की ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुरा, जिला जालौन, के एक चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध नसबंदी के फर्जी केसों को प्रमाणित करने का आरोप है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जालौन की इस संबंध में जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है जिसमें उन्होंने कथित चिकित्सा अधिकारी को दोषी बताया है। शासन ने उक्त चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया है तथा सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के निलम्बन के आदेश शासन द्वारा प्रसारित किये जा चुके हैं।

बस्ती जिले के चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*30—श्री सोहन लाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के चिकित्सा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों में से कितनों का स्थानान्तरण जून, 1975 से 15 नवम्बर, 1975 तक अन्यत्र जनपदों में किया गया ? क्या यह भी सही है कि इन स्थानान्तरणों में उन कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया जिनकी केवल मात्र साल दो साल की सेवायें थीं ? यदि हां, तो किस आधार पर ? क्या सरकार पुराने कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

श्री प्रभु नारायण—

बस्ती जनपद के 26 कर्मचारियों का जून, 1975 से 15 नवम्बर, 1975 तक अन्य जनपदों में स्थानान्तरण किया गया है।

इनमें से 10 कर्मचारी ऐसे थे जिनकी सेवायें केवल मात्र साल दो साल की थीं। ये स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों अथवा कर्मचारियों के अनुरोध पर किये गये हैं।

पुराने कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बारे में आवश्यकतानुसार विचार किया जा सकता है।

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 28 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बस्ती जिले के चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध तथाकथित शिकायतों की जांच

*31—श्री सोहन लाल घुसिया—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संयुक्त निदेशक, गोरखपुर मन्डल चिकित्सा विभाग, गोरखपुर द्वारा जुलाई, 1975 में बस्ती जनपद में कार्यरत किन–किन कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच की गई ? क्या यह सही है कि इस सन्दर्भ में शिकायत-कर्ताओं से कोई सम्बन्ध नहीं स्थपित किया गया ? यदि हां, तों क्यों ?

श्री प्रभु नारायण—

जुलाई, 1975 में कोई जांच नहीं की गई। अतः शिकायतकर्ताओं से सम्पर्क स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

गन्नेवाली गली (गढ़ैया), लखनऊ के निवासियों द्वारा बरसाती पानी-निकासी संबंधी प्रार्थना-पत्र

*32—श्री हेमराज (जिला बरेली)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि मुख्य नगराधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ को दिनांक 29 जुलाई, 1974 28 सितम्बर, 1974 तथा 24 जनवरी, 1975 एवं 18 अगस्त, 1975 को गन्ने वाली गली, लखनऊ (गढ़ैया) के निवासियों को बरसाती पानी की निकासी न होने से हुई असुविधा आदि के सम्बन्ध में शिकायती–पत्र प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। बरसाती पानी के निकासी का सुचारु रूप से समाधान कर दिया गया है।

ग्राम समधन, फर्रुखाबाद में जच्चा–बच्चा केन्द्र की स्थापना की मांग

*33—श्री अनवार जमील—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के समधन ग्राम में जच्चा–बच्चा केन्द्र खोलने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण—

जी नहीं। क्योंकि समधन ग्राम में एक उपकेन्द्र कार्यरत है। अतः वहां पर जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने का प्रश्न नहीं उठता है।

कसया, देवरिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण की मांग

*34—श्री हरिकेवल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के महत्वपूर्ण केन्द्र पर अवस्थित कसया प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चस्तरीयकरण के क्रियान्वयन की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसके विस्तार का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ? क्या इस सम्बन्ध में किसी भूतपूर्व विधायक का 13 नवम्बर, 1975 का कोई पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ?

श्री प्रभु नारायण—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण की एक योजना तो पांचवी पंचवर्षीय आयोजना काल में सम्मिलित है, किन्तु यह निश्चितपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कसया, देवरिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण करना कब तक सम्भव होगा, चूंकि भूतपूर्व विधायक जिनका पत्र शासन को प्राप्त हुआ कहा गया है उनका नाम ज्ञात न होने के कारण सन्दर्भ का पता लगाना सम्भव नहीं है।

नक्खास बाजार, लखनऊ तथा ओल्ड पोस्ट आफिस हजरत गंज से हटाए गये व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन न होना

*35—श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव (जिला लखनऊ)—

[क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर महापालिका द्वारा नक्खास बाजार तथा ओल्ड पोस्ट आफिस, हजरतगंज बाजार में डीहाउसीज को दुकानें आवंटन न कर अन्य व्यक्तियों को ये दुकानें आबंटित करने की शिकायतें शासन को गत कुछ मासों में प्राप्त हुयी हैं ? यदि हां, तो सरकार इन अनियमितताओं को दूर करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

लखनऊ नगर में भवन-कर निर्धारण में बरती गयी कथित अनियमितताएं

*36—श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगरमहापालिका भवन-कर निर्धारण में बरती गयी अनियमितताओं के विरुद्ध शासन को शिकायतें प्राप्त हुयी हैं ? यदि हां, तो सरकार कोई रिव्यू कमेटी नियुक्त करने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। शिकायतों की जांच कराई गई किन्तु शिकायतें निराधार पाई गईं। अनियमितताओं का कोई मामला इन शिकायतों से स्पष्ट नहीं हो पाया। रिव्यू कमेटी नियुक्त करने पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।

अवक्रमित अमरोहा नगरपालिका, मुरादाबाद का चुनाव

*37—हाजी मोहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अमरोहा नगरपालिका, जिला मुरादाबाद के चुनाव के सम्बन्ध में माननीय हाई कोर्ट, इलाहाबाद ने ऐसे आदेश दिए थे कि सरकार नगरपालिका का चुनाव शीघ्र करा दे ? यदि हां, तो अब तक चुनाव न कराए जाने का क्या कारण है तथा अब कब चुनाव कराने का विचार है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं, माननीय हाई कोर्ट, इलाहाबाद ने अमरोहा नगरपालिका के अवक्रमण (Supersession) के विरुद्ध दायर की गई रिट याचिका पर दिये गये निर्णय अथवा उस निर्णय के विरुद्ध शासन द्वारा दायर की गई स्पेशल अपील पर अपने निर्णय में इस नगर पालिका के चुनाव के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिये थे।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

नगरपालिका अमरोहा, मुरादाबाद द्वारा लगाए गये नये कर

*38—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब से अमरोहा नगरपालिका में सरकारी रिसीवर नियुक्त हुआ है तब से किन किन वस्तुओं पर टैक्स एवं टौल टैक्स आदि बढ़ाया गया है और वह कितना प्रतिशत है और उसका परिणाम वहां की आमदनी पर क्या हुआ ? पिछले तीन वर्ष की आमदनी का विवरण देने की कृपा की जाय ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 385 पर)

*39—श्री दीप नारायण पाण्डेय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

*40—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[विस्तृत होने के आधार पर निरस्त ।]

निर्यात योग्य सिले-सिलाए कपड़ों की तैयारी हेतु शाहजहांपुर में लघु स्तरीय सिलाई इकाइयों की स्थापना

*41—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या (लघु उद्योग मंत्री) सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर शहर में सिले-सिलाये कपड़ों का एक्स्पोर्ट करने के मुतालिक कोई फैक्टरी सरकार शीघ्र ही लगाने वाली है ? यदि हां, तो यह फैक्टरी कब तक काम करने लगेगी और इससे कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

जी नहीं ।

परन्तु उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा शक्ति चालित करघा वित्त एवं विकास निगम, कानपुर द्वारा शाहजहांपुर में निर्यात योग्य सिले सिलाये कपड़ों की तैयारी के लिए लघु स्तरीय सिलाई इकाइयों क स्थापना करने की परियोजना बनाई गई है । इस परियोजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में लगभग 10 इकाइयां स्थापित की जायगी जिसमें लगभग 750 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। योजना लगभग 6 माह में पूर्ण होने की सम्भावना है ।

*42—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

बलिया जिले के सरकारी अस्पतालों में महिला चिकित्सकों के रिक्त पद

*43—श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में महिला चिकित्सकों की कितनी जगहें दिसम्बर, 1975 में रिक्त थीं तथा उनके लिए क्या व्यवस्था हो रही है ?

श्री प्रभु नारायण—

दिसम्बर, 75 में बलिया जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में महिला चिकित्सक के 4 पद रिक्त थे । महिला डाक्टरों की नई नियुक्तियां की जा रही है तथा तत्संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर उपर्युक्त रिक्तियों को भरने का प्रयास किया जावेगा ।

लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों में महिला डाक्टरों की रिजर्व ड्यूटी पर तैनाती

*44—श्री निर्भय नारायण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर, 1975 में लखनऊ शहर स्थित विभिन्न अस्पतालों में कितनी संख्या में महिला चिकित्सक अतिरिक्त स्थानों पर स्पेशल ड्यूटी पर कितने समय से नियुक्त हैं ? तथा इसका क्या औचित्य है?

श्री प्रभु नारायण—

लखनऊ शहर के विभिन्न अस्पतालों में दिसम्बर, 75 में निम्नलिखित 7 महिला डाक्टर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से रिजर्व ड्यूटी पर तैनात थी :—

महिला अस्पताल, लखनऊ

1—डा0 (कु0) इन्दुबाला सिन्हा, 9-9-74

2—डा0 (कु0) मृदुला रस्तोगी, 9-12-74

3—डा० (कु०) सुमन लता निगम, 30-9-74
4—डा० (श्रीमती) शीला कपूर, 22-2-74
5—डा० (कु०) अर्चना मिश्रा, 18-6-75।

सिविल अस्पताल, लखनऊ

1—डा० (श्रीमती) चंचल जेटली, 10-10-73
2—डा० (श्रीमती) सईदा खांन 22-7-74 ।

उक्त अस्पतालों में कार्य की अधिकता के कारण से महिला डाक्टरों को रिजर्व ड्यूटी पर तैनात किया गया था ।

*45—श्री रघुनाथ—

[3रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 23 पर स्थानान्तरित ।]

वाराणसी जिले के भदोही नगर में सीवर लाइन बिछाने का कार्य

*46—श्री रामरति विन्द (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद वाराणसी के भदोही नगर में सीवर लाइन बनाने का कार्य कब से शुरू किया गया है तथा कब तक बन कर पूरा हो जाएगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जनपद वाराणसी के भदोही नगर में सीवर लाइन बिछाने का कार्य मार्च, 1971 में आरम्भ किया गया था तथा इसे पूर्ण करने में लगभग एक वर्ष का समय और लगने की सम्भावना है ।

*47—श्री अब्दुल वहीद—

[3रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 34 पर स्थानान्तरित ।]

नगर क्षेत्र समिति सादाबाद, मथुरा द्वारा बकाए की वसूली

*48—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 25 फरवरी, 1975 तक नगर क्षेत्र समिति सादाबाद, जनपद मथुरा का लगभग 5 लाख रुपया बकाएदारों पर बकाया है ? यदि हां, तो यह रुपया कितने वर्षों का है और अब तक न वसूल करने का क्या कारण है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि बकाएदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सदर अस्पताल, गोरखपुर में दवाओं का कथित अभाव

*49—श्री अब्दुल रऊफ लारी —

क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि गोरखपुर सदर अस्पताल में दवाओं का पूर्णतया अभाव हो गया है और ठेकेदार का 30, 40 हजार रुपया दवाओं का बाकी है जिससे उसने औषधियों की पूर्ति बन्द कर दी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अविलम्ब कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री प्रभु नारायण—

जी नहीं, इस अस्पताल में दवाओं का अभाव नहीं है । ठेकेदार के सभी बिलों का भुगतान हो चुका है ।

किसानों तथा उद्योगपतियों पर राज्य विद्युत् परिषद् का बकाया विद्युत् शुल्क

*50—श्री भगौती प्रसाद (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्युत् विभाग की बकाया विद्युत् शुल्क की धनराशि किसानों पर कितनी है और उद्योगपतियों पर कितना ह और उसकी वसूली की सुविधा का क्रम दोनों का सामान्य ह अथवा नहीं ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम 1952 की धारा 3 की उपधारा (5) के खंड (घ) के अन्तर्गत कृषि कार्यों में उपभुक्त एनर्जी पर एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देय नहीं है। अतः किसानों द्वारा उपभुक्त एनर्जी पर एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के बकाया होने का प्रश्न नहीं उठता। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1 के खंड (ख) के अनुसार राज्य विद्युत परिषद् द्वारा सम्भरित एनर्जी पर एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि परिषद् के नियुक्त प्राधिकारी द्वारा दी जायगी। इस तरह एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की कोई धनराशि बकाये में नहीं रहती। परिषद् के नियुक्त प्राधिकारी द्वारा दी गई ड्यूटी सम्बधित उपभोक्ताओं से सीधे वसूल की जा सकती है।

2—विद्युत् जनन के अपने स्रोत से एनर्जी उपभुक्त करने वाले उद्योगपतियों पर 31 जनवरी, 1976 तक 4,56,70,147.97 रुपये की धनराशि वसूल होना बाकी है। इस धनराशि के वसूल किये जाने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है।

चूंकि कृषि कार्यों में उपभुक्त एनर्जी पर एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देय नहीं है इसलिये किसानों तथा उद्योगपतियों से वसूली की सुविधा के क्रम में समानता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

चेयरमैन नगरपालिका स्योहरा, बिजनौर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*51—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)—

क्या यह सही है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 12 दिसम्बर, 1975 को चेयरमैन, नगरपालिका स्योहारा, जिला बिजनौर के विरूद्ध लिखित शिकायत किसी विधायक द्वारा मिली है ? यदि हां, तो इस शिकायत का मजमून क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, प्रश्नकर्ता सदस्य का दिनांक 10-12-1975 का एक शिकायती पत्र मुख्य सचिव को दिनांक 12-12-1975 को प्राप्त हुआ है जिसमें चेयरमैन नगरपालिका स्योहारा के विरुद्ध शासन को पूर्व में प्रेषित कतिपय शिकायती पत्रों एवं इस सम्बन्ध में पूर्व में पूछे गये विधान सभा प्रश्नों के उत्तर, आदि का हवाला देते हुए नगरपालिका भूमि पर नाजायज़ कब्जों के सम्बन्ध में विजीलेन्स विभाग द्वारा जांच कराये जाने का सुझाव दिया गया है। माननीय सदस्य का सुझाव विचाराधीन है।

सरकारी अस्पतालों की एम्बुलेन्स गाड़ी को रात्रि में भी उपलब्ध होने की सुविधा

*52—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेन्स गाड़ी गम्भीर रोगियों को लाने हेतु रात्रि में नहीं मिल पाती है ? यदि हां, तो क्या इनकी प्राप्ति सुलभ बनाने पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण—

सरकारी अस्पतालों की एम्बुलेन्स गाड़ी रोगी लाने के लिये रात्रि में भी मिल सकती है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार गाड़ी मिलना दुर्लभ नहीं है, अतएव इसे सुलभ बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी अस्पतालों के पेइंग वार्ड में औषधि भंडार की सुविधा

*53—श्री सत्य प्रकाश—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी अस्पतालों में पेइंग वार्ड में जीवन रक्षा हेतु औषधि भंडार रहता है ? यदि नहीं,तो मरीजों को रात्रि में जब सभी जगह दवाएं मिलना बन्द हो जाती हैं तो रोगियों की रक्षा के लिये औषधि मिलने की क्या व्यवस्था है ?

श्री प्रभु नारायण—

प्रश्न का प्रथम भाग :—

जी हां।

प्रश्न का दूसरा भाग :—

प्रश्न नहीं उठता।

टाउन एरिया कमेटी सादाबाद, मथुरा का परगना मजिस्ट्रेट द्वारा निरीक्षण

*54—श्री राम प्रकाश यादव—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि क्या यह सही है कि परगना मजिस्ट्रेट सादाबाद, जिला मथुरा ने दिनांक 25 फरवरी, 1975 को टाउन एरिया कमेटी सादाबाद का निरीक्षण किया और घोर अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के अनेकों मामले पकड़े ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उचित कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। परगना मैजिस्ट्रेट, सादाबाद, जिला मथुरा ने दिनांक 25 फरवरी, 75 को टाउन एरिया कमेटी, सादाबाद का निरीक्षण किया। निरीक्षण में वित्तीय एवं अन्य अनियमितताएं पायी गयीं।

वस्तुस्थिति के सही ज्ञान के लिये उक्त टाउन एरिया कमेटी का विशेष आडिट कराने का निर्णय लिया गया। विशेष आडिट, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश संगठन के सहायक परीक्षक द्वारा जनवरी 29 तथा 30, 1976 को किया गया। उनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुयी है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

नगरपालिका, फर्रुखाबाद के कर्मचारियों के अवशेष वेतन का भुगतान

*55—श्री मान पाल सिंह, एडवोकेट (जिला एटा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि नगरपालिका फरुखाबाद के सफाई कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों का दिनांक 31 जनवरी, 1976 तक चार माह का वेतन बकाया है ? यदि हां, तो सरकार इस गम्भीर स्थिति के निवारणार्थ क्या कदम उठा रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं। नगरपालिका फर्रुखाबाद के सफाई कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों का दिनांक 31-1-76 तक केवल दो माह अर्थात् नवम्बर तथा दिसम्बर, 1975 का वेतन भुगतान करना शेष था। नगरपालिका द्वारा नवम्बर, 1975 का वेतन फरवरी, 1976 में एवं दिसम्बर, 1975 का वेतन 11 मार्च, 1976 तक भुगतान किया जा चुका है। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर नगरपालिका की ईदगाह सड़क पर बिजली लगाने और जानवरों के मजहबें बनाने की मांग

*56—श्री मोहम्मद रफी खां—

क्या यह सही है कि 1975 में स्वायत्त शासन विभाग ने शाहजहांपुर नगरपालिका के अध्यक्ष को ईदगाह वाली सड़क पर बिजली लगाने और बड़े जानवरों के मजहबे को नये सिरे

से बनवाने के लिये लिखा था ? यदि हां, तो कोई कार्यवाही न होने की क्या वजह है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। इस विषय पर श्री मुहम्मद रफी खां, सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 20–6–1975 के प्राप्ति पर नगरपालिका से जिलाधिकारी द्वारा लिखा पड़ी हुई थी। नगरपालिका वित्तीय कठिनाइयों के कारण ये दोनों कार्य सम्पन्न नहीं करा पा रही है।

गोरखपुर के ग्राम विशुनपुरा, मटियरा व गजाई कोला में सरकारी अस्पताल खोलने की मांग

*57—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र मुन्डेरा बाजार के अन्तर्गत ग्राम विशुनपुरा मटियरा प्रा0 गजाई कोला (दोनों राप्तीगोरी दोआब के गांव हैं) राजी जगदीशपुर में सरकारी अस्पताल (एलोपैथिक अथवा आयुर्वेदिक) स्थिति की महत्ता को देखते हुए खुलवाने जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण—

एलोपैथिक चिकित्सालय की कोई योजना न होने के कारण, प्रश्नगत स्थानों पर एलोपैथिक चिकित्सालय खोलना सम्भव नहीं है।

आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जा सकता है।

*58—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[3रे गुरूवार के लिये स्थगित।]

इलाहाबाद मेडिकल कालेज के होस्टल का स्वास्थ्य, राज्य मंत्री द्वारा निरीक्षण

*59—श्री मुहम्मद असरार अहमद —

क्या यह सही है कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद मेडिकल कालेज होस्टल का निरीक्षण फरवरी, 1976 के दूसरे सप्ताह में किया था ? यदि हां, तो उनको वहां क्या–क्या अनियमितताएं मिलीं और उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या–क्या आदेश दिये ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां। उन्होंने इलाहाबाद मेडिकल कालेज के होस्टल के निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाईं तथा उनके सम्बन्ध में जो आदेश दिये उनका विवरण निम्नलिखित है :—

कमियां।

1—छात्रावास में खाने के कमरे की दीवालों का पेन्ट उखड़ा हुआ था, खाने की मेज साफ नहीं थी, कुर्सियों की व्यवस्था नहीं थी और रसोई घर के सामने एवं रसोई घर के अन्दर भी सफाई नहीं थी।

2—होस्टल के गुसलखानों में ओवर हेड टैन्क से पानी नहीं आ रहा था तथा वहां के कुछ पेशाबदान टूटे हुये पाये गये हैं।

3—लड़कियों के होस्टल में उनसे मिलने वाले आगन्तुकों के बैठने के लिये कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है।

4—लड़कियों के होस्टल में कामनरूम की भी व्यवस्था नहीं है।

आदेश

1—लड़कों व लड़कियों के हॉस्टलों में खाने के कमरों में भोजन देने के लिये मेजों व बेंन्चों का प्रबन्ध करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाय।

2—लड़कों के कामन रूम में समुचित संख्या में सोफा सेट डलवाने के लिये आवश्यक कार्यवाही तुरन्त की जाय।

3—सभी गुसलखाने के सेनीटरी फिटिंग को शीघ्र ठीक करा दिया जाय।

4—लड़कियों के होस्टल में एक कामन रूम और एक आगन्तुक कक्ष शीघ्र बनवाने के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जाय।

5—यदि मालियों के कमी के कारण उद्यान के रख-रखाव में शिथिलता हो तो सरकार से और माली मांगे जायं।

6—इस कालेज में पोस्ट ग्रेजुट विद्यार्थियों के लिये एक होस्टल होना आवश्यक हैं।

अतारांकित प्रश्न

फर्रूखाबाद जिला जज की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन मुकदमें

1—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या न्याय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद की जिला जज की विभिन्न अदालतों में कितने मुकदमें निर्णय के लिये 1 जून, 1975 को पेंडिंग थे तथा सबसे पुराना मुकदमा किस सन् का है ?

श्री प्रभु नारायण—

फर्रूखाबाद जिला जजी की विभिन्न अदालतों में 1 जून, 1975 को कुल 11,359 मुकदमे विचाराधीन थे जिनमें सबसे पुराना मुकदमा सन् 1948 का है।

गोन्डा जिला जज के यहां दायर की गई सीलिंग की अपीलें

2—श्री दीप नारायण पान्डेय—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिला जज के यहां विगत एक वर्ष में कितनी सीलिंग की अपीलें दायर की गईं तथा कितनी अपीलें स्वीकृत हुयीं तथा कितनी अपीलें खारिज की गयीं ?

श्री प्रभु नारायण—

गोन्डा जिला जज के यहां 1-10-74 से 30-9-75 की एक वर्ष की अवधि में सीलिंग की कुल 576 अपीलें दायर हुईं, जिनमें से जिला जज द्वारा 98 अपीलें निरस्त, 107 अपीलें स्वीकृत तथा 47 अपीलों में निर्णय परिष्कृत किये गये और 17 अपीलें रिमान्ड की गई। जिला जज द्वारा 240 अपीलें प्रथम तथा द्वितीय अतिरिक्त जिला जज के न्यायालयों को अन्तरित की गई। अन्तरित अपीलों में अन्य अधिकारियों द्वारा 77 अपीलें निरस्त, 24 स्वीकृत तथा 3 में निर्णयों को परिष्कृत किया गया और 40 अपीलें रिमान्ड की गई।

3—श्री रामपति—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 पर स्थानान्तरित।]

4—श्री बाबू लाल वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

5—श्री ऊदल—

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 14 पर स्थानान्तरित।]

6—श्री अनवार जमील—

[2रे शुक्रवार मे अतारांकित प्रश्न संख्या 15 पर स्थानान्तरित।]

7—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 9 पर स्थानान्तरित।]

8—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 10 पर स्थानान्तरित।]

गांधी शताब्दी वर्ष में तहसील संडीला, हरदोई के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

9—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांधी शताब्दी के समारोह के उपलक्ष्य में तहसील संडीला, जिला हरदोई में किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

गांधी शताब्दी वर्ष में सन्डीला तहसील में जिन ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1—बेगम गंज
2—अशी आजमपुर
3—रसूलपुर
4—काजीपुर
5—टिकरा बरार
6—संक
7—पवायन
8—भटौली
9—रामपुर
10—मझीगंवा
11—बहादुर खुर्द ।

संडीला ब्लाक, हरदोई के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति एवं अवरोध

10—श्री काशी नाथ मेहरोत्रा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायगें कि हरदोई जिले के अन्तर्गत, संडीला के ग्रामीण क्षेत्र (संडीला ब्लाक) 1 मई, 1975 से 30 जून, 1975 तक औसतन कितने घंटे प्रतिदिन बिजली किसानों की दी गयी और विद्युत् उपलब्ध समय म औसत कितने बार बिजली फेल हुयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

(1) संडीला ब्लाक मे ग्रामीण क्षेत्रों को औसतन निम्न प्रकार बिजली मिली—

मार्च:—लगभग 5 घंटे प्रतिदिन
अप्रैल:—लगभग 6 घंटे 30 मि0 प्रतिदिन
मई:—लगभग 6 घंटे 40 मि0 प्रतिदिन
जून:—लगभग 5 घंटे 50 मि0 प्रतिदिन ।

(2) इस अवधि में औसतन बिजली अवरोध प्रतिदिन निम्न प्रकार थे :—

मार्च:—1 बार कुल 34 अवरोध,
अप्रैल:—1 बार कुल 30 अवरोध,
मई:—1 बार कुल 23 अवरोध,
जून:—1 बार कुल 27 अवरोध ।

11—श्री बाबू लाल वर्मा—
[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 पर स्थानान्तरित।]

12—श्री बाबू लाल वर्मा—
[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 15 पर स्थानान्तरित।]

13—श्री श्रीनारायण—
[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 16 पर स्थानान्तरित।]

14–15—श्री बाबू लाल वर्मा—
[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1–2 पर स्थानान्तरित।]

16–17—श्री दया राम भास्कर—
[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3–4 पर स्थानान्तरित।]

18—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा—
[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 9 पर स्थानान्तरित।]

19—श्री बाबू लाल वर्मा—
[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 5 पर स्थानान्तरित।]

20—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा—
[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 10 पर स्थानान्तरित।]

21—श्री श्रीनारायण—
[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 5 पर स्थानान्तरित।]

22—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—
[4 थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 पर स्थानान्तरित।]

भूतपूर्व सदस्य, श्री चिरंजी लाल जाटव के निधन पर शोकोद्गार

*श्रम मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे सदन को यह सूचित करते हुये दुःख है कि हमारे इस सदन के भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री चिरंजी लाल जाटव का निधन हो गया। वे इस सदन के जाने-माने पुराने साथी थे। श्री चिरंजीलाल जाटव गत 11 फरवरी को 1 बजे अपराहन में अचानक हृदयगति रुक जाने के कारण उनका देहान्त हो गया। जिस समय उनकी मृत्यु हुई वे करीब 60 वर्ष के थे। श्री चिरंजीलाल जी जाटव सबसे पहले 1952 में एटा जनपद के जलेसर निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर इस सदन में आए थे। उसके बाद वे वहीं से सन् 1957, 1962 तथा 1969 में भी चुने गये। लगभग 20 वर्षों तक इस सदन की सदस्यता करने का उन्हें गौरव प्राप्त था। अन्तिम बार—1969 में वे भारतीय क्रांति दल के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। उनका जन्म जुलाई, 1915 में एटा के जाटवपुरा मोहल्ले में हुआ था। स्वर्गीय चिरंजीलाल जी अपने क्षेत्र में अत्यन्त लोकप्रिय जनसेवक थे। उनका राजनैतिक और सामाजिक जीवन अत्यन्त लोकप्रिय था। वह मदुभाषी और सहृदय थे तथा उदारवादी भावना रखने वाले व्यक्तियों में से थे। वे हमेशा जनसेवा में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। उनका व्यक्तिगत व्यवहार भी लोगों के साथ अत्यन्त मधुर था। जो भी व्यक्ति उनके सम्पर्क में आते थे वह अत्यन्त प्रभावित होते थे। वे जिला दलितवर्ग संघ के अध्यक्ष, दलित वर्ग शिक्षा समिति के चेयरमैन, रामलीला कमेटी, एटा के सदस्य, रविदास सभा के अध्यक्ष तथा नगरपालिका, एटा के सदस्य रह चुके थे। जाटवपुरा में रविदास पुस्तकालय एवं ग्राम बनगांव में कन्या पाठशाला तथा हरिजन छात्रावास की स्थापना और संचालन का श्रेय भी आपको ही है। इस प्रकार बिभिन्न स्थितियों में रह कर उन्हें जनसेवा करने का मौका मिला जिसे उन्होंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

बहुत अच्छी तरह से निभाया। इस तरह से वह एक राजनैतिक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि समाजसेवी भी थे । उनकी सेवा के लिए लोग हमेशा उनको याद करेंगे। हम उनके निधन से अत्यन्त दुखी हैं और सदन की ओर से स्वर्गीय चिरंजी लाल जी की विधवा पत्नी, पुत्र तथा पुत्रियों तथा सन्तप्त परिवार के अन्य सदस्यों को इस सदन की सम्वेदना भेजने के लिए आपसे आग्रह करती हूं।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय बाजपेई जी ने इस विषय में जो कुछ कहा है, मैं उससे अक्षरशः सहमत हूं। वे 22 वर्ष तक लगातार इस विधान सभा के मेम्बर रहे। मैं उनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं। उनकी जनप्रियता इसी से साबित हो जाती है कि वे बराबर चुने जाते रहे और जब भी खड़े हुए तभी चुने गए। उनके निधन से एटा को काफी ठेस पहुंची है, इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि उनका जीवन लम्बा होता अगर उन्होंने अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया होता । अपने स्वास्थ्य की तरफ बावजूद मित्रों और शुभचिन्तकों के परामर्श देने के भी उन्होंने परवाह नहीं की। वैसे परवाह करते भी तो एक दिन तो सबको यहां से जाना ही है। इन शब्दों के साथ मैं विपक्ष की ओर से आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हम सब को सम्वेदना उनके परिवार को भेजने की कृपा करेंगे।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

अध्यक्ष जी, माननीया बाजपेई जी ने जो विचार स्वर्गीय जाटव जी के सम्बन्ध में व्यक्त किए उस सम्बन्ध में मैं उनसे सहमत हूं और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। स्वर्गीय चिरंजी लाल जी इस सदन के सदस्य थे। मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनके निकट सम्पर्क में रहा हूं। वे कर्मठ राजनैतिक कार्यकर्ता थे और एक उदार सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। जिस वर्ग से वह आते थे उस वर्ग को उठाने में और उनकी कठिनाइयों को दूर करने में उन्होंने जिन्दगी भर सतत प्रयास किया। जाहिर है कि उनके निधन से उस क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है । उनके निधन से हम सभी लोग दुखी हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी ओर से और हमारे दल कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उनके सन्तप्त परिवार को सम्वेदना पहुंचाने की कृपा करेंगे।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष जी, माननीया राजेन्द्र कुमारी जी ने हमारे भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय चिरंजी लाल जी के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किए मैं उससे अपने दल सोशलिस्ट पार्टी को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, पिछले दिनों मुझे श्री जाटव जी के साथ इस विधान सभा में काम करने का अवसर मिला, वह बहुत ही मिलनसार और अच्छे व्यक्ति थे। उनकी जनप्रियता का इससे अच्छा कोई और प्रमाण नहीं हो सकता है कि वह 20-22 वर्ष तक इस सदन के सदस्य रहे। उनके निधन से मुझे, मेरे दल सोशलिस्ट पार्टी को भारी दुःख है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा और मेरे दल का सम्वेदना-सन्देश उनके दुखी परिवार तक आप पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

राजेन्द्र कुमारी बाजपेई जी ने जो शोक प्रस्ताव रखा है और जो शोकोद्गार प्रकट किया है और जिसका समर्थन माननीय नेता विरोधी दल ने किया है तथा अन्य दूसरे दलों के माननीय नेताओ ने किया है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। विरोधी दल के नेता ने ठीक ही कहा है कि जो 22 वर्ष तक इस सदन का सम्मानित सदस्य रहा हो, उसमें कोई विशेषता कोई विशेष गुण अवश्य रहे होंगे। मुझे भी श्री चिरंजी लाल को सन् 1969 से जानने का और उनकी मिलनसारता को समझने का अवसर मिला था। उनके जाने से जैसा श्रीमती बाजपेई जी ने कहा है और विरोधी दल के नेता ने तथा दूसरे नेताओं ने समर्थन में अपने भावोद्गार प्रकट किए हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में रिक्तता आई है और उस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिक्तता को पूरा करना सम्भव नहीं दिखाई पड़ता है। यह जो आपके विचार हैं कि सम्वेदना सन्देश दिवंगत आत्मा के परिवार तक पहुंचा दिया जाए, तो वह मैं भेजवा दूंगा और दिवंगत आत्मा की शाश्वत शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आपसे निवेदन है कि दो मिनट मौन धारण कर उनके प्रति सब शोक प्रकट करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थानों पर मौन खड़े हुए।)

सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि श्री मूल चन्द राजपूत निर्दलीय दल से भारतीय लोक दल में पुन: प्रविष्ट हुए हैं।

दूसरी सूचना श्री अब्दुल फैज शाह, भारतीय लोक दल से निर्दल यानी निर्गुट हो गए हैं। मुझे यह कठिनाई पड़ती है कि ऐसे लोगों के निर्दलीय कहूं या निर्दल या फिर और क्या कहूं? माननीय काशीनाथ ने एक दिन इस पर कहा था। इसके लिए मैंने निश्चय किया है कि उनको निर्दल या निर्गुट कहूं। जो किसी दल के घोषणा-पत्र पर चुने गए हों, वह कैसे जनता के दिए गये बचन या घोषणा-पत्र से अलग हो सकते हैं? तो उनको हम निर्दल कहेंगे और जो चुने जायेंगे इनडिपेन्डेंट उनको निर्दलीय। (हंसी)

श्री ओम प्रकाश (जिला मुरादाबाद)—

उनके लिए निर्दलीय शब्द अच्छा रहेगा। (हंसी)।

श्री अध्यक्ष—

या इस विषय में कोई और अच्छी, उपयुक्त संज्ञा आप बतां देंगे तो मैं उससे उनको अभिहित करूंगा।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

एक वर्ग तो निर्दल कहलाएगा और दूसरा निर्दलीय यानि मतलब यह है कि पुलिंग और स्त्रीलिंग कर दिया आपने।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, पुलिंग दोनों हैं। माननीय नेता विरोधी दल को भ्रम नहीं होना चाहिए। विधि पुलिंग में स्त्री लिंग भी निहित है।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)—

मान्यवर निर्दल, दलदल से निकला या कहां से निकला?

श्री अध्यक्ष—

दल से अवश्य निकला।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, दलदल के माने क्या हैं?

श्री अध्यक्ष—

दलदल के माने कई दल हैं। तो दल दल से ही मान लूंगा। (हंसी)

उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976

वन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजीत प्रताप सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ 386–394 पर)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

(श्री श्रीनारायण के खड़े होने पर) चौधरी साहब आपके नेता विरोधी दल जो हैं, वह जानते हैं। इस पर कार्य–स्थगन नहीं होता जो आपने यह कह दिया कि गन्डक में छोटी घाघरा में बाढ़ आई तो फसल नष्ट हो गयी।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

नहीं मान्यवर, लेवी पर है।

श्री अध्यक्ष—

आप कहते हैं कि लेवी नहीं ली जाय, ली जा रही है जबरदस्ती, राज्यपाल के अभिभाषण पर यह आप कह सकते हैं।

श्री श्रीनारायण—

मान्यवर, वक्तव्य दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य के लिए तो 51 में कहें आपको बोलने का अगर अवसर मिला तो आप इस तथ्य की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करें कि कुछ किसानों को कष्ट हुआ है, तो निश्चय ही कुछ जवाब आएगा। मान लीजिए नहीं आता है जवाब तब मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं।

श्री श्रीनारायण—

मान्यवर, कई वर्ष से लोग तबाह हैं। इस वर्ष ओले पड़ गए हैं, लोग परेशान हैं। यह बहुत अहम मसला है।

श्री अध्यक्ष—

आप अपने भाषण में कह दीजिएगा।

नेता विरोधी दल के भाषण को समाचार-पत्रों द्वारा न छापे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)†

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)—

मान्यवर, मैंने कल आपका ध्यान आकृष्ट किया था कि हमारी जो प्रोसीडिंग्स नहीं छप रही हैं उसके बारे में आपने फरमाया था कि इसके बारे में आप विचार करेंगे और अपनी कुछ रूलिंग देंगे। तो कब्ल इसके कि आप अपनी कुछ रूलिंग दें, मैं कुछ और कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इधर से गर्ग जी ने सुझाव दिया कि आप सभी नेताओं को बुलाकर बातचीत कर लें, तो हमने यह समझा कि यह अच्छा, उचित सुझाव है क्योंकि आप जानते हैं विधान सभा और

†24 मार्च, 1976 की कार्यवाही से।

लोक सभा तथा राज्य सभा या आपके अधिकारों में वर्चस्व किसको है और किस-किस बातों में यह उसे प्राप्त है। व्यवस्था स्पीकर देता है ऐसी चीजों पर जो व्यवस्था के विषय हैं। व्यवस्था कोई स्पीकर कानून पर नहीं देता है। कानून की जो स्थिति है चाहे उससे आप सहमत हों या न हों। मान लीजिए पार्लियामेन्ट का कोई ऐक्ट है या कानून बना है तो क्या आप यहां पर बाध्य करेंगे कि उस पर कोई रूलिंग दे दूं। मैं अपने को विवश पाता हूं कि मैं कैसे अपनी व्यवस्था दूं देश के कानून पर। तो यह स्थिति थी। मैंने सोचा, लेकिन जब यह सुझाव आ गया कि बातचीत कर लें तो मैंने सोचा कि सबको बुलाकर कोई रास्ता निकालें अगर हम सब इस बात पर सहमत हो जायं कि हमारी कार्यवाही छपे और जो विधान सभा की गरिमा है वह अक्षुण्ण रहे तो बातचीत से कोई रास्ता निकल आएगा। कानून है तो उसके व्यवहार का प्रश्न भी आ जाता है। उसे भी देखा जा सकता है।

श्री राम मूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, अगर आप की इजाजत हो तो कुछ कहूं। एक किताब है प्रैक्टिस एन्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट, बाई कौल एन्ड शकधर इसके 912 पेज पर दिया हुआ है कि —

It is of paramount public and national importance that the proceedings of Parliament are communicated to the people who are interested in knowing what passes within its walls because on what is there said and done, the welfare of the community depends (a), The Press can discharge this function effectively only if it enjoys what is termed as freedom of the press (b)

फिर आगे और कहा है कि

That term 'freedom of speech and expression includes the liberty....

श्री अध्यक्ष—

हमारे में है The expression freedom of the press.

यह उससे कुछ भिन्न है।

श्री राम मूर्ति—

पेज 913 पर देखिए। मैं आगे पढ़ रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं पुस्तक दे दूंगा। एक शब्द लिखा है "टर्म"

The term 'freedom of speech and expression' includes the liberty to propagate not only one's views but also the right to print matters which have been barrowed from someone else or are printed under the direction of that person and also includes the liberty of publication and circulation.

मान्यवर, कितनों के अन्दर यह भावना होगी कि वह जाने कि सदन में क्या हो रहा है, प्रेस ही ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा वह इन सारी बातों को जान सकते हैं। इसमें आगे फ्रीडम औफ स्पीच और एक्सप्रेशन की व्याख्या की है। हम लोग, श्रीमन्, प्रदेश और देश के कोने-कोने से आते हैं। कितने ही लोग हैं जिनकी अलग-अलग भाषायें हैं, खान-पान अलग-अलग हैं और अलग-अलग उनके तरीके हैं। ये ही लोग अपने-अपने सदस्यों को चुन कर भेजते हैं ताकि वे उनकी बातों को यहां कहें। अगर उनकी बातों को अखबारों में नहीं छापा जाता है तो उनके यहां पर बोलने से क्या फायदा ?. कितने ही लोग यहां पर दर्शक दीर्घाओं में बैठे हुए हैं इस प्रत्याशा में कि सदस्य लोग उनकी बात यहां पर कहते हैं या नहीं या केवल यहां आकर खामोश ही बैठे रहते हैं। हम लोगो का भी एक ही साधन है सदन, जिसके द्वारा हम अपनी बात कहते हैं और वह अखबारों के माध्यम से जनता तक पहुंचती है। रेडियो तो हमारे हाथ में नहीं है। 21 साल के अन्दर देश में कितनी मुसीबतें आई, लड़ाइयां हुई, कितनी ही मुश्किलें आईं लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि अखबारों के अन्दर सरकार पक्ष या विरोध पक्ष' इनके अलावा और भी कोई पक्ष हो, जिसको अपनी बात कहने और अखबार में देने का पूरा पूरा हक न रहा हो।

[श्री राम मूर्ति]

संविधान में जो हमारे फन्डामेन्टल राइट्स दिए हुए हैं, उनको हम कभी मेट सकते हैं जिन लोगों ने संविधान बनाया है उन्हें इसका ख्याल भी नहीं था। अगर यह शुबहा भी होता जैसा कि मीसा के बारे में कहा गया है, तो उन्होंने कुछ न कुछ अवश्य लिखा होता ताकि आगे आने वाले समय में कोई किसी प्रकार की अड़चन न डाल सकें। यह एक ऐसा विषय है जिस पर चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों या उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, सभी को विचार करना चाहिए कि जो बातें वे सदन में कहें, वे अखबारों में छपे। मेरी उनसे यह भी प्रार्थना है कि वे कैबिनेट के मेम्बर्स पर और मुख्य मन्त्री पर जोर डालें और वे इस बात को प्रधान मन्त्री तक पहुंचायें कि हम लोग जो यहां पर करोड़ों रुपया खर्च करके आते हैं उनकी बातों को अखबार में जरूर छपने दिया जाय। अब तो यह होगा कि प्रोसीडिंग की किताब छप जाएगी और वह हर एम0एल0ए0 को, वह भी एक साल भर बाद, बंट जायेगी, बाहर के लोग कैसे जान सकते हैं कि वे यहां पर क्या-क्या बोले। उस लिबर्टी की रक्षा के लिए, उस आजादी के रास्ते में कोई रुकावट न आए यह आपको देखना है। और हम सब आपसे अपेक्षा करते हैं कि जितना भी प्रेशर आप सरकार पर डाल सकते हैं, डालें और कहीं हर प्रदेश के चेयरमैन और स्पीकर्स, कांफ्रेन्स में इकट्ठा होते हों पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स भी हैं और अन्य लोग भी आए हो वहां दिमाग में ये बातें बैठायें कि फ्रीडम आफ दि प्रेस अवश्य होनी चाहिए। आगे इसी पुस्तक में पृष्ठ 914 पर दिया हुआ है :

"Wilful supression of speeches of particular Members is a breach of privilege and contempt of the House and the Offendor is liable to punishment'".

मैं इस समय प्रिविलैज का सवाल नहीं उठा रहा हूं, कभी इरादा होगा तब आगे देखा जाएगा लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि श्री कौल और श्री शकधर ने अपनी सारी जिन्दगी पार्लियामेन्ट में गुजारी है। पार्लियामेन्ट के हजारों मेम्बर्स उनके सामने से गुजरे हैं, कितनी सरकारें उनके सामने तब्दील हुईं + विदेशों की सरकार भी उनके सामने से गुजरीं, उन्होंने अपने तजुर्बे का निचोड़ इस किताब में दिया है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से, चाहे वे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, इस मसले पर जो बड़ा अहम मसला है। हल्के-फुल्के ढंग से नहीं बल्कि गम्भीरता से सोचना चाहिए। सरकारें रह सकती हैं, जा सकती हैं हमारी और आपकी उम्र 10-20 साल हो सकती है, कुछ की और ज्यादा हो सकती है लेकिन जो हमारी मान्यतायें हैं अगर ये बिगड़ गयीं तो फिर हमारा विनाश हो जाएगा। उनको बचाने के लिये इस बात की जरूरत है कि हम और आप सब मिलकर बगैर इस बात का ख्याल किए हुए कि कौन किस पक्ष का है जो बड़ी से बनी अथारिटी इस मुल्क की है, उसके दिमाग पर प्रभाव डालें कि प्रेस की आजादी बन्द नहीं होना चाहिये। यह भी एक जगह कहा गया है :—

"Opposition's right is not only to criticise but even to overthrow the government."

जब डेमोक्रेसी में अपोजीशन को यह हक मिला हुआ है कि हम सरकार की पालिसीज की आलोचना करें बल्कि अगर मौका हो तो सरकार हटा दें बल्कि खुद जा कर उस जगह बैठ जायें। इन पिछले 30 साल के अन्दर आप भी जानते हैं और कितने इस सदन के मेम्बर हैं जिन्होंने ऐसा देखा कि जो चीफ मिनिस्टर थे वह अपोजीशन के मेम्बर बनकर बैठ गए। आज मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं, इनकी भी अदायें मैंने बहुत देखी हैं, काशीनाथ जी हैं, रामसुन्दर पांडेय जी हैं, सब की अदायें मैंने देखीं, जबान भी इनकी सुनी, इनका लहजा भी देखा।

श्रम मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

आज आपका लहजा हम लोग देख रहे हैं।

श्री राम मूर्ति—

तो मैं यह कह रहा हूं कि आज क्या हो गया है लोगों को ? जैसे बिल्कुल शिथिल हो गए हैं। शरीर के अन्दर जो एक फुरहरी आत्म सम्मान में आती है वह आज किसी के अन्दर आती दिखायी नहीं देती।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि हमारे मुल्क की विधान सभाओं के प्रेसाइडिंग आफिसर्स हैं उनकी 50वीं ऐनीवर्सरी हुई। उस अवसर पर एक सेविनार लोक सभा ने छापा। उसमें एक आर्टिकिल "प्रेस ऐन्ड पार्लियामेन्ट" मिस्टर बैनर्जी, जो आजकल सेक्रेटरी जनरल हैं राज्य सभा के, उन्होंने छपवाया। उसमें लिखा है :

"Socialism necessarily and inevitably leads to nationalization of certain sectors of economy but no person in a responsible position should forget that in the very interest of the welfare of the masses and the business of the nation as a whole, free enterprise should always be maintained at least in one particular business—the business of idea—the great national enterprise which includes both the press and the Parliament that produces and distributes food for the mind. The pipeline to the mind of the individual must be clear of all obstructions because such obstructions can lead to misuse of political power."

इसका मतलब यह है कि आजकल सोशलिज्म की बड़ी मान्यता मुल्क के अन्दर है उन्होंने कहा है कि सोशलिज्म के जरिए से कुछ ऐसी चीज है कि जिसको सरकार अपने कब्जे में लेती है। लेकिन वह कहते हैं कि कम से कम एक चीज का नेशनलाइजेशन नहीं करना चाहिए जब हमारे आपके सोचने-विचारने के ढंग में रुकावट डाली जाती है तब तानाशाही के लक्षण पैदा होते हैं, मिसयूज आफ पावर होने लगता है। हिन्दुस्तान के अन्दर एक शब्द है, "हिन्दू" जो आदमी वेदों के नाम नहीं जानता, गंगा को नहीं जानता, चोटी नहीं रखता, जनेऊ नहीं पहनता, भगवान को नहीं मानता, फिर भी वह हिन्दू है। सब कुछ न होते हुए भी वह इसलिए हिन्दू है कि कभी इस धर्म में कोई रुकावट उसके सोचने-विचारने में डाली नहीं गयी। जो धर्मात्मा नहीं है वह भी हिन्दू हैं। जब सोचने-विचारने के ढंग में बाधा डाली जाती है तो खुराफात पैदा होने लगती है। मैं आपसे यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप बोलने-चालने की इस आजादी में, अखबारों में छपने की आजादी में किसी प्रकार कोई खलल, कोई रुकावट न आने दें। सरकार पक्ष अपनी पूरी लायल्टी प्रधान मन्त्री जी के साथ रखें, अपनी कैबिनेट के साथ रखे, मगर इनका यह भी फर्ज है कि यह हिम्मत के साथ यह कहें कि सेन्सरशिप के जरिए समाचार पत्रों पर रोक न लगाई जाय। परमात्मा ने सब को आजाद पैदा किया है। गलत काम यदि कोई करता है तो उसकी रोक-थाम के लिए कानून बना है। और बहुत से रास्ते हैं। उनको इस्तेमाल करिए। मगर अगर हम बोल नहीं सकेंगे तो हमारे जिन्दा रहने से क्या फायदा है ? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब इस राय से इत्तफाक करें ताकि सरकारी पक्ष पर हमारी बात का असर हो। (व्यवधान)।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, यह पूरा सदन, प्रेस गैलरी तथा गवर्नर गैलरी वगैरह सब आपके अधीन है। आपके आदेश से यह यहां पर आते हैं। आपके ही नियन्त्रण में काम करते हैं। यह प्रेस वाले अगर छाप नहीं सकते तो इस प्रेस गेलरी को तथा गवर्नर गैलरी को आप कल से बन्द करवा दें। आपने फरमाया कि आप विरोधी दलों के नेताओं को तथा माननीय नेता सदन को बुलाकर परामर्श करेंगे, मगर यहां तो आपका आदेश चलेगा। सरकार का क्या वास्ता है इस सिलसिले में मैं आपके सामने बाम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग जो सेन्सरशिप के बारे में है पढ़ना चाहता हूं, यह 23 फरवरी के "पायनियर" अखबार में छपी है—हेडिंग है—

"A Nurse maid and not grave--digger of democracy."

[श्री नियाज हसन खां]

"Mr. Justice D. P. Madan and Mr. Justice M. H. Kania of the Bombay High Court had said that it is not the function of the censor acting under the censorship orders to make all newspapers and periodicals. to trim their sails to one wind or two along in a single file or to speak in chorus with one vioce." ..... "It was not for the censor to exercise the statutory power to force public opinion in a single mould or to turn the press into an instrument for brain-washing the public, Under the censorship orders the censor is appointed the nurse-maid of democracy and not its grave digger. Dissent from opinions and views held by the majority and criticism and disapproval of measures initi ted by a party in power make for a healthy climate and th is not for the censor to inject into this lifelessness of forced conformity".

"Merely because dissent, disapproval and criticism is expressed in strong language is no ground for banning its publication for hard words break the bones and there are certain words and phrases which have so long become the stock in trade of the demagogue as almost to have lost all real meaning."

यह श्रीमन्, मैंने खास-खास बातें पढ़ी हैं। आप इसे देख लें। मैं आपसे बड़े अदब से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से यह कौन सी डेमोक्रेसी है ? विरोधी दलों का भी क्या कोई रोल है अथवा नहीं ? प्रेस का कोई रोल है या नहीं ? अगर नहीं है तो मैं अनुरोध करूंगा कि प्रेस गैलरी को बन्द कर दिया जाय। यह आपके नियन्त्रण में है और आपका अधिकार है। उस अधिकार को आपको इस्तेमाल करना चाहिए।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 26 जून को इमरजेन्सी की स्थिति लागू हुई थी। उसके बाद प्रेस पर सरकार का पूरा नियन्त्रण हो गया। जनतन्त्र में समाचार-पत्रों का तथा विरोधी पक्ष का बड़ा महत्व होता है। गत 30 सालों से बराबर विधान सभा की कार्यवाहियों का प्रकाशन अखबारों में होता चला आ रहा है। विरोध पक्ष जो कुछ कहता रहा है वह अखबारों में आता रहा है। सरकार की नीतियों के बारे में हमारी क्या राय है, वह छपती रही है। उसका प्रकाशन बराबर अखबारों में होता रहा है। जनता के विचार बनते हैं लेकिन 26 जून को इस बात का बहाना लिया गया कि पूरे देश में तोड़-फोड़ की योजना है और इसलिए आवश्यक हो गया कि सेंसरशिप बैठाया जाय ताकि लोग खुले आम पब्लिक में बोल न सकें। ठीक है, अगर इस तरह का कोई खतरा देश के सामने था तो उसका उपाय होना चाहिये था। लेकिन देखने की बात यह है कि जो विधान सभा के मेम्बर हैं क्या उनको बोलने का अधिकार भी नहीं है ? विधान सभा के मेम्बर को बोलने का अधिकार तो दिया जाता है लेकिन उनके विचारों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। तब क्या होगा ?

अगर चौधरी साहब जेल में बन्द थे और जेल से छोड़ दिए गए, यह खबर अगर अखबारों में छप जाती तो इसमें कौन सी आपत्ति की बात थी ? अटल जी के बारे में अगर यह बात अखबारों में आ जाती कि वे फलां जेल में बन्द हैं या श्री जय प्रकाश जी किस जेल में बन्द हैं, तथा उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, अगर यह खबर अखबारों में छप जाती तो इसमें कौन सी आपत्ति की बात थी। लेकिन सरकार ने क्या किया ? वह इस हद तक पहुंच गयी कि कौन किस जेल में बन्द है, इसकी सूचना तक अखबारों में नहीं दी गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आखिर ये अखबार किसलिए हैं ? आपने तो इसीलिए उन लोगों को यहां बैठाया है कि वे यहां बैठें ताकि सदन की रिपोर्टिंग की जाय ? सबेरे अखबारों में यह दिखलाई पड़ता है कि श्री नारायण दत्त तिवारी ने या फलां मिनिस्टर ने हाउस में यह कमाल दिखलाया लेकिन विरोध पक्ष की कोई खबर नहीं। इसके माने यह है कि विधान सभा चल ही नहीं रही है या अगर चल रही हैं तो मालूम होता है कि विरोध पक्ष के माननीय सदस्य वहां से वाक आउट करके ही चले गए। आज यहां के अखबारों की यह हालत है। मैं तो कहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको सरकार के हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहिए। आप तो उस गरम दल के नेता हैं जिसके नेता डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे। जिस सम्मानित कुर्सी को आप सुशोभित कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप इस पूरे हाउस के मालिक हैं और इसलिए सदन आपसे इस तरह का आशा करता है कि आप हमारी सुरक्षा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह सही है, बाहर का भी मालिक बना दीजिए। (हंसी)।

श्री त्रिवेणी सहाय—

श्री काशीनाथ मिश्र चले गए। वे कभी बड़े उग्र विचार रखते थे लेकिन अब वे क्यों बोलने लगे। अगर वे कुछ बोलेंगे तो उनको डर है कि मिनिस्टरी की जो लाइन लगी हुई है उसमें से कहीं उनका नाम न कट जाय। इस आशा से ही वे नहीं बोल रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वे जनता की आवाज में बोलें। ह सही है कि संजय गांधी पैदा हो गए हैं और वे बोल रहे हैं लेकिन आप देखें कि श्री बहुगुणा जी एक तानाशाह की तरह से होते जा रहे थे वे यहां से चन्द घंटों के अन्दर ही चले गए और आज श्री बहुगुणा का एक स्टेटमेन्ट भी अखबारों में नहीं आ रहा है। मान्यवर, मुझे इसकी जानकारी है कि बहुगुणा जी का कोई भी स्टेटमेन्ट अखबारों में छपने न पाए, यह इन्सट्रक्शन गवर्नमेन्ट के चले गए हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि किसकी हिम्मत है, किसकी हिम्मत होगी जो कुछ कहें। वह जमाना चला गया जब गांधी जी और आजाद जैसे लोग हुआ करते थे। लेकिन आज बोल नहीं सकते हैं। इसलिए मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके अन्दर वह चीज अभी है। आप न्याय और अन्याय में फर्क समझते हैं। मान्यवर हमसे कहा गया कि बजट सत्र चलने वाला है, पधारिए, हम पधार गए लेकिन हुआ क्या कि खोदा पहाड़, निकली चुहिया। हमारा स्टेटमेंट छप ही नहीं सकता है। अखबार में हमारी बात आ ही नहीं सकती है। अखबार वाले भी कहते हैं कि हम क्या छापें। सेंसर है। कहते हैं कि इतना लिखो, इतना लिखो, नहीं तो प्रेस जब्त हो जाएगा। धागे से तलवार लटकी है। धागा टूटा कि तलवार चल जायगी। मान्यवर, यह स्थिति है। आज जनतन्त्र की रक्षा के लिए, मान्यवर, आप जैसे विचारक को कुछ करना चाहिए। मान्यवर, आप कुछ कर सकते ह।

श्री अध्यक्ष—

संक्षेप में कहें। वैसे तो आप यह गवर्नर के अभिभाषण पर कह सकते हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

अध्यक्ष महोदय, अनुरोध है कि क्या इस पर पूरी बहस करा रहे हैं जबकि आपने एक रूलिंग सुरक्षित रखी है। तब भी लम्बी बहस हो रही है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

श्रीमन्, बात यह है कि कर्रा कर्रा पड़ रहा है।

(सदन में व्यापक हंसी)

श्री अध्यक्ष—

कल दो सुझाव रखे गए। एक तो हम बात करें इस पर अगर प्रोसीडिंग छपवाने का कानून ऐसा होता तो बात दूसरी होती। आपकी जो कार्यवाही है यह एक तरह से आप तक महदूद है जब तक वह छपे नहीं। तो लिखित सूचना आपने कोई मुझे नहीं दिया है कि एक-एक मुद्दे पर अपनी बात कह सकूं। मैं आज की कार्यवाही और कल की कार्यवाही निकलवाऊंगा और देखूंगा कि इसमें आप क्या उपयुक्त बातें चाहते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के जज का जिसका हवाला अभी दिया गया कि उन्होंने एक रूलिंग दी है तो मैं कहूंगा कि हाईकोर्ट के जज को रूलिंग देने का किसी केस पर, पूरा अधिकार है। वह दे सकता है जैसी भी चाहे। अब हमको एक असुविधा में आपने रक्खा है वह असुविधा यह है कि आपने कह दिया कि हमारी जो कार्यवाही है, प्रकाशनीय नहीं है। जो प्रकाशित हो जाती है वह इन्डलजेंस आफ स्पीकर आफ द हाउस है। कार्यवाही के बारे में अगर यह न होती तो मैं सख्त कार्यवाही करता चाहे टकराव की स्थिति सेंसर में होती। केन्द्र, पार्लियामेन्ट और विधान सभा को आपने इस स्थिति में नहीं रखा कि जो कार्यवाही यहां की है उसको तुरन्त छपवाना आवश्यक है, अनिवार्यता है। अगर आज यह सदन पास कर दे कि हमारी कार्यवाही को समाचार-पत्रों, टेलीविजन और जो ब्राडकास्टिंग मशीनरी है उसके जरिए वह सीधे जनता तक जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं पसन्द करूंगा। मैंने कामनवेल्थ कन्ट्रीज के पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन के सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा था कि मैं इस राय का हूं कि हमारी कार्यवाही टेलीवाइज की जाय, ब्राडकास्ट की जाय। प्रसारण पूरा हो और रेडियो चित्र पर भी जाय, यह मेरी राय थी। लेकिन वहां मैंने कहा कि यह जो यन्त्र है यह शासनाधीन है, सरकार के नियन्त्रण में है और विरोधी पक्ष को आपत्ति होगी कि शासन अपनी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है। तो यह मशीनरी जब तक सदन और हमारे अधीन नहीं है, तब तक हम कोई कार्यवाही कैसे करें। जहां तक विचार का सम्बन्ध है मने अपने विचार बताये। जो पढ़ा गया श्री कौल और शकधर की पुस्तक से, वह अलग बात है। श्री राम मूर्ति जी ने भी कहा कि इस बात का सर्वोपरि, सार्वजनिक और राष्ट्रीय महत्व है कि संसद की कार्यवाही लोगों तक पहुंचे। आज जो यह जानने में दिलचस्पी रखते हों कि संसद में क्या हो रहा है, वहां जो बात कही और की जाती है, उस पर समाज का कल्याण निर्भर होता है। प्रेस तभी यह कार्य कर सकता है, जब उसे स्वतन्त्रता प्राप्त हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन तथ्यों के रहते हुए मैं महसूस करता हूं कि नियमानुसार लिखित एक सूचना हमको दें तभी हमारे लिए उस पर कुछ निर्णय देना सम्भव हो सकेगा।

अभी आप सामान्य चर्चा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि आप किस पहलू पर हमारा निर्णय चाहते हैं। इसलिए निवेदन करूंगा कि कल हमको लिखित दें ताकि जैसे जज कोई निर्णय देता है, उसी प्रकार निर्णय इस पीठ से भी दिया जा सके क्योंकि सामान्य चर्चा में सामान्य बात कही जाती हैं। इसलिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर महत्वपूर्ण निर्णय हो तो सभी दृष्टियों से, इस देश में जो संघीय ढांचा है, जो पार्लियामेन्ट की स्थिति है, जो विधान सभा की स्थिति है और कितनी बातों में हम सक्षम हैं और कितनी बातों में हम सक्षम नहीं हैं, इन सब को देखते हुए कोई निर्णय हम दे सकें। अगर सबकी लिखित और एक-एक बात का ब्यौरेवार सूचना आप पूछें तो निश्चय ही अपने कर्त्तव्य का निर्वहन मैं करूंगा। लेकिन प्रश्न यह है कि जो निर्णय बम्बई हाईकोर्ट का हमने देखा है, वह एक वाद पर है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, हमारी नहीं छपेगी और इनकी छपेगी तो विधान सभा में आपके सामने दोनों पक्षों की कार्यवाही होती है और एक पक्ष की छपे और हमारी न छपे तो यह नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष—

यहां बोलने की पूरी आपको स्वतन्त्रता है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, मेरा कहना है कि उनकी कार्यवाही छपती है और हमारी नहीं छपती है तो यह नहीं चलेगा। यदि हमारी नहीं छपती है तो उनकी भी न छपे। आपने जो विचार व्यक्त किया है उस पर हम दृढ़ हैं। वास्तविकता यह है कि उनकी छपे और हमारी न छपे तो यह कैसे होगा? लेकिन यह इनको नहीं करने देंगे। आप तो चाहते हैं, यह सरकार भी चाहती है। मेरा कहना यह है कि दस-पांच दिन में छपना फिर शुरू हो सकता है। लेकिन श्रीमन्, इन लोगों को, राजा साहब को इस पाप का फल मिलेगा। भगवान सब देख रहा है। (व्यवधान) नहीं तो देश रसातल में चला जाएगा और तानाशाही होगी।

श्री अध्यक्ष--

कल तो यह निर्णय किया था कि मैं बातचीत करूंगा नेताओं से और आप भी कल इससे सहमत थे। कानून के अन्दर, हमारे संविधान के अन्दर वह पेचीदा मामला है, दुरूह मामला है। हम चाहें, मुख्य मन्त्री जी चाहें या राज्यपाल चाहें तो जो यन्त्र चल रहा है उस पर प्रभाव नहीं है, वह वार्ता से ही चलेगा। अगर हमको तुरन्त जैसे बोला जाय प्रकाशन का पूर्वाधिकार होता, तो वह अधिकार हमको नहीं दिया है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि स्पीकर को, इस सदन के कानून ने यह अधिकार नहीं दिया है कि वह हुक्म दे दे कि सारी कार्यवाही या कितनी अखबार में छपे। सुविधानुसार वह छप जाती है। हमारे नियम के अनुकूल नहीं है। परम्परा से वह छाप देते हैं। आपका हित है कि वह छपे, विधान सभा का हित है कि वह छपे। हां, हमारी कार्यवाही जब छः हफ्ते तक विधिवत् छप जाय और बंट जाय तो उसके छः हफ्ते के बाद वह छप सकती है। लेकिन छपने पर बाहर का कोई कानून हायल हो तो उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं।

एक सदस्य--

छः हफ्ते में छप जाती है.....

श्री अध्यक्ष--

कभी देर हो जाती है तो उसको हम समय के अन्दर छपवा सकते हैं। कल एक बात उठाई गयी तो उसका निर्णय मैंने दिया, आज दूसरी बात उठायी गयी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस मसले को हम कानूनी दृष्टि से देखें तो उसको कानूनी रूप से लिख कर दें।

श्री त्रिवेणी सहाय--

उसमें कठिनाई है कि छः हफ्ते में छप जाती है एडीटिंग होती है, प्रेस में जाती है। यह तो तत्काल छाप देते हैं।

श्री अध्यक्ष--

वह अधिकार से नहीं छापते हैं "इन्डलजेन्स" शब्द जो है यानी हमारी उदारता या नजरअन्दाजी के सबब से छापते हैं।

एक सदस्य--

अभी तक नजरन्दाजी थी तो थोड़े दिन और चलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

यह तर्क-वितर्क आपस में कीजिए। लेकिन अगर मुझ से निर्णय चाहते हैं तो जो उचित चीज है उस पर आग्रह करना चाहिए। आप अपनी जानकारी से, विद्वता से स्पीकर को सहायता पहुंचायें, लिखित सूचना दें या उस सम्बन्ध में तर्क दें। आप जानते हैं मुझे किसी का डर नहीं है। अगर हमको संतोष हो जाय और हम समझ लें कि कोई कानून संविधान के खिलाफ है, केन्द्र ने कोई चीज लागू कर दी है जो संविधान सम्मत नहीं तो मुझे ऐसा कहने में कोई हिचक नहीं होगी। अब आगे की कार्यवाही चले।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

श्री सेठी को अभी दो मिनट और बोलना है। यदि इस बीच वह अपनी बात कहना चाहते हैं, तो कहें।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

श्रीमान अध्यक्ष जी मैं राज्यपाल महोदय के भाषण का समर्थन करने के लिए बोल रहा था। लेकिन समय के अभाव में मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सका था। मान्यवर, मैं पिछले प्रसंग में दो लफ्जों में ही बोलूंगा कि निरन्तर बिगड़ती हुई प्रिक्चर को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर इमरजेन्सी लगाई गई और उसने उस गिरती हुई हालत को रोक दिया। वह सैलाब जिसने तोड़-फोड़ मचा रखी थी, अनुशासन के वातावरण ने उसको बढ़ने से रोक दिया। इस सम्बन्ध में जो सफलतायें हमको मिली हैं वह इस बात से जाहिर हैं कि चारों ओर अमन की लहरें जाग उठी हैं। यह हालत केवल हमारे ही प्रदेश की नहीं है बल्कि सारे देश की है। 20-सूत्री कार्यक्रम जिसको हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने रखा है और जिसको पूरा करने के लिए हम सभी पूरी ताकत के साथ लगे हैं उसमें खास बात यही है कि धरती का बंटवारा, बेघर वालों को घर, खेतिहर मजदूरों को जोतने के लिए धरती देने का सवाल है। हमारे प्रदेश में भी इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, वह सराहनीय है।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बताते हुए कहा कि 16 लाख एकड़ जमीन बांटी गई, 12 लाख व्यक्तियों को मकान के लिए स्थान दिया गया जो सराहनीय कदम है। यह समस्या बहुत गम्भीर थी और इसको बड़ी खूबी के साथ किया गया है। इसी के साथ ही शहरी मसला भी बड़ा है। केन्द्र सरकार ने अरबन सीलिंग ऐक्ट बनाया और उस बारे में भी राज्यपाल जी ने संकेत किया है। यहां के शहरों में जो 1 लाख से ऊपर वाले शहर हैं उनमें इसको लागू किया जायगा और हमको उस विचारधारा पर कामयाबी होगी। हमको इसके आधार पर यहां से भी काफी प्लाट्स मिलेंगे जिनको गरीबों को देने के लिये सुविधा हो जाएगी। जिस तरह से देहातों में हमने खेतिहर मजदूरों के लिए भूमि दी है उनको मकान बनाने के लिए भी भूमि का आबंटन किया है और हम उसका नारा भी लगाते हैं लेकिन शहरों में रहने वाले गरीबों को हम मकान बनाने के लिए भूमि देने की सुविधा का प्रबन्ध अब तक नहीं करवा सके हैं। हमको उनको भी सिर छुपाने के लिए मकान देना चाहिए।

परसों चौधरी साहब ने कहा था कि जो हमारे राइट्स, हकूक हैं उनसे हमको वंचित न किया जाय। उन्ही विचारों के आधार पर मैं भी यह कहता हूं कि यह तो हमारे फन्डामेन्टल राइट्स हैं अधिकार हैं ऐसा मेरा विचार है किसी जमाने में बादशाह अवतार कहलाता था, उसकी पूजा होती थी लेकिन वह दौर खत्म हो गया। फिर हैरिडिटरी राजा बना, यानी बादशाह का लड़का बादशाह होगा और वह हकूक भी खत्म हुआ। इसी तरह से नवाब, जमींदार खत्म हुए। यह जो पितृ हकूक हैं इसको कुचलना होगा तभी हम समाज में क्रान्ति ला सकते है। शहरी सम्पत्ति से सम्बन्धित जो पितृ हुकूक हैं उनके खिलाफ ऐक्ट आ रहा है ताकि शहर में रहने वाले गरीबों को मकान मिल सकेगा। जब तक ऐसा ऐक्ट नहीं आता है तब तक स्लम्स को समाप्त करना होगा ताकि उनमें जो नारकीय जिन्दगी बिता रहे हैं उससे उनको निजात मिल सके। इसी तरह से जो सेठ अपनी जमीनों पर से लोगो के मल्वे हटा कर उनसे जमीन खाली कराना चाहते हैं वह हुकूक भी उनके खत्म होने चाहिए।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जो यह कहा कि न्याय आराम से और सस्ते दर पर लोगों को सुलभ हो सकेगा यह बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हाई कोर्ट की बेंच खोली जाय जिसकी मांग समय-समय पर प्रदेश की जनता तथा विधायक लोग करते रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने कहा कि यातायात के लिए 250 ट्रक्स के लिए नेशनल परीमट इश्यू किए गए हैं। यह एक क्रान्तिकारी कदम है। यातायात

---

†23 मार्च, 1976 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को सस्ता तथा सुविधाजनक बनाने के लिए यह जरूरी है कि नेशनल हाई वेज पर ट्रक्स को जो रुकना पड़ता है जगह-जगह पर और जिससे माल के पहुंचने में देर लगती है, इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि उनको बाई-पास किया जाय ताकि सामान अपनी जगह जल्दी पहुंच सके।

बिजली के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने सही कहा कि प्रोडक्शन काफी बड़ा है और लोगों को, उद्योगों को बिजली दी जा रही है। लेकिन इसके वितरण में लोगों को जो परेशानियां हैं, कनेक्शन्स मिलने में जो दिक्कतें पेश आती हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया जाय ताकि इमरजेन्सी के अन्दर ज्यादा तरक्की हो सके। चीजों की कीमतें कम हुईं, यह सब जानते हैं और जनता ने इसका स्वागत किया। साथ ही हुकूमत इस बात के लिए भी सतर्क है कि किसानों की जो उपज है उसकी कीमत में गिरावट न आने पावे वर्ना जो हमारी एकोनामी है वह बिगड़ जायगी और राज्यपाल ने जो इस ओर इंगित किया है उसकी हम सराहना करते हैं कि हमको कीमतों को कम से कम एक साल के लिये रेशनेलाइज करना चाहिए ताकि उसका असर जनता पर न पड़ सके। छात्रों के लिए भी जो किया गया वह मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का सराहनीय कदम है। छात्रों को पुस्तकें और खाने-पीने की चीजें उपलब्ध कराईं। इससे उनमें अनुशासन बढ़ा है। उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप खत्म करें।

श्री अजीत सिंह सेठी—

2 मिनट में खत्म करता हूं। जब आपने इतनी कृपा की है तो एक मिनट का समय और दे दें। मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा था कि जहां सरकार ने खेतिहर मजदूरों को जमीन और मकान उपलब्ध कराए वहीं उसने कपड़े की खपत और बुनकरों की समस्याओं को भी हल किया। बुनकरों के सम्बन्ध में जो तरीका अपनाया गया कि कच्चा माल उन्हें दिया गया तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह देखा गया है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। बुनकरों की हालत इस देश में अभी भी चिन्ताजनक है। जो मुनाफा उसे मिलना चाहिए था वह सामान को बिक्री करने वाले खा जाते हैं और उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। इसलिए कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिये जिससे इस रोग को दूर किया जा सके।

श्री अध्यक्ष—

इस रोग के साथ ही आप अपनी बात भी समाप्त करें।

श्री अजीत सिंह सेठी—

अध्यक्ष जी, मैं आपका मशकूर हूं।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण यहां दिया उस पर माननीय नेता विरोधी दल ने एक अमेन्डमेंट पेश किया है, मैं उसी से सम्बन्धित अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मैं अपने अन्दर वह उत्साह नहीं देखता जो पहले इस हाउस में बोलते समय दिखाई देता था, उस समय हुआ करता था। मेरे दिल में एक तरह की तकलीफ है। बोलना इसलिए जरूरी समझता हूं कि बोलना कर्त्तव्य है बड़ी पेनफुल डेमोक्रेटिक ड्यूटी को अदा कर रहा हूं। क्योंकि लोगों ने मुझे यहां भेजा है और वे मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं उनकी बात सदन में कहूं।

श्री जयराज गौतम (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, कोरम देख लें।

श्री अध्यक्ष—

एक और दो बजे के बीच में आपको नहीं उठाना चाहिए। जब उठा दिया तो देखना पड़ेगा।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष जी, आपने देखा है हमारे भाई उधर के बैठने वाले 20-सूत्री कार्यक्रम की बहुत चर्चा करते हैं लेकिन यह भूल जाते हैं यहां बैठना भी इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है । यहां बैठते क्यों नहीं ?

मैं कह रहा था मुझे तकलीफ इसलिए हुई कि मैं पिछले 30 सालों से इस सदन का मेम्बर रहा हूं, सिर्फ एक टर्म को छोड़कर और तब से दो-चार साथी यहां और हैं। ऐसा वातावरण कभी देखने में नहीं आया जब कि मेम्बरों की बोलचाल के ऊपर, उनकी बात को बाहर जाने के ऊपर इस प्रकार की रोक लगायी गयी हो। कल सरकारी पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि इमरजेन्सी इसलिए लागू हुई क्योंकि विरोधी दलों ने उदंडता के हालात पैदा कर दिए। तो मैं इनको बताऊं कि हमने वह हालात पैदा नहीं किये यह सरकार के कुछ लोगों ने अपने लाभ के कारण पैदा किए। वह चाहते थे कि इसे लागू किया जाय और इस तरह का ड्रामा खेला गया। मैं दो-चार मिनट में उनका सिंहावलोकन कराना चाहता हूं। जब मुल्क स्वतन्त्र हुआ उस वक्त इस मुल्क की कितनी छिन्न-भिन्न दशा थी। महात्मा गांधी के प्रस्ताव से और हमारे जो बड़े नेता थे उनकी कोशिशों से उन हालात को आहिस्ता-आहिस्ता ठीक किया गया और एक-दो और तीन योजनाओं में इस मुल्क के अन्दर ऐसे हालात पैदा होने लगे कि गल्ला भी ज्यादा पैदा होने लगा, कारखानेदारी भी शुरू हुई। जहां इस मुल्क के अन्दर सुई भी नहीं बनती थी, बड़ी-बड़ी मशीनें यहां बनने लगीं, स्कूल, कालेजेज, मेडिकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेजेज, टेकनिकल एजूकेशन, सड़कें, अस्पताल तथा और भी जितनी जरूरी चीजें थीं जिन्दगी को बेहतर बनाने के लिए, वह अहिस्ता-अहिस्ता बनने लगीं और मुल्क के लोगों में उत्साह आने लगा और जो बाहर से लोग आते थे वह भी देख कर खुश होते थे और कहते थे कि हिन्दुस्तान तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है और जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा।

पर आपने देखा होगा कि तीसरी योजना खत्म होने तक जितने भी कार्य हुए वह हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री जवाहरलाल जी के कार्यकाल में हुए। बीच में थोड़े ही समय के लिए स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधान मन्त्री बने थे। यह सारे काम उनके जेरे सदारत में हुए। जब कभी उनके रास्ते में कोई अड़चन आई या कोई आदमी अड़चन डालता तो उसे पंडित जी समझा कर ठीक करते थे। उनका व्यक्तित्व महान था इसके साथ-साथ उनका परसीवियरेन्स का बड़ा अच्छा तरीका था। उनके बाद जब श्रीमती इन्दिरा गांधी इस मुल्क की प्रधान मन्त्री हुई तो कांग्रेस के दो हिस्से हुए। सिर्फ इसलिए कि उनको एक नारा मिल गया कि यह जो पुराने लोग हैं यह उन्हें काम करने नहीं देते हैं।

बंगलौर का ए0 आई0 सी0 सी0 सेशन हुआ उसमें प्रस्ताव रखा गया कि बैंकों का नेशनलाइजेशन होना चाहिये लेकिन प्रधान मन्त्री ने कहा इसे रोक दिया जाय इसे फिर कर लेगें और इसे विद्ड्रा कर लिया। फिर एक प्रस्ताव हुआ कि राजा महाराजाओं के प्रीवी परसेज खत्म किया जाना चाहिए लेकिन उसे भी रुकवा दिया और उसके बाद थोड़े ही दिनों में जब कांग्रेस को तोड़ दिया तब अपने नाम से वही काम फिर कराए। बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, प्रीवी परसेज खत्म किए गए। हिन्दुस्तान में सन् 1972 में कुल 28 आई0 सी0 एस0 रह गए थे केवल प्रचार करने के लिए आई0 सी0 एस0 के प्रिविलिजेज खत्म कर दिए गए। केवल पौने तीन करोड़ प्रीवी परसेज के रूप में रुपया देना पड़ता था उस वक्त, उसे खत्म किया जब कि भारत का 8 हजार करोड़ का बजट बनता है उसमें यह पौने तीन करोड़ कितनी थोड़ी रकम है। सिर्फ एक हवा बांधने के लिए यह किया गया इतना ही नहीं हुआ बल्कि उनके बंगले के सामने रोज जलूस निकलने लगे। लोगों को बुला-बुलाकर 10-10 व 20-20 की टोलियां जाने लगीं कि प्रधान मन्त्री हमारी नेता हैं, उनके बिना हिन्दुस्तान नहीं चल सकता। प्रधान मन्त्री के हाथ मजबूत कीजिए और उसी वातावरण में पार्लियामेंट का जीवन एक साल पहले खत्म करके निर्वाचन करा दिया गया। उनका नारा था या बहकाना था कि पुराने साथी उन्हें काम नहीं करने देना चाहते हैं, जनता ने बात मानी और भारी मैजारिटी में उनके साथियों को चुनकर भेजा। जितने कि जवाहरलाल नेहरू के जमाने में भी नहीं चुने गए

थे फिर इनको कोई कार्य करने से रोकने वाला नहीं था। लेकिन नहीं, जब अटक गई गिन्नी तो बोल गई सिन्नी। शक्ति मिली, वादे सब भूल गए अब ताकत थी, हाथ मजबूत किए थे, तो जनता के हित के लिए काम किए जाते, लेकिन वे हाथ फजूल के कामों में लग गए, ऐसे मुल्कों से दोस्ती कर ली, जिनके पास खुद खाने को नहीं, हमें आपको वह क्या खिलाएंगे ?

पंडित नेहरू के जमाने में देश फारेन पालिसी में बिलकुल न्यूट्रल रहा। जिन देशों ने हमसे आवश्यकता पड़ने पर मदद मांगी, हमने उन्हें, खुशी-खुशी मदद दी और ली। लेकिन हमारी वर्तमान प्रधान मन्त्री ने अपना रास्ता बदला और उसके फलस्वरूप ऐसे हालात क्रिएट कर दिए कि मुल्क का जीवन दुर्लभ हो गया। इस मुल्क में मुद्रा-स्फीति इस हद तक पहुंच गई कि चौथे प्लान में साढ़े आठ सौ करोड़ से बढ़कर साढ़े तीन हजार करोड़ तक पहुंच गई। खाने-पीने की चीजों की इतनी गिरानी हो गई कि जनता त्राहि-त्राहि करने लगी। डालडा, तेल सभी चीजें नदारद हो गई। जूते भी 70-80 और सौ रुपए तक में मिलने लगे। कपड़े की तरफ देखें, तो 3-4 साल में कपड़े वालों ने सैकड़ों करोड़ रुपए पैदा कर लिए। सरकारी अफसरों को डिमारलाईज करना शुरू कर दिया गया, उनका इन्सेन्टिव खत्म कर दिया गया। हमारे आदरणीय सदस्यों ने ऐसा रवैया अपनाया कि जिलों में बैठे अफसर उनके इशारे पर अनुचित कार्य करने लगे और उनके साथ मिलकर जनता को लूटने लगे। असहनीय हालत देश में पैदा हो गई, बजाए देश की मजबूती के, सरकारी मजबूत हाथ इन कामों में लग गए। मैं महात्मा गांधी का एक वाक्य आपको सुनाना चाहता हूं। हम सब लोग अहिंसा को मानने वाले हैं और संविधान की परिधि में काम करने वाले हैं। प्रधान मन्त्री और उनके साथियों ने कुछ पार्टियों के नाम लिए हैं कि ये हिंसा करती है—गिव दि डाग ए बैड नेम ऐन्ड हैंग हिम" लेकिन कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं निकले, और यदि वायलेंस थी, तो जो कानून की किताब हमारी बहुत मोटी है, उसके जरिए से किसी को भी सजा दिलाई जा सकती थी। किन्तु उसको इस्तेमाल न करके और तरीके—तानाशाही के तरीके अपनाये गए। महात्मा गांधी ने लिखा है —

"It is our first duty to render voluntary obedience to law, but when law fosters untruth, it becomes a duty to disobey it."

महात्मा गांधी की तस्वीर सदन में लगा रखी है और जिससे सारे देश इन्स्पिरेशन लेता है, उसका यह कहना है। आप फिर देखिए, मैं पंडित नेहरू के वाक्य को आपके सामने दोहराता हूं —

"A Government that has to rely on the Criminal Law Amendment Act and similar laws, that suppresses the press and literature, that has hundreds of organisations, that keeps people in prison without trial and that does so many things that are happening in India today, is a government that has ceased to have even a shadow of justification for its existence."

यह पंडित नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी और उनके जो अनुयायी जो बड़े-बड़े नेता थ, जिनके कदमों में बैठकर हम लोग बड़े हुए, क्या रास्ता हमारे लिए था ? सिवाय इसके कि हम हड़ताल करें, जलूस निकाले, अखबार छापें, पर्चे छापें ?

गुजरात का क्या हाल हुआ ? उसका असर बिहार तक पहुंच गया। जय प्रकाश जी तक पहुंच गया। जलूस निकल रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से जलूस नहीं निकले ? भूतपूर्व मुख्य मंत्री बहुगुणा जी जब हुकूमत में बैठे लखनऊ में रैली बुलाई गई। मुझे वह बात याद है कि पंडित नेहरू के जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया ने एक जलूस निकाला जिसमें एक लाख आदमी से ज्यादा इकट्ठा हुए। पंडित नेहरू ने सरदार कैरो ने चीफ मिनिस्टर के बदले में जुलूस नहीं निकलने दिया। विरोधियों ने जुलूस निकालने का हक मांगा। हम दिल्ली जाते हैं जुलूस निकालते हैं। इसीलिए तो गिरानी इतनी बढ़ गयी है लोग बरदास्त नहीं कर पाए हैं। दवाइयां एडल्ट्रेटेड मिलती हैं, खाना नहीं मिलता है एडल्ट्रेटेड है। सोने का भाव साढे 6-700 रुपए तक पहुंच गया। गलत वस्तुओं की स्मगलिंग हो रही है। कानून

[श्री राम मूर्ति]

सब बने हुए हैं। आज भी कानून के अन्दर हजारों स्मगलर बन्द कर दिए गए हैं। उस समय सरकार की इच्छा नहीं थी तो कैसे बन्द कर देते। गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चले। हमने दिल्ली में जाकर रैली की, तो प्रधान मन्त्री जी ने भी वहां पर रैलीकर डाली और अपनी जबान से बताया कि 5 लाख रैली में आए। जब आपने लखनऊ में रैली बुलाई आपकी रैली अच्छी थी और जब हमने रैली बुलाई, जिसमें कहा कि सरकार यह बुरी बातें कर रही है तो साहब हमें रैली करने का हक नहीं।

मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, याद कीजिए वह दिन, थोड़े दिन हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, 26 जून, 1975 को एकदम से कानून बनाया और इमरजेन्सी डिक्लेयर कर दिया। किस लिए डिक्लेयर कर दिया? कांस्टीट्यूशन में दिया है जब मुल्क की इंटीग्रिटी खतरे में पड़ गयी हो एमरजेन्सी डिक्लेयर की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक दरख्वास्त करता हू, जितने भाई उधर बैठे हुए हैं, जो सरकार के पक्ष में हैं और जो उस पक्ष से बोलना चाहें, राज्यपाल के अभिभाषण पर डिबेट हो रहा है, हवाई बातें न करें। हम लोग जिन बातों को रखते हैं, सरकार के पक्ष के लोग उसका जवाब दें। इमरजेन्सी डिक्लेयर कर दी। हजारों आदमियों को जेल में भर दिया। लोग बोल नहीं सकते। अखबारों में कोई चीज छप नहीं सकती। कानून को एक कोने में रख दिया। लोगों को घर से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया।

अध्यक्ष महोदय, बिलकुल ऐसा ही वातावरण हिटलर ने पैदा किया था जर्मनी में।

(इस समय 1 बजकर 35 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

हिटलर 30 जनवरी, 1933 को जर्मनी का चान्सलर बना और 28 फरवरी को वहां के प्रेसीडेन्ट हिन्डनवर्ग के यहां से संविधान में विहित इमरजेन्सी पावर्स (धारा 48) के अन्तर्गत एक "Decree for protection of people and state." के नाम जारी करायी गयी, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित बातें थीं —

"Restriction on personal liberty, on the right of free expression of opinion including freedom of the press, on the rights of assembly and associations aud violation of privacy of postal telegraphic and telephonic communication, warrants for home searches, orders for confiscation as well as restriction on property were made permissible beyond the legal limits otherwise prescribed."

उसने इतना ही नहीं किया। जो वहां की स्टेट्स थीं उन सब की ताकत खत्म कर दी। सारी यूनिट्स को कमजोर कर दिया। हमारे यहां क्या हो रहा है? जो इस डिक्री में लिखा है वह सब भारत में हो रहा है। सरकारी पक्ष के लोग ध्यान दें कि क्या यह गलत बात तो नहीं है? कि अदालत किसी को छोड़ दें सरकार फिर उसको पकड़ ले। सारे स्टेट्स के मुख्य मन्त्रियों की हैसियत खत्म हो चुकी है। यह हुकूमत है। तानाशाही कैसी होती है। हमारी लिबर्टी हमारी आजादी सब छिन गयी है। तो हम हैं क्या?

अच्छा नहीं लगता कि अंग्रेजों का उदाहरण दिया जाए, लेकिन मजबूर होकर यहां कहना पड़ता है। मैं आपको बताता हूं कि सन् 1942 का आन्दोलन हुआ। उस समय सारे देश में उथल पुथल मच गयी, लेकिन आप जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि किसी भी अखबार पर रोक नहीं लगायी गयी और अखबार बराबर छपते रहे, और यह सूचना मिलती रही कि कहां पर गोलीकांड हुए, कितने और कौन लोग गिरफ्तार हुए, कहां पर आग लगी? कभी कोई अखबार इन खबरों को छापने से नहीं रोका गया। बाहर के हुकमरान जो थे उन्होंने भी यह काम नहीं किया लेकिन हमारे देश के जो हमराज हैं, उन्होंने यह सब कर दिया। इसका

नतीजा क्या निकला, डेमोक्रेसी का बिल्कुल गला घोंटा गया, पंचायती राज समाप्त हो गया। पंचायती राज के 4 खम्भे होते हैं। एक विधान मन्डल (लेजिस्लेचर), एक एक्जीक्यूटिव एक मन्त्रीगण, सरकारी अफसर और एक न्यायपालिका और चौथा है प्रेस, जिसके जरिए से दुनिया की सारी बातें छपती हैं।

लेजिस्लेचर में हमारा एक ही काम है कि हम यहां पर आयें और कानून बनायें और जो सरकार के फाइनेन्शियल कन्ट्रोल्स हैं, उन पर निगाह रखें लेकिन दुर्भाग्य से यह कुछ नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है बजाय कानून के आर्डिनेन्स आ जाते हैं। अगर विधेयक आ गया तो उसे बिना सोचे समझे जल्दीं-जल्दी में सरकार ने पास कर दिया। आपने इस कार्य के लिए कोई मेल नहीं बना रखा है कि जो इस कार्य को देखें। सदस्यों को कोई इन्करेजमेन्ट नहीं मिल पाता है। उन्हें कोई दिलचस्पी भी विधायी कार्य में नहीं है।

फाइनेन्शियल कन्ट्रोल का जहां तक ताल्लुक है इतने सारे कारपोरेशन बने लगे हैं जिन पर सरकार का तो कन्ट्रोल है लेकिन इस लेजिस्लेचर का नहीं है, माननीय सदस्यों का कोई कन्ट्रोल नहीं रहा। तो हमारी विधान सभा की हैसियत ही क्या रह गई, केवल एक तमाशा बन कर रह गया है।

जहां तक एक्जीक्यूटिव का सम्बन्ध है आज हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वे किसकी ताकत पर यह बैठे हुए हैं, क्या सरकारी पक्ष की ताकत पर बैठे हुए हैं या यह चीफ मिनिस्टर साहब हैं, किसी दूसरी जगह से उनका नामिनेशन हो गया, यहां भेजकर बिठाल दिया जाता है। क्या पार्टी इनकी वफादार है या पार्टी के यह वफादार हैं? उनके हाथ में क्या है? तकदीर का दूसरी जगह से फैसला होता है।

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

उचित तो नहीं है लेकिन माननीय सदस्य से मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय चन्द्र भानु गुप्त किस प्रकार से मुख्य मंत्री बने थे जब कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द शत प्रतिशत बहुमत में थे ?

श्री राम मूर्ति—

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने एलान किया था कि अगर पी0 सी0 सी0 में उनके प्रेसीडेन्ट हार जायेंगे तो वे अपनी जगह को छोड़ देंगे। उनके प्रेसीडेन्ट हार गये और जब यह मसला पंडित जवाहर लाल नेहरू के सामने आया तो माननीय सम्पूर्णानन्द ने कोशिश की कि वह किसी प्रकार से रिगिल आउट हो जायं लेकिन पंडित जी ने कहा कि जब आपने इस प्रकार का बयान दिया है तो आपको हटना चाहिये। तब जाकर माननीय सम्पूर्णानन्द को उस जगह से हटना पड़ा।

जहां तक आपकी एक्जीक्यूटिव की हालत है अब ज्वाइन्ट रेस्पोंसिबिलिटी नहीं रही। मिनिस्टर लोग अलग-अलग बयान देने लगे। चीफ मिनिस्टर माननीय बहुगुणा ने इस्तीफा दिया तो उनके 8 मिनिस्टरों ने भी प्रधान मंत्री को इस्तीफा दिया। क्या हैसियत रह गई है इस पार्टी की ? आज जो सरकारी अधिकारी हैं वे सब डिमोरेलाइज हो गये हैं, उनमें कोई इनिशिएटिव नहीं रह गया है और उनके लिये एक ही रास्ता है कि जो सरकारी हुक्म हो उसका पालन वे आंख मूंद कर करें। कितने ही अफसर हैं जिनके बारे में रिपोर्ट की गई कम्पल्सरी रिटायर हुए लेकिन फिर कागजात खोल दिए गये हैं। इस सरकार की कोई ताकत नहीं रह गई है।

जहां तक न्यायपालिका का सम्बन्ध है सुप्रीम कोर्ट को पहले ही दबा दिया है बाकी और कोर्ट्स का क्या जिक्र किया जाय ? हम सब लोगों को जेलों में बन्द कर दिया गया और जब किसी अदालत में किसी की जमानत करने की कोशिश की गई तो वकीलों को कहा गया कि न्यायाधीशों की क्या हैसियत है ? जब सुप्रीम कोर्ट दब गया तो छोटी अदालतों की क्या पोजीशन है। सारी इमेज भारत में जनतंत्र की दुनियां के सामने बिगाड़ दी।

[श्री राममूर्ति]

इतना ही नहीं, एक और बात हुई। अभी थोड़े दिन पहले प्रेसीडेन्ट साहब के यहां गवर्नर साहबान की एक मीटिंग हुई। उसमें यह प्रस्ताव हुआ कि गवर्नर साहबान देखेंगे कि हाई कोर्ट्स किस तरह से काम कर रहे हैं। "दि गवर्नर्स बिल सिट ओवर दि जजमेन्ट आफ हाई कोर्ट्स"। अब रह गया प्रेस जिसकी कल से हम धुन लगा रहे हैं कि कम से कम इसका मुंह न बन्द करिये। ये नाराज हो जायं तो इन्हें मना लेंगे लेकिन अगर सरकार ही इनसे नाराज हो जायगी तो ये हमारी क्या परवाह करेंगे। यह कैसी हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है। तानाशाही और क्या होती है और उसके नतीजे क्या होते हैं? 5 साल हो गये, एलेक्शन नहीं होगा क्योंकि 20 सूत्री प्रोग्राम पूरा करना है। क्या दलील है, यह कौन नहीं चाहता कि नहरें बढ़ें, बिजली बढ़े, कौन नहीं चाहता कि बच्चों की अच्छी तालीम हो। लेकिन यह गवर्नमेंट को करना है, हमें कौन सा एतराज है। हम समझते हैं कि 20 वह और जो 5 प्वाइन्ट निकाले हैं उनके साहबजादे ने, आप लोग उन्हें पूरा करिये, हम भी मदद करेंगे।

जिन हालात से आज हमारा देश गुजर रहा है हम सब को इससे नसीहत लेनी है। इसलिये नहीं कि आज आप हुकूमत में बैठे हैं। आप देखिये कि किस तरह से हक छीने जा रहे हैं। हमारे हित में है कि हम सब लोग उसके लिये अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष करें और हालात को सुधारें। कल यह भी कहा गया कि लोग जो बोलते हैं वह राज्यपाल जी के अभिभाषण में और जो बातें हैं उनका जिक्र नहीं करते। क्या जिक्र करें? जिन्दगी तबाह सरकार ने कर रखी है। सारे काश्तकारों को आपने तबाह कर दिया। आज अनाज के दाम आधे रह गये लेकिन उसकी जरूरत की चीजों के दामों का क्या हाल है? लोहे का दाम क्या है? फर्टिलाइजर के दाम क्या हैं? सिंचाई का रेट क्या कर रखा है? सीमेन्ट का ब्लैकमार्केट का रेट 22 रुपये व्हाइट रेट हो गया है। ईंट सवा सौ रुपये में बिक रही है। यह तो हालात हैं और आप कहते हैं कि अभिभाषण पर कुछ नहीं बोले। क्या अभिभाषण पर बोलें, सिर अपना तोड़ें? एक बात सिर्फ ऐसी हुई है जो जिक्र करने लायक है। वह यह कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने अपने बजट में कह दिया है कि हम ट्रकों को सारे मुल्क में जाने देंगे और 8 हजार रुपये की छूट दे दी है टैक्स देने वालों को, कोई और भी इसके अलावा काम हुआ है जिसकी सराहना हम करें?

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्र गुजार हूं। साथ ही, मैंने जितनी बातें कही हैं निष्काम भाव से कही हैं। मेरा किसी से लगाव नहीं। मैं किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहता। हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हैं। अगर उनको कोई तकलीफ हुई हो तो मैं माफी मांगता हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

एक बात मैं भी कहता हूं कि परमात्मा आंखें दे जो दीख सके कि क्या काम देश में हुआ है।

*श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, गत दो दिनों से एक ही राग अलापा जा रहा है इस सदन में विरोधी पक्ष द्वारा कि लोकतन्त्र का हनन हो गया, मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, कुछ आदमी जेल में भेज दिये गये, अखबार में उनकी बात नहीं छपी। यह जो हमारे सामने स्थिति आयी जो कुछ आदमियों को जेल में भेजा गया, या आपात्स्थिति की घोषणा हुई इसका कारण क्या है? कौन जिम्मेदार है इस स्थिति के लिये? इसका उत्तर दायित्व क्या सत्ता पक्ष पर ही है? चन्द दिन पूर्व क्या-क्या घटनायें यहां हुईं, अध्यक्ष महोदय, आपको विदित है। उधर विरोधी दल के कुछ सदस्य विरोध पक्ष से जब इस दल में आना चाहते थे तो उनको मारा पीटा गया। उनका दोष यही था कि वे अपना दल छोड़ना चाहते थे.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राममूर्ति—

मैं इन्टरफीयर नहीं करता, मगर मैं अपने दोस्त को बता देना चाहता हूं कि आपके यहां मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर जूता फेंक कर मारा ।

श्री हुकम सिंह—

जब इनकी बातें सामने आने लगीं तो इनको क्रोध आ गया । मान्यवर, यहां सदन में माननीय राज्यपाल महोदय को भाषण करने से रोका गया, उन पर कागज फेंके गये, माइक उखाड़ डाले गये, क्या-क्या नहीं हुआ । एक तरफ ऐसी कार्यवाइयां करते हैं, दूसरी तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं । मौलिक अधिकारों के नाम पर यहां क्या-क्या नहीं हुआ ? कुछ मुट्ठी भर लोगों ने मौलिक अधिकारों की आड़ में हाई कोर्ट आदि में जाकर भरपूर फायदा उठाया और देश की 60 करोड़ जनता उन अधिकारों का लाभ न उठा सकी । आज यदि वही मौलिक अधिकार चलते रहे होते तो पता नहीं देश की क्या स्थिति होती ? हम तो आभारी हैं प्रधान मंत्री जी के कि उन्होंने स्थिति को समझा और समय से कदम उठाया । आप न्याय प्रणाली की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करते हैं, मगर आज गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। उसमें काफी खामियां हैं । आज उसके सुधार के लिये कोई कदम उठाया गया है तो आपको उसका स्वागत करना चाहिये ।

एक सदस्य—

कोरम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

1 और 2 बजे के बीच कोरम का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, लोकतंत्र के सबसे बड़े हामी माननीय जयप्रकाश नारायण तथा हमारे चौधरी साहब ने गुजरात में जाकर और बिहार में जाकर जो किया क्या वह लोकतंत्र में होना चाहिये ? विधान सभा के लिये चुने हुये माननीय सदस्यों को विधान सभा में जाने से रोका गया ताकि वे अपनी बात न कह सकें, इससे अधिक और लोकतंत्र विरोधी बात क्या हो सकती है ? फिर यह कहते हैं प्रजातंत्र खत्म हो गया । अगर जनता के चुने हुये आदमियों को रोका जायेगा तो प्रजातन्त्र का मूल्य ही खत्म हो जायेगा । जब तक गरीब आदमी को लाभ नहीं पहुंचेगा, तब तक जनतंत्र से तथा मौलिक अधिकारों से कोई लाभ नहीं होगा । समाज की व्यवस्था तो यह होनी चाहिये कि हर आदमी को समान अधिकार हो, समान परिस्थितियां उसके सामने हों उन्नति करने का और आगे बढ़ने का और आज वही स्थिति कायम की जा रही है जिसका जिक्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है और प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20–सूत्रीय कार्यक्रम में भी है । पिछले दिनों ही गांव के निर्बल वर्ग को ऋण से मुक्ति दिलायी गयी है । आपको यह अच्छा नहीं लगा कि गांव या शहर का गरीब आदमी जो साहूकारों के चंगुल में है उसको उनसे मुक्ति दिला कर उनको ऊपर उठया जाय । सरकार की यह नीति है, गरीबों को ऊपर उठाने वाली । मान्यवर, समाज में एक और अभिशाप जो सैकड़ों वर्ष से चला आ रहा है, दहेज प्रथा का, उसको भी समाप्त करने के लिये सरकार ने कदम उठाया है । लेकिन केवल कानून बनाने से ही यह अभिशाप दूर नहीं हो सकेगा । जब तक सामाजिक क्रान्ति नहीं होगी जब तक कि हमारे नेता, विधायकगण व सरकारी अधिकारी सामने नहीं आयेंगे । कानून बनाने मात्र से काम चलने वाला नहीं है । जब तक हमारे नेता लोग इस अभिशाप को समाप्त करने का संकल्प नहीं करेंगे और उसके लिये नेतृत्व नहीं करेंगे तक तक यह अभिशाप चलता रहेगा । अगर कानून बन भी जाय और हमारे नेता एक-एक, डेढ़-डेढ़ लाख रुपये दहेज लेते रहे तो कानून का कोई अर्थ नहीं होगा । इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस अभिशाप को दूर करने के लिये आज जो एक लहर आयी हुई है उसे जनता गिरने नहीं देगी और तभी यह अभिशाप दूर हो सकेगा । हम आशा करते हैं कि हमारे सहयोग से, हमारे नेताओं के सहयोग से और आप सब के सहयोग से यह अभिशाप समाज से शीघ्र से शीघ्र दूर हो सकेगा ।

[श्री हुकम सिंह]

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा बेगार प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया है। जिस गरीब को दो वक्त भर पेट खाने को भी नहीं मिलता था उससे भी जमींदार लोग बेगार लेते थे। जेलों में बन्द होने पर या अखबारों में कोई बयान न छपने पर तो मौलिक अधिकारों की दुहाई दी जाती है लेकिन किसी ने भी सदन में इसका जिक्र नहीं किया कि गरीबों के लिये भर पेट रोटी देने का प्रबन्ध किया जाय। जब तक शिक्षा की प्रगति नहीं होगी, जब तक लोगों को दोनों वक्त रोटी नहीं मिलेगी तब तक केवल नारे लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

मुझे तो आश्चर्य हुआ जब चौधरी साहब ने कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा भारत वर्ष की नावेल लैंड कहने पर भी एतराज किया। वे इस देश को नावेल लैंड मानने को तैयार नहीं हैं। इससे मुझे बड़ा ही दुख और खेद हुआ कि जो नेता दूसरी चीजों को ऊपर उठाने के नारे लगाते हैं और जिस देश में शहीद भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे लोग हुए हैं, वही इस देश को नावेल लैंड नहीं मानते हैं। सेंसर वाली चर्चा भी यहां चलती रही। मैं पूछता हूं कि क्या किसी भी देश में यह मान्यता है या ऐसा कोई कानून है कि वहां अखबार वालों को इस बात के लिये विवश किया जाय कि जो आप कहें उसको अखबार वाले जरूर छापें? और इसके लिये इस किस्म की बात कहना कि उनकी आवाज जनता तक नहीं पहुंच रही है, उचित नहीं है। जनता तक आवाज पहुंचाना है तो अपने-अपने क्षेत्रों में जायं और वहां पर लोगों की जो कठिनाइयां हैं उनको देखें, उनसे मिलें और जो दिक्कत हो उनको सरकार के सामने रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। अखबारों में बातें नहीं छपती हैं यह डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है ऐसा कहने से बड़ा कोई और झूठ नहीं है। अंत में मैं श्री राज्यपाल ने जो अभिभाषण रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

एक सदस्य—

मैंने नाम दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप देर में खड़े हुये हैं, आप बैठिये, मैंने श्री पाठक जी को पुकारा है।

श्री गिरिजा शंकर पाठक—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के संबंध में अपने पूर्व नेताओं ने जो कुछ कहा है उससे संबंध रखते हुये मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं किसान परिवार का हूं और किसानों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, आप कुछ दिन पहले जब इधर बैठते थे तो डा० लोहिया की बातों को दोहराते थे कि देश का कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक जमीन का बंटवारा नहीं होगा। मान्यवर, 20-सूत्री प्रोग्राम चल रहा है, इसके अन्तर्गत भूमिहीनों को जमीन दी जायगी यह सुनकर बड़ी हंसी आयी। मान्यवर, वाराणसी जनपद में तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत मैं बता दूं कि उन्हीं भूमिहीनों को जमीन वहां दी गयी है जहां पर उनके घर बने हुये हैं। उनके घर ऊपर बंजर में बने हुये हैं और उनकी उसी ऊसर बंजर जमीन का आबंटन कर दिया गया है।

महाराज काशी नरेश की जमीन, मिर्जापुर जनपद में जमालपुर नाम का एक गांव है। वहां के प्रधान एक हरिजन हैं। वहां पर बड़े लोगों ने उक्त जमीन पर कब्जा कर रखा है वहां के हरिजन प्रधान ने एक प्रस्ताव लिखा कलेक्टर को, कि जमीन बांट दी जाय जो सीलिंग में जमीन निकली है उसको बांट दिया जाय। मान्यवर, बड़े लोगों ने उस हरिजन प्रधान को 23 फरवरी, 1976 को परगना अधिकारी, चुनार ने थाने पर बुलवाकर वहां के नायब दरोगा से इस बुरी तरह से पिटवाया कि बताना मुश्किल है। उससे थुकवाया और चटवाया गया। इसके अलावा उसको दाहिनी तरफ की मूंछ उखाड़ लिया और कहा कि साले बाभन और ठाकुर की बराबरी करना चाहते हो तुम्हें फंसा कर मार डालेंगे, मान्यवर,

यह स्थिति है। इस तरह से हरिजनों को लेमनचूस देने के नाम पर भूखे मारा जा रहा है। आप जांच कराइये तो पता लगेगा कि कानपुर के अन्तर्गत नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल ने मिलकर इस जमीन का वेल्यूएशन बढ़ा दिया है। बिना पैसा लिये एक इंच जमीन नहीं दी गयी है। अगर खुफिया इन्क्वायरी कराई जाये तो सब पता चल जायगा, यह स्थिति हरिजनों की इस समय है।

मान्यवर, स्वायत्त शासन मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि तहसील ज्ञानपुर के 414 गांवों में पानी नहीं है। लेकिन मैं बताये दे रहा हूं कि लगभग एक हजार गांवों की वह तहसील है उस तहसील में लगभग साढ़े नौ सौ गांवों में पानी नहीं है। 5–5 मील से बहंगी द्वारा लोग पानी लाते हैं तब खुद पीते हैं और पशुओं को पिलाते हैं। बहंगी बनाकर पानी लाते हैं। यह स्थिति है पेयजल की।

मान्यवर, यहां किसानों की बहुत बातें होती हैं कि उनको बहुत सुविधायें दी जा रही हैं 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत। मान्यवर, क्या जो लकड़ी जंगल से लायी जाती है, उसका दाम है 20 रुपये क्विन्टल है बाजारों में बिक रही है और किसान खून पसीना लगाकर जो गन्ना तैयार करता है उसका रेट क्या है? उसका रेट है 11 और साढ़े 11 रुपये क्विन्टल। इसको देखकर एक कहावत याद आती है।

अंधेरपुर नगरी, धमधूसर राजा,
टका सेर भाजी, टका सेर खाजा।

लकड़ी बिके 20 रुपये क्विन्टल और गन्ना जिससे चीनी बनती है और बहुत सी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है जिसको किसान खूनपसीना लगाकर तैयार करता है उसका दाम केवल 11 रुपया क्विन्टल। हमारे कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। लोग बड़ी तारीफ करते हैं। अगर एक एकड़ पर गेहूं की खेती करें और गेहूं बोयें और पूरी लागत निकालें सब मिलाकर, गुड़ाई, निराई, सिंचाई और फर्टीलाइजर, सबकी लागत मिलाकर गेहूं का दाम निकालें तो 2 रुपये किलो से कम नहीं पड़ेगा, इससे ज्यादा ही पड़ेगा। लेकिन गेहूं का जो रेट है वह किसी से छुपा नहीं है और फर्टीलाइजर का जो रेट है वह भी आपसे छिपा नहीं है। किसानों ने 75–76 रु0 क्विन्टल धान बेचा है और 76 रु0 क्विन्टल फर्टीलाइजर खरीदा है।

मान्यवर, औराई में एक काशी सहकारी चीनी मिल खुल गयी है लेकिन वह हमेशा घाटे में रहती है। सरकारी फार्म लहरतारा, चंदौली बनारस में, रामपुर जौनपुर में और कल्लीपुर बनारस में है जो कि घाटे में चल रहे हैं। जबकि 5 एकड़ का किसान फायदे में रहता है और उनसे विकास-कर भी लिया जाता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो फार्म घाटे में हैं उनको तोड़कर किसानों को क्यों न दे दिया जाय? दूसरी बात मान्यवर, सहकारी चीनी मिल को देखते हुये पचोराघाट में पम्प केनाल बनाने के लिये कुछ भूमि एक्वायर की गयी है तो यदि वह लग जाय तो उससे चीनी मिल की उपयुक्तता बढ़ सकती है। गंगा में पानी सबसे ज्यादा पचोराघाट पर है इसलिये वहां की मिट्टी अच्छी है।

मान्यवर, अब स्वास्थ्य संबंधी जितनी तेजी से परिवार नियोजन का जो कार्य चलाया जा रहा है उसका सारा पैसा मिट्टी में डाला जा रहा है। फर्जी नसबन्दी हो जाती है। कैम्प लगाये जाते हैं लेकिन असल में नसबन्दी कहीं नहीं होती हैं। यदि जांच करायी जाय तो वाराणसी जनपद में सभी अधिकारी दोषी पाये जायेंगे। 70–72 वर्ष के लोगों की नसबन्दी करायी जा रही है। लेखपाल कहते हैं कि हमारी रोजी जा रही है इसलिये ऐसा कर रहे हैं।

मान्यवर, प्रधान मंत्री तहसील कल्याणपुर में गयीं थीं माधो रामपुर गांव में, उनके साथ तिवारी जी भी थे। वहां हरिजनों ने शिकायत की थी कि बसने के लिये जमीन नहीं मिल रही है और पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। कुयें से पानी लेने जाते है तो पंडित लोग

[श्री गिरजा शंकर पाठक]

लेने नही देते हैं। लाखों एकड़ जमीन बांटी गयी है लेकिन समाज कल्याण के लिये जो पैसा बांटा जा रहा है वह सही ढंग से नहीं बंट रहा है। दलाल लोग उसको खा जाते हैं। मैं निवेदन करुंगा कि प्रशासन इसकी इंक्वारी करे। तहसील ज्ञानपुर में जितना पैसा बांटा गया है और जो कुआं के लिये दिया गया है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है

मान्यवर, भदोही में 80 हजार कालीन बुनकर हैं। प्रदेश सरकार को प्रति वर्ष 30 करोड़ रुपया मिलता है। लेकिन वहां मालिक और मजदूरों के बीच में बीसों मुकदमें चल रहे हैं। उनके परिवार के लोग भूखों मर रहे हैं और न्यायालय से अभी फैसला नहीं हो पाया है। जबकि गवर्नर के अभिभाषण में यह है कि सस्ता और सुलभ न्याय इनको दिलाया जायगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि तहसील ज्ञानपुर के कालीने बुनकर मजदूरों और मालिकों के बीच का मामला है तो इसकी जांच करवायें। सन् 57 से ही मुकदमें चला रहे हैं जिसकी पूंजी 5 लाख की पूंजी थी आज वह उसके पास 5 करोड़ हो गयी है लेकिन मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है उसमें कोई अन्तर नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ यह है कि फिजूलखर्ची और शादी विवाह में दहेज न दिया जाय, इसका भी जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में है। उसके सम्बन्ध में मैं अपने कमरे में 7 मार्च को था तो देखा कि माननीय रामायण राय जी की सुपुत्री का विवाह था। उसमें माननीय स्वायत्त शासन मंत्री भी गयी थीं। उन्होंने देखा होगा कि कितनी साज सज्जा थी। होटल और इसके सजावट का शायद 20 हजार का ठेका दिया गया था। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि पहले कांग्रेस के लोग स्वयं इसका पालन करें तो दूसरे लोग उसका अनुकरण करेंगे।

*श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे दल के माननीय धर्मसिंह जी ने राज्यपाल महोदय के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव रखा था। उस पर संशोधन का प्रस्ताव रखते हुए हमारे परम आदरणीय नेता विरोधी दल ने जो तकरीर दी उसको और साथ ही माननीय कृपालु राममूर्ति जी की तकरीर को बड़े गौर से सुना। सभी ने अपने आन्दोलन की सन् 42 के आन्दोलन से तुलना करने की चेष्टा की। उनकी बात का उत्तर देने से पहले मैं माननीय नेता विरोधी दल को उनकी बहादुराना और साफगोई के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनमें आज भी हिम्मत है कि उन्होंने अपने विचारों को बहुत साफ साफ रखा जोकि मैं उनकी बातों से सहमत हूं या नहीं, यह अलग बात है लेकिन जिस बहादुराना तरीके से उन्होंने रखा वह काबिले दाद है। जब वह सन् 42 से अपने आन्दोलन को तुलना करते हैं तो मुझे क्षमा करें यह कहने के लिये आजादी के लिये चलाये गये आन्दोलन से तोड़-फोड़ के लिये किये गये आन्दोलन की तुलना नहीं की जा सकती। साथ ही साथ उन्होंने मीसा में गिरफ्तार करने और जेल की भी शिकायत की। माननीय राममूर्ति जी यहां उपस्थित हैं। जब मैं उनके साथ जेल में था तो मेरा 80 पाउन्ड वजन कम हो गया था लेकिन जब मैंने अपने भाई का चेहरा देखा तो उनके चेहरे पर सवाई या ड्योढ़ी रौनक बढ़ गयी, देखकर मुझे खुशी हुई। हां, असल शिकायत उनको यह है कि इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री की हैसियत से कड़ रूप में शासन चला रही हैं। ठीक है, इन्दिरा जी का रूख बहुत कड़ा है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कमजोर हाथ इस प्रदेश का शासन चला सकता है? क्या इस देश के सामने जो समस्याएं और उलझनें हैं और हमारे देश के चारों तरफ जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है उसके अन्दर कमजोर हाथ शासन चला सकता है? मुझे माफ करें यह कहने के लिये कि हमारा निश्चित मत यह है कि इन्दिरा जी ने अबतक विरोधी दल की बातों को बर्दाश्त किया। उससे हम खुद कांग्रेस वाले नाराज थे और हम उनसे कहते थे कि आप कमजोरी से काम न लें, सख्ती से काम लें और अनुशासन को कड़ा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

उन्होंने यह भी शिकायत की कि हमको कहा जाता है कि हम देशद्रोही हैं। मैं अपनी राय बता दूं कि मैंने उन्हें देशद्रोही नहीं माना है। किसी भी जनतंत्र में प्रधान मंत्री जी की चुनाव याचिका के बहाने को लेकर इतना उधम मचाया गया। राजनारायण जी, चौधरी साहब और मोरारजी देसाई आदि नेता अगर किसी राष्ट्रीय मसले को लेकर अथवा सरकार की किसी नीति को लेकर कोई आन्दोलन चलाते तब भी समझने वाली बात थी कि उन्होंने देश की हालत को सुधारने के लिये यह आन्दोलन चलाया, लेकिन यह आन्दोलन चलाया गया प्रधान मंत्री की चुनाव याचिका पर। यह तो मान्य है कि आप किसी भी अदालत के फैसले को अंश के रूप में नहीं मान सकते हैं और आपको पूरा फैसला मानना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेन्ट दिया उसके अंश को तो आपने माना लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के स्टे वाली बात थी वह नहीं माना। मुझे याद है कि यू० पी० निवास में उन्होंने कहा था कि हमारे साथियों ने राष्ट्रपति भवन पर जाकर जो सत्याग्रह किया है उसमें चाहे पीलू मोदी जी हों, राजनारायण जी हों या कोई भी, यह एक गलत चीज है। मैं नहीं जानता कि 13 जून के बाद उनका क्या विचार बदल गया। लेकिन यह सही है कि जो तोड़ फोड़ की योजना बनाई गई थी, वह आज प्रकाश में आई है।

प्रधान मंत्री जी ने जो इमरजेन्सी लागू की और विरोधी दल के नेताओं को जो गिरफ्तार करवाया वह उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया था उन्होंने अपना स्वार्थ पूरा किया। मेरी निश्चित धारणा ही है कि उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया। स्थिति यह हो गई थी कि हिन्दुस्तान के चारों तरफ, बाहर और भीतर सी० आई० ए० का एक बड़ा जाल छा रहा था। उसके जरिये से बंगलादेश में तथा अन्य पड़ोसी मुल्कों में गड़बड़ी की जा रही है और यह भी ठीक है कि विरोधी दल के नेता उसी सी० आई० ए० के कारनामों से जो अमरीका सरकार करवा रही ह सम्बद्ध है। अपने सदन की बहुत सी कमेटियों में उस स्थिति को स्पष्ट भी किया गया है। क्या कोई कह सकता है कि उस सी० आई० ए० का हिन्दुस्तान के अन्दर हाथ नहीं है? जब हम देखते हैं कि हमारे देश के खिलाफ अमरीका, ब्रिटेन आदि जो भाषा बोलते हैं, जो साजिश करने की कोशिश करते हैं और उसमें हमारे विरोधी दल के नेता भी उन्हीं साजिशों में फंसते हैं तो इसकी खबर क्या प्रधान मंत्री को नहीं होगी? उसके पास हर प्रकार को मैशीनरी है। जब उन्होंने यह देखा कि हमारे हिन्दुस्तान की कुछ पार्टियां उन्हीं प्रतिक्रियावादी ताकतों से मिलकर हमारे देश की संवैधानिक सरकार के कार्यों को विफल करने का प्रयास कर रही हैं तो उनके पास इसके अतिरिक्त और कौन सा मार्ग रह गया है? क्या आप यह बता सकते हैं कि वह स्टेप जो उन्होंने ऐसी सूरत में लिया, गलत था?

मैं कहता हूं अगर माननीय नेता विरोधी दल की तकरीरों को पढ़ा जाय तो उन्होंने अपने भाषण में साफ कहा कि उन्होंने, जय प्रकाश जी ने जो फौजों और पुलिस से इस सरकार का हुक्म न मानने के लिये कहा वह सही था और भविष्य में भी वह कहेंगे। ऐसी हालत में वह प्रधान मंत्री या सरकार अपने फर्ज की अदायगी नहीं कर सकती जब विरोधी पक्ष चैलेंज के साथ कहें कि वह फौज और पुलिस से कहेंगे कि सरकार के अनुचित आदेश को वह न मानें। अब उचित और अनुचित का निर्णय कौन करेगा? किसी गांव में डकैती पड़ती है और जब इंस्पेक्टर पुलिस फोर्स लेकर जाता है और डकैतों को घेरने के लिये कहता है तो सिपाही कहें कि वह उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। पहले वह यह निर्णय कर लें कि उसका हुक्म उचित है या अनुचित है। इसी तरह से फोजें कमान्डर के आर्डर पर कहें कि पहले वह देखलें कि उसका आर्डर उचित है अथवा अनुचित। इस तरह के दृष्टिकोण से साफ जाहिर है कि आपकी कतई अपनी राजनीतिक शक्ति तथा संगठन से आशा नहीं रही है कि आप जनता का प्यार और वोट जीत सकेंगे, अपना बहुमत प्राप्त कर सकेंगे लेकिन आप आज उस रास्ते पर जमना चाहते हैं जिसको कोई भी सरकार किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह बात इस बात का प्रमाण है कि नेता विरोधी दल चाहे किसी भी पार्टी से सम्बन्धित रहे हों इतने दिन रहने के बाद अपने विचारों को बदल नहीं पाये हैं।

[श्री ईश्वरी सिंह]

चौधरी साहब ने साफ तौर से कहा अगर अहिंसात्मक तरीके से वह कुछ नहीं कर सकते तो हिंसात्मक कार्य करने में भी उनको कोई झिझक नहीं होगी । हम समझते थे कि माननीय नेता विरोधी दल गांधी और बिनोबा जी के अनुयायी हैं लेकिन जिन बातों को उन्होंने साफ मना किया है उन्हीं बातों को चौधरी साहब, मोरार जी करने को कहते हैं। कहां से उनको पैसा मिल रहा है ? सारी परिस्थितियों को देखने के बाद अगर प्रधान मंत्री इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि हमारे देश की प्रतिक्रियावादी ताकतें गलत साधन इस्तेमाल करके नाजायज फायदा उठाना चाहती हैं तो इसमें क्या गलती है ? प्रधान मंत्री ने अगर कड़ा रूख अख्तियार किया और उसके लिये अगर एमरजेंसी को लागू किया तो उसके लिये किसने बाध्य किया ? कांग्रेस वाले एमरजेंसी नहीं चाहते। हम एक मिनट के लिये किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहते । हम चाहते हैं कि वह देश के मसलों पर विचार करें और समस्याओं का समाधान निकालें ।

हम आशा करते थे नेता विरोधी दल से कि वे देश में और खास कर प्रदेश में जो आर्थिक समस्यायें हैं उनके बारे में बतलायेंगे। खेती की तरक्की उद्योग धन्धों की तरक्की के बारे में बतलायेंगे और आर्थिक नीति की समालोचना करेंगे लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ यह देख कर कि विरोधी दल के नेताओं में एक बौखलाहट है और वे निजी शिकवा शिकायतें करके इस सदन के समय को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो बात कही जाती है वह किसी भी आर्थिक नीति के बारे में नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने भी तो किसी दूसरे मुद्दे को नहीं छुआ। महामहिम राज्यपाल के भाषण के के ऊपर विचार व्यक्त करना था। आप चौधरी साहब के भाषण पर विचार व्यक्त करते रहे।

श्री ईश्वरी सिंह—

उनका सारा भाषण संगत नहीं है, असंगत है। लिहाजा सदन को उसे अस्वीकार करना चाहिये और धन्यवाद के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिये।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इस सदन में बड़े गौर से सुना और ध्यान से पढ़ा भी। राज्यपाल का अभिभाषण एक पालिसी स्टेटमेंट होता है जिसमें उन चीजों का उल्लेख किया जाता है जिन्हें सरकार अगले वर्ष करना चाहती है। महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसमें पिछले कामों की समीक्षा है और वह होनी चाहिये लेकिन साथ ही अगले कामों या अगली नीतियों और पालिसियों का उल्लेख भी उसमें होना चाहिये। उसकी उसमें कमी है। 4,5 बातों के ऊपर संकेत किया गया है जिन्हें सरकार अगले वर्ष करेगी और किसी नीति का उल्लेख नहीं है। इसका कारण यह है कि बहुगुणा मंत्रिमंडल गिरने के बाद जब यहां पर राज्यपाल महोदय का शासन लागू किया गया तो उस पौने दो महीने के समय के अन्तर्गत ही राज्यपाल महोदय ने इतने पालिसी स्टेटमेंट दे डाले कि अब उनके पास पापुलर गवर्नमेंट बनने के बाद कोई पालिसी स्टेटमेंट देने को बाकी न रहा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि जब पापुलर गवर्नमेंट आयेगी तो उसमें कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं और शायद वह उसे पसन्द न करे। इन्हीं चीजों का लिहाज करते हुये उन्होंने बड़ी नीतियों का उल्लेख अपने भाषण में नहीं किया है।

राज्यपाल महोदय के शासन के कार्यकाल में एक बात और हुई। पूरे प्रदेश में हलचल मची थी। अधिकारियों के तबादले इधर से उधर किये गये। अगर ये तबादले इसलिये किये जाते कि प्रदेश में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको मजबूत किया जा रहा है तब तो अच्छी बात होती लेकिन हमने अनुभव किया कि इस तरीके से तबादले किये गये कि जो प्रगति का दौर चल रहा था उसमें रोड़े अटकाये गये। मान्यवर, उन्नाव एक ऐसा जिला है जो जमीन के बंटवारे के सम्बन्ध में प्रदेश में सर्व प्रथम है। वहां के जिलाधिकारी का तबादला किया

गया वहां के जिलाधीश ने राज्यपाल से निवेदन किया कि 2 महीने मुझे वहां पर और रहने दिया जाय ताकि हमने जो भूमि के बंटवारे का काम शुरू किया है, वह पूरा हो जाय। लेकिन फिर भी उनका तबादला कर दिया गया। इससे उन्नाव जिले में इस काम में रुकावट आई है और इफीशियेन्सी में कमी हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी वहां गये थे और उन्होंने इस सम्बन्ध में वहां के अधिकारियों को फटकारा भी है। कमिश्नर जो जमीन के बंटवारे का अच्छा काम करते थे उनका तबादला कर दिया गया। लखीमपुर में जहां जमीन में बेटवारे का काम बहुत अच्छा चल रहा था वहां के जिलाधिकारी का तबादला कर दिया गया। ऐसा मालूम होता था कि जो काम हो रहा है उसमें रोड़ा अटकाने की कोशिश हो रही है। खैर, वह चेप्टर क्लोज हुआ, पापुलर सरकार आई और मैं समझता हूं कि काम ठीक तरीके से चलेगा।

मान्यवर, आपात्कालीन स्थिति की घोषणा देश में हुई। हमने इसका स्वागत किया। हमारी पार्टी ने इसका स्वागत किया और आज भी हम स्वागत करते हैं। हमारे देश में ऐसी स्थितियां पैदा की गई थीं जिससे देश में अराजकता पैदा हो रही थी। तोड़फोड़ को स्थिति पैदा की जा रही थी, गृहयुद्ध की स्थिति पैदा की जारही थी, सांप्रदायिक दंगे भड़काने की स्थिति पैदा की जारही थी। सामराज्यवादी अमेरिका चाहता है कि जो देश उसके पिछलग्गू नहीं है उनमें अनस्टेबिलिटी लाई जाय। उनको नीति रही है कि इस देश में आजादी खतरे में पड़ जाय। इस समय हमारे देश में एकता को खतरें में डालने की कोशिश हो रही थी यहां के जनवाद को खतरे में डालने का प्रयत्न हो रहा था इस लिये इमरजेन्सी लागू करनी पड़ी। आज कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इमरजेंसी लागू करने का कोई औचित्य नहीं था। शायद वे चाहते थे कि हिन्दुस्तान बंगला देश हो जाता और तब कह सकते कि इसका औचित्य है। लेकिन हिन्दुस्तान में बंगला देश जैसी स्थिति पैदा नहीं होने दी गई, यही इमरजेन्सी लगाने का औचित्य है। बंगला देश की घटनाओं के बाद आज भी देश भक्त लोग देश की आजादी और जनवाद से प्रेम करते हैं वह आज महसूस कर रहें है कि जो भ्रम उन्हें पहले इमरजेंसी के बारे में था वह सही नहीं था और इमरजेसी का लागू होना ठीक है। लेकिन हमारे बेचारे चौधरी साहब को एक शिकायत है कि इमरजेंन्सी लागू होने के बाद विरोधी पक्ष के करीब एक लाख 20 हजार आदमियों को जेल में डाल दिया गया और इतनी बड़ी संख्या में कभी लोंगों को जेल में नहीं डाला गया और आजादी के आन्दोलन में उन्होंने कहा कि करीब 60, 65 हजार लोंगों को सन् 1942 में जेल में डाला गया था।

लेकिन मान्यवर, वैसे तो चौधरी साहब की मैमोरी बहुत अच्छी है लेंकिन वह कभी-कभी जो उनके हित की बात नहीं होती है, उसे भूल जाते हैं। सन् 1970 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने भूमि आन्दोलन चलाया था कि सीलिंग कानून ठीक तरह से लागू नहीं हो रहा है। उस वक्त हमारे देश के कानून में एक गलत प्राविधान था कि सीलिंग से जो जमीन निकलेगी जब तक उसका प्रबंध नहीं हो जाता वह उन्हीं लोंगों के हाथ में रहेगी जिनके हाथ से वह निकली है। लिहाजा कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश में एक आन्दोलन चलाया जिसमें दो लाख किसान और मजदूर तथा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जेल में डाल दिये गये और उस समय चौधरी साहब ही उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। उन्होंने ही उत्तर प्रदेश के 25 हजार भूमिहीनों को जेल में डाल दिया था। वह क्यों डाल दिया था? इसलिये कि लखीमपुर में बिड़ला जी की सीलिंग की जमीन पर भूमिहीन कब्जा करने के लिये जा रहे थे। उस समय चौधरी साहब बिड़ला जी की जमीन की रक्षा में जुटे हुए थे। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के लोंगों को चेतावनी दी थी और कहा था कि जब वह कुछ आराम करना चाहते तो जेल जाने की बात करते हैं और सत्याग्रह करते हैं और उन्होंने कहा था कि भीखा लाल यह मत समझो कि जेल में पिकनिक करने को मिलगी। हम जेल में सड़ा देंगे। वास्तव में लखीमपुर मे वैसा ही हुआ। वहां पर राजा साहब ओयल की पुरानी घुड़साल जो अब जेल की एक वैरक है उसमें 100 आदिमयों के रहने की जगह थी उसमें 250 आदमियों को डाल दिया गया था मैं यह धृष्टता यह पूछने की आज उनसे नहीं कर सकता हूं कि आपकी 8 महीने की पिकनिक कैसी रही।

[श्री भीखा लाल]

मान्यवर, इस इमरजेंसी के बाद हमारे देश में एक नई चेतना पैदा हुई, एक नई लहर आई, एक नई जागृति आई और देश की तमाम प्रगतिशील ताकतें देश की रक्षा के लिए देश में समाजवाद लाने के लिए एक हुईं। इस प्रकार उनमें एक जबर्दस्त एकता पैदा हुई, जनवादी ताकतों को शक्ति मिली है कम्युनिस्ट पार्टी में और कांग्रेस ने मिल जुल कर एक अभियान चलाया। चाहे वह फासिस्ट विरोधी सम्मेलन के रूप में हो, चाहे वह भूमि सुधार सम्मेलन के रूप में हो और चाहे 20 सूत्री कार्यक्रम के इम्प्लीमेन्टेशन के रूप में हो। देश में जबर्दस्त एकता इनमें पैदा हुई वह जनता जो संप्रदायवादी पार्टियों के कारण गुमराह हो जाती थी उनको शिक्षित किया गया और देश को समाजवाद की मंजिल तक ले जाने के लिए एक बड़ी अच्छी चीज हुई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे है जिनको यह सत्ता फूटी आंखों नहीं सुहाती वे लोग जहां कहीं भी हैं वह इस एकता को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और उसके लिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे इसके लिए मैं अपने कांग्रेस के भाईयों से एक ही निवेदन करूंगा कि बहुत सी बातें ऐसी आयेंगी, हमारे आपके बीच में, जो जनवादी एकता कायम हुई है उसको तोड़ने के लिये की जायेगी। लेकिन हमको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। छोटी-मोटी बातों से उत्तेजना में आकर हमें इस बड़ी भारी एकता को नष्ट नहीं करना है।

सम्राज्यवादी ताकतों की गिद्ध-दृष्टि हमारे देश पर व देश की एकता पर लगी हुई है। वह इसे तोड़ने का बराबर कुचक्र रच रहे हैं। इस देश का दुनियां में एक सम्मानपूर्ण स्थान बना है। तीसरी दुनियां का एक नया अध्याय शुरू हुआ है और तेजी में शुरू हो रहा है और भारत उसमें नेतृत्व की भूमिका अदा कर रहा है यह अमेरिका को अच्छा नहीं लगता है। वह हिन्दुस्तान की स्थिति को गिराना चाहता है। आज हिन्दुस्तान की स्थिति बड़ी मजबूत और सम्मानपूर्ण है। हिन्दुस्तान ने अंगोला को मान्यता दी और उसको मान्यता देने के बाद दुनिया के देशों में होड़ लग गई उसे मान्यता देने में, विशेषकर पश्चिम और मध्य एशिया के देशों में। शायद वे इसका रास्ता ही देख रहे थे कि भारत मान्यता दे तो वह भी दे दें। पर आज यह बात साम्राज्यवादी ताकतों को और उनके इस देश में बैठे एजेन्टों को अच्छी नहीं लगती है।

मान्यवर, इमरजेन्सी के बाद 20-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा हुई। यह कोई नया कार्यक्रम नहीं है। कांग्रेस घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए, तो सब में यही लिखा हुआ है। जबलपुर में प्रधान मंत्री ने जो 10-सूत्री कार्यक्रम दिया था, उसमें भी यह बातें थीं। नरौरा में जो 13-सूत्री कार्यक्रम रखा गया था, उसमें भी यह चीजें थीं। लेकिन अब एक अन्तर यह है कि अब जिस संकल्प और जिस निश्चय और मजबूत इरादे के साथ इसको स्वीकार किया गया है और अमल पर जोर दिया जा रहा है उससे देश में एक नये वातावरण का निर्माण हुआ है, लोगों में एक नया आत्म-विश्वास पैदा हुआ है ऋण-मुक्ति का कार्य हुआ है, बन्धुवा मजदूरों को मुक्ति प्राप्त हुई है, लोगों को जमीन मिली है, ये सब अच्छे काम हुए हैं यद्यपि इसको लागू करने में सरकार उपयुक्त मशीनरी नहीं काम कर पाई है, फिर भी देश के गरीबों में, हरिजनों में और ऋणग्रस्तों में जो साहूकारों के ऋण से दबे हुए कराह रहे थे, एक आत्मविश्वास और अच्छा जोश पैदा हुआ है और उसमें आशा बंधी है कि सदियों से चली आ रही दासता से उनको मुक्ति मिलेगी, साहूकारों के कर्ज और शोषण से मुक्ति मिलेगी। साथ ही जमीन का बंटवारा शुरू हुआ है, जिसे हासिल करने के लिये कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत से आन्दोलन किए और बहुत कुर्बानियां दीं, जिसमें से एक का जिक्र अभी मैंने किया है। इससे सदियों से दासता में जकड़ा खेतिहर मजदूर गर्व से कहता है कि हम भी जमीन के मालिक हो गये हैं। एक हरिजन जिसकी झोपड़ी अपनी जमीन पर नहीं थी, जब जमीन वाले चाहते थे, उजाड़ देते थे, आज उसको मकान के लिये जमीन मिल गई है और वह गर्व के साथ कहता है कि अब हमारा भी अपनी ही जमीन पर मकान है।

इमरजेन्सी के बाद देश व प्रदेश में अनुशासन बढ़ा है। सरकारी कार्यालयों में, जनता में, शिक्षा संस्थाओं में, सभी में अनुशासन बढ़ा है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ कीमतों में भी ठहराव आया है और वे गिरी हैं। एक स्थिति वह थी, जब वे बेताहाशा बढ़ती जा रही थीं और बाजार में चीजें उपलब्ध नहीं थीं। आज चीजें बाजार में आसानी से मिल रही हैं। चोरबाजारी खत्म हो रही है। यह तो नहीं कहा जा सकता है कि बिलकुल खत्म हो गयी लेकिन खत्म हो रही है और बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं इसको खत्म करने के लिए। 20-सूत्री कार्यक्रम से यह बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। सरकार को एक ऐसी मशीनरी खड़ी करनी है जो इनको लागू करे, सख्ती से अमल करे। जहां एक तरफ आज की स्थिति के यह उजागर पहलू हैं वहीं कुछ नकारात्मक पहलू पर भी दृष्टि डालनी चाहिए। उनको भी दूर करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

इमरजेन्सी लागू होने के बाद कानून और व्यवस्था में सुधार आया, एक भय पैदा हुआ, कुछ गुन्डे, बदमाशों की पकड़-धकड़ शुरू हुई। लेकिन अब मालूम होता है कि वह बात अब धीरे-धीरे ढीली होती जा रही है। यह सरकार महसूस करती हो या न करती हो। आज डकैतियां और कत्ल बढ़ रहे हैं। आपके लखनऊ ऐसे शहर में महीने में 4-4, 6-6 कत्ल हो जाते हैं और पुलिस उनको पकड़ने में, पता लगाने में नाकामयाब है। इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। पुलिस के काम में रुकावट आयी है। शुरू में जो सतर्कता पैदा हुई थी वह अब नहीं है। पुलिस के जो फरायज, जो उसके कर्त्तव्य, जो इमरजेन्सी में होना चाहिए, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। वह समझते हैं कि उनको कुछ नए अधिकार मिल गए हैं और बात-बात में मीसा में बन्द करने की धमकी देते हैं। इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। ला ऐन्ड आर्डर में जो सरकार कहती है इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं इससे मैं सहमत नहीं हूं। प्रशासन में सुधार और अनुशासन आया है लेकिन वह निचले स्तर पर आया है। उच्च नौकरशाही में इस इमरजेन्सी में और इस बीस-सूत्री कार्य क्रम में और उसके कर्त्तव्यों में जितना असर आना चाहिए उतना नहीं आया है। जिस तरह से उनको अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, उस तरह से नहीं हो रहा है और आज जो भ्रष्टाचार के उन्मूलन की बात हो रही है, प्रशासन को स्वच्छ करने की बात हो रही है, इस तरह से हमारे बड़े अफसरों को ध्यान देना चाहिए जो आज नहीं दिया जा रहा है।

दो दिन पहले कृषि मन्त्री जी इसी सदन में जवाब दे रहे थे कि एक कर्मचारी द्वारा मुफ्त बांटने वाली खाद बेची गयी और उस कर्मचारी का तबादला कर दिया गया और उसके करेक्टर रोल में इन्ट्री कर दी गई। कृषि मन्त्री ने खुद स्वीकार किया कि वे इससे सन्तुष्ट नहीं हैं। क्यों उन अफसरों के दिमागों को बदलने की कोशिश नहीं की जाती है? वह समझते हैं कि हमारे कुछ अधिकार बढ़ गए हैं, कर्त्तव्य नहीं। इसी इमरजेन्सी के टाइम में मिस-यूज भी हुए हैं, राइट्स के। मैं कोई अधिकारी या कर्मचारी, जो देश में बैन की गई घातक संस्थाओं या पार्टियों से सम्बन्धित है या उनकी विचार धारा से प्रभावित है, और उनमें भाग लेता है, तो उनको सर्विस से निकाल दिया जाय। क्या इस सन्दर्भ में कोई ऐसा कर्मचारी या अफसर को प्रदेश में सर्विस से निकाला गया है? आज भी बहुत से आर0एस0एस0के लोग, आर0 एस0एस0 की विचारधारा को मानने वाले लोग ऊंचे-ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। क्या सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जाता? कोई स्क्रीनिंग का काम नहीं हो रहा है। एक दो परसेन्ट तो निकालो इग्जाम्पुल के तौर पर ताकि बाकी तो लोग डरें। इस तरह से मान्यवर, इमरजेन्सी का दुरुपयोग हो रहा है। इमरजेन्सी के खिलाफ जुलूस निकाला गया। श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का पुतला जलाया गया। रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर में पुतला जलाया गया। लेकिन वहां के अधिकारियों ने तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लिया। जब तक वे अपने गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुंच गए तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ऐसी अनेकों मिसालें मौजूद हैं। फैजाबाद की मिसाल है, देहरादून की मिसाल है।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

गाजियाबाद में भी ऐसा ही है।

श्री भीखालाल—

हमारे कांग्रेसी साथी बता रहे हैं कि गाजियाबाद में भी ऐसा हुआ। सरकार ने क्या कदम उठाया चौधरी साहेब ने बतलाया कि इतने अधिक आदमी पकड़े गये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि बहुत कम आदमी पकड़े गये।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

मान्यवर, ये देशद्रोही कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय बांके लाल जी बैठने की कृपा करें। बगैर स्वीकृति के बोलना और हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, मैंने कई मिसालें दीं। पर्चे निकल रहे हैं, अखबार निकल रहे हैं और बेबुनियादी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। नौकरशाही का एक हिस्सा उन बातों को जानता है लेकिन उनको पकड़ने का कोई प्रयास नहीं है। मुझे एक पर्चा देखने को मिला। सम्भवतः बनारस से निकला है। उसमें लिखा था कि पश्चिम में यह हो रहा है। उसी पर्चे में मान्यवर, मेरे उन्नाव जिले का भी जिक्र आया। लिखा है कि मोहान में विद्यार्थियों पर अत्याचार किया जा रहा है लेकिन हुआ कुछ नहीं। बस्ती में मेहतरों ने जलूस निकाला और अपनी यूनियन के माध्यम से मांग कर रहे थे कि उनकी बकाया तनख्वाहें दी जायं। उनके तीन नेताओं को डी0 आई0 आर0 में बन्द कर दिया गया और झूठी रिपोर्ट लिखाई गयी कि उन लोगों ने म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर पर कब्जा कर लिया। क्या सरकार इसको जानती नहीं है? हाथरस में एक डिग्री कालेज है उसका पूरा मैनेजमेंट आर0 एस0 एस0 का है, प्रिन्सिपल भी आर0 एस0 एस0 का है वहां पर यूथ कांग्रेस के विद्यार्थियों को तथा विद्यार्थी फेडरेशन के लड़कों को कालेज में भर्ती नहीं किया गया। यूथ कांग्रेस के लड़कों ने वहां पर 20-सूत्री कार्यक्रम का बोर्ड लगाया तो उसको हटा दिया गया और कहा गया कि इसकी वहां पर क्या जरूरत है। इसी तरह से और भी जगहों पर किया गया। हमारे उन्नाव जिले के मोहान कालेज में भी आर0 एस0 एस0 का गढ़ है। वहां पर 10 अध्यापक आर0 एस0 एस0 की ट्रेनिंग पाये हुए हैं। वहां के वाइस प्रिसिपिल पक्के जनसंघी हैं और जनसंघ के टिकट पर चुनाव भी लड़े हैं। यही नहीं उन्नाव में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें कालिज के विद्यार्थी और अध्यापक लोगों को भेजा गया था। उनमें से 2–3 अध्यापक और 2–3 विद्यार्थी पकड़े भी गये थे लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे लोग अपना काम भी कर रहे हैं और उस स्कूल को सरकार से पैसा भी मिल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि कांग्रेस अपनी पार्टी की स्ट्रेन्थ को बढ़ाने के लिये गलत सलत आदमियों को भर्ती कर रही है। इस पर रोक लगनी चाहिये। उन्नाव का यह मोहान इन्टर कालेज आर0 एस0 एस0 का गुट बना हुआ है और आर0 एस0 एस0 के जो कार्यकर्ता हैं वे काली टोपी छोड़ कर सफेद टोपी पहनने लगे हैं और यूथ कांग्रेस में भर्ती हो गये हैं।

पिछले महीने की 24 तारीख को माननीय विजय कुमार त्रिपाठी जी जो सहकारिता मंत्री हैं उनको वहां पर बुलाया गया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वे जब वहां पर गये तो तुरन्त ही लौट आये और सभा में भाषण नहीं दिया और न उनका स्वागत स्वीकार किया। ऐसे लोगों की ओर आपको ध्यान देना चाहिये ताकि उन लोगों को किसी प्रकार का बढ़ावा न मिले।

इस इमर्जेन्सी के दौर में हमारी प्रधान मंत्री ने और भारत सरकार ने आवाहन किया है कि देश में उत्पादन बढ़ना चाहिये। हमारा मजदूर वर्ग जो औद्योगिक मजदूर है उसने इस नारे का हार्दिक स्वागत किया है। नतीजा यह हुआ कि आज पब्लिक और प्राइवेट,

दोनों सेक्टरों में, उत्पादन बढ़ा है। इस दौरान में उन्होंने अपनी कठिनाइयों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हड़ताल वगैरह से दूर रहे और उत्पादन बढ़ाया लेकिन सरकार की ओर से उन पर हमला होता है। उनके बोनस की कटौती की गई और मिल मालिकों को उसका फायदा पहुंचाया गया। मैं माननीया राजेन्द्र कुमारी जी से जो कि श्रम मंत्री भी हैं, निवेदन करूंगा कि आज का औद्योगिक मजदूर सबसे ज्यादा पोलिटिकल कान्शश मजदूर है। यह आज सरकारी संस्थानों का प्रहरी है। आज जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर के संस्थान हैं या जहां पर भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे वह सार्वजनिक निर्माण का कार्य हो, उन सब में इन्जीनियरों द्वारा सरकारी सम्पत्ति की खुली लूट बड़े पैमाने पर हो रही है और इसके द्वारा सामान की चोरी हो रही है। मेरे पास एक बड़ी लम्बी सूची है जहां-जहां पर चोरी पकड़ी गई है। अगर कहीं पर किसी छोटे कर्मचारी ने चोरी को पकड़ा, चोरी की सूचना दी तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। उसे लम्बे तबादले पर भेज दिया जाता है जैसे देवरिया से चमोली भेज दिया जाता है। इनके मेरे पास रिकार्ड्स हैं और फोटो स्टेट कापियां हैं कि किस-किस प्रकार से कारखानों से सीमेंट के बारे चोरी जाते हैं गधों पर लाद कर। नीचे सीमेंट रहती है और ऊपर कोयले का कचरा ढाल दिया जाता है और जैसे ही जिस मजदूर ने उसे पकड़ा तो उसे पीटा जाता है, उसे मारा जाता है और उसका तबादला कर दिया जाता है। लेकिन जिस इन्जीनियर या बड़े अधिकारी ने वह माल निकाला था वह वहीं पर मौजूद है उसका बाल बांका नहीं होता। आपको मजदूरों को अपने कान्फिडेन्स में लेना पड़ेगा राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा के हित में। उसे आपको अपने विश्वास में लेना पड़ेगा क्योंकि वह देश की रक्षा का प्रहरी है और पोलिटिकली कॉन्शस है।

मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ जिम्मेदार लोग इन मजदूरों से कहते हैं कि तुम्हारी सर्विस रूल्स में यह कहां लिखा है कि तुम चोरियां पकड़ो, तुम्हें इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहिये। ऐसी बात राष्ट्रीय सम्पत्ति की जो क्षति हो रही है इसको रोकने की बात नहीं है बल्कि बढ़ावा देने की बात है। इससे मजदूर का मनोबल गिरता है और चोरों का मन बढ़ता है। इसी तरह से किसान ने इस देश के आवाह्न पर अपना उत्पादन बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं रखी। अन्न का उत्पादन बढ़ा है। लेकिन इस वक्त जो किसान की हालत है उस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। मूल्यों में गिरावट आयी है लेकिन असंतुलित आयी है। जितनी किसान की उत्पादन की चीजें हैं उनके दाम तो गिरे हैं लेकिन जो औद्योगिक उत्पादन की चीजें हैं उनके दाम नहीं गिरे हैं। दूसरी तरफ जो किसान के उत्पादन में सहायक चीजें हैं उनके दाम बढ़ गये। जैसे सिंचाई के रेट बढ़ गये, फर्टिलाइजर के जो रेट बढ़ गये थे वह घटे नहीं, बिजली के रेट बढ़ गये। इसलिये आज किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये और कीमतों में संतुलन कायम करने के लिये सख्त कदम उठाये जाने चाहिये।

श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इसके पहले भी 10 मिनट का समय दिया गया और आपको (श्री भीखालाल) अब 32 वां मिनट होने जा रहा है. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। वह कम्युनिस्ट दल के नेता हैं। नेता की हैसियत से बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भीखालाल—

एक बात मैं सरकार से जमीनों के बंटवारे के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार का दावा है कि हमने साढ़े 16 लाख एकड़ जमीन बांट दी है। लेकिन उसमें व्यवधान पड़ गया। उस काम को जारी रखना चाहिये। पहले तो यह तय हुआ था कि 8 परसेंट जमीन गांव समाजों की भी बांट दी जायगी। अब यह तय हुआ है कि यह जमीन बांटी जायगी और जमीनों का बटवारा रोक दिया गया है। इसका जल्दी से फैसला कर के बंटवारा

[श्री भीखालाल]

पुनः चालू किया जाय। सीलिंग के लागू करन में काफी कोताही हो रही है। कुछ अड़चनें हैं हमारी आदलतों के जरिये से भी, कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं, कुछ और भी दबाव हैं। सदन सबकी उपेक्षा कर के सरकार को आगे बढ़ना चाहिये। अब तक की प्रगति उत्साहवर्धक नहीं है। 1960 में सीलिंग का कानून पास हुआ था और सरकार का कहना है कि तब से अब तक केवल 82 हजार हैक्टर जमीन सरप्लस पायी गयी जिसमें जिसमें 78 हजार हैक्टर पर सरकार को कब्जा मिला और 54 हजार एकड़ जमीन का बंटवारा हो गया। जहां करीब साढ़े 4 करोड़ एकड़ जमीन पर कृषि होती हो वहां पर कोई उत्साहवर्धक चीज नहीं है। और जो संशोधित कानून 1973 का है उसके बाद क्या प्रगति हुई उसके कोई आंकड़े नहीं हैं।

आखिरी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी हाल ही में सरकार ने प्रदेश के पैमाने पर 20 सूत्री कार्यक्रम के लिये एक इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी बनायी। इसके गठन के लिए सिद्धान्त यह घोषित गया था कि इनमें ऐसे लोगों को रखा जायगा जो 20 सूत्री कार्यक्रम में विश्वास रखते हों और जो उसके अमल करने में पूरी तौर से सहयोग दें। लेकिन मुझे बड़ा दुःख है और सरकार से शिकायत है कि जो 17 आदमियों की कमेटी बनी है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का नुमाइन्दा नहीं रखा गया। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके मुकाबले में हमारी बहुत छोटी पार्टी है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 20-सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कम काम नहीं किया है और इसके गवाह आपके मंत्रिमंडल के सदस्य माननीय स्वामी प्रसाद सिंह जी हो सकते हैं, क्योंकि जहां कहीं वह गये कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने उनको गलतियां बतायीं, उन्होंने पकड़ा और कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने सही सूचना दी। मुझे आपके मंत्रियों से भी शिकायत है। मुख्य मंत्री जी ने हर मंत्री के जिम्मे 1-1, 2-2 जिले कर दिये हैं 20-सूत्री कार्यक्रम का सुपरवीजन करने के लिये। लेकिन कहीं से भी कोई सूचना नहीं मिलती है कि कहीं कोई मंत्री गये हों और भूमि के बंटवारे में कोई गलती पकड़ी हो सिवाय माल मंत्री स्वामी प्रसाद जी और उनके मंत्री वर्मा जी के जो 2-1 जगह गये हैं और गलतियां पकड़ी हैं।

क्या अन्य मंत्रियों का काम सुपरवीजन करना नहीं है? क्या उनका काम इतना ही है कि जिलाधीश जलसा बुलावें, वहां वे जावें और स्वागत करावें और फिर उनके हाथ से 100-200 पट्टे बंटवा दिये जायं या 10-20 काश्तकारों को कर्जे दिलवा दिये जायं या बीज और दूसरे साधन दिलवा दिये जांय, उसी से काम इनका समाप्त हो गया। क्या जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से माल मंत्री जी गांवों में गहराई के साथ जाकर किसी गलती को ढूंढते हैं उसी तरह से वे भी गलतियों को ढूंढें? क्या जरूरी नहीं है कि जब वे जलसा अटेंड करें उसके बाद वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं व दूसरे लोगों से मिलें और जानने की कोशिश करें कि कहां क्या गड़बड़ी है? और जहां कहीं गड़बड़ी हो, मौके पर जाकर उसका मुआयना करें। अभी मैंने एक रोज पढ़ा कि डाक्टर चरण सिंह जी दौरे पर हरदोई गये हुए थे। उनको वहां के किसानों और जन प्रतिनिधियों ने करीब 1 हजार दरख्वास्तें दीं कि यहां जमीनों का बंटवारा गलत ढंग से हुआ है। क्या डाक्टर साहब का यह फर्ज नहीं था कि दो दरख्वास्तें ही उनमें से निकाल लेते और गांव में पहुंच कर उसकी जानकारी करते कि वास्तविकता क्या है? नतीजा यह हुआ कि उसके तीसरे दिन ही वहां के जिला मैजिस्ट्रेट ने बयान निकाल दिया कि जो दरख्वास्तें दी गयी थीं वे सब बिलकुल गलत थीं और जो कुछ जन प्रतिनिधियों ने कहा वह सब गलत था। इस प्रकार की भावना को दूर करने के और काम को ठीक चलाने के लिये मंत्री लोग कार्य प्रणाली बदलें। साथ ही यह भी आवश्यक है राज्य स्तर पर बनाई गई इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी में तथा जिला व ब्लाक स्तर पर बनने वाली कमेटियों में कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बरों को रखने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाय और उनको रक्खा जाय। यही शब्द कह कर मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के सम्बन्ध में आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और नेता विरोधी दल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उस संशोधन का विरोध करता हूं। मान्यवर, इसके पहले कि मैं उस प्रस्ताव और संशोधन के बारे में अपने विचार प्रकट करूं, मैं अपनी एक असमर्थता प्रकट कर देना चाहता हूं, मैं चौधरी चरण सिंह को डाक्टरेट की उपाधि नहीं दे सकूंगा।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

वह बे पढ़े लिखों को मिलता है, पढ़े-लिखों को नहीं।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, 8 महीने के गहन अध्ययन के बाद इस हाऊस में कल जो उन्होंने भाषण दिया, उसे मैं यह समझता हूं कि यह थीसिस का एक लघु संस्करण था और कुछ नहीं। और यह थीसिस वह थीसिस थी जिसे इस देश की जनता ने 1971 में रिजेक्ट कर दिया था।

(चौधरी चरण सिंह के द्वारा अपने स्थान से उठ कर चलने पर)

चौधरी साहब, सुन तो लीजिये।

चौधरी चरण सिंह—

कोई अक्ल की बात कहो, तो सुनूं। यह कोई बहस है।

(व्यवधान)

श्री भगवती सिंह विशारद—

मैं बड़ा ही आभारी हूं चौधरी साहब का कि वे मेरी बात सुनने के लिये रुक गये। उसी कंटेक्सट में एक बात मैं यह कह दूं कि उसी थीसिस ने 1974 में रिऐक्ट किया। मान्यवर, यह मानव स्वभाव है कि जब उसके सामने कोई कथानक या घटना का कोई चित्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसके विचार में उसका भूत, वर्तमान और भविष्य निश्चित रूप से आ जाता है। जब मैंने चौधरी चरण सिंह जी की स्पीच सुनी तो मेरे सामने .....

चौधरी चरण सिंह—

उपाध्यक्ष जी, मुझे 3 बजे काम था इसलिये मैं जा रहा था।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उन्होंने जो सारी बातें कहीं उसके सन्दर्भ में मेरे सामने वे सब दृश्य अपने आप सामने आने लगे जब कि देश में सबसे पहले हिन्दुस्तान की आजादी की ज्योति कैसे जली थी। हमारे सामने वह दृश्य आने लगे, इतिहास के वह पन्ने हमारे सामने आने लगे जब महाराज तिलक की वाणी मुखरित हुयी कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उस चित्र के साथ ही महात्मा गांधी का अभ्युदय हुआ और उन्होंने इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किया। सन् 1921, सन् 1930-31 और 1941-1942 में उन्होंने आन्दोलन चलाकर हमारे देश को आजाद किया। मान्यवर, आजादी की प्राप्ति के बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में हमने अपने देश के संविधान का निर्माण किया और हमने अपने देश को गणतंत्र घोषित किया और उसी आधार पर देश में पंचायत से लेकर संसद तक और संसद से लेकर ग्राम पंचायत तक एक पंचायत राज की स्थापना की। मान्यवर, इस बीच हमारे देश के ऊपर कई हमले हुये, हमारे देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली को नष्ट करने के लिये हमारे देश के ऊपर विदेशियों के कई हमले हुये जिनका कि हमने मुंहतोड़ उत्तर दिया और अपने देश की एकता और अपने देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवती सिंह विशारद]

सन् 1971 में क्या स्थिति थी और चौधरी साहब ने जो चीजें प्रस्तुत की थीं उस संबंध में मैं निवेदन कर दूं। वह कह रहे थे कि हमारे अपने देश की प्रधान मंत्री ने मुझे जेल भेज दिया। चौधरी साहब तो इस समय यहां हैं नहीं। मैं अपनी भविष्यवाणी के लिये अपने को धन्यवाद देता हूं। जिस दिन भारतीय क्रांतिदल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी मिल रहीं थीं तो सोशलिस्ट पार्टी के मित्रों ने मुझसे कहा कि विशारद जी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैंने जो प्रतिक्रिया जाहिर की थी वह यह थी कि दोनों पार्टियों के मिलने से जो पार्टी बनेगी उसके नेता को निश्चित रूप से जेल जानी पड़ेगी। हमारे मित्रों ने हमसे पूछा, क्यों यह कैसे कह रहे हो? मैंने कहा कि राज नारायण की कृपा रहेगी तो चौधरी साहब को निश्चित रूप से जेल जाना पड़ेगा। मान्यवर, मुझे खुशी नहीं है कि उनको दोष नहीं दिखायी पड़ता, लेकिन मुझे दिखायी पड़ रहा है। जब इस तरह का गठबंधन होगा और विचारों में साम्य नहीं होगा, लोग एकत्र होंगे तो वही दुर्दशा होगी जो हमारे नेता विरोधी दल की हुयी है। मान्यवर, उनकी शिकायत यही है कि हमारे देश में सेंसर लगा हुआ है। प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है, प्रजातंत्र देश में नहीं हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि.....

श्री उपाध्यक्ष—

वह आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं तो आप किसको सुना रहे हैं?

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, थोड़ी बहुत उन तक पहुंच जायं। भाषण, कई भाषण हुये चाहे राम-मूर्ति जी रहे हों या अन्य लोग रहे हों वही पाठ, वही पाठ किया गया। तो मान्यवर, मैं उसी पाठ के संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूं।

श्रीउपाध्यक्ष—

आप कहें।

श्री भगवती सिंह विशारद—

तो मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि इसके बाद सन् 74 में चुनाव हुये और यह जो पराजय हुयी, उसके बाद स्वाभाविक रूप से सारे राजनीतिक दलों में एक कुण्ठा जागृत हुयी और उस कुण्ठा के फलस्वरूप सारे विरोधी दलों ने यह कार्यवाही शुरू की कि वोट के जरिये अगर नहीं आ पाये हैं तो अल्पमत में चलेंगे। विद्यार्थी पढ़ना चाहते थे, वह चाहते थे कि स्कूलों में पढ़े लेकिन हमारे मित्र यह नहीं चाहते थे कि हम किसी तरह से उन विद्यार्थियों को पढ़ने दें। शिक्षक चाहते थे कि हम पढ़ावें लेकिन मित्र नहीं चाहते थे कि वह पढ़ावें। इस तरीके की परिस्थिति पैदा कर दी गयी थी। इस तरह जिसको प्रजातंत्र कहते हैं उसका गला घोंट रहे थे उसी के परिणामस्वरूप मित्रों को जेलखाने जाना पड़ा। उसके बाद प्रधान मंत्री ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। आपतकालीन स्थिति की घोषणा से इमारे देश में क्या प्रतिक्रिया हुई और जनसाधारण को क्या लाभ हुये उसके सम्बन्ध में मैं कुछ सज्जनों की बात को निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, जैसे ही अखबार में छपा कि जय प्रकाश नारायण पकड़े गये और दूसरे नेता पकड़े गये तो एक वृद्ध सज्जन मुझसे मिलने आये। उन्होंने कहा कि सब नेता पकड़े गये। तो मैंने कहा कि 5–10 दिन में छूट जायेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं यदि इंदिरा गांधी तक हमारी बात पहुंचा दें कि नेताओं को साल दो साल निश्चय ही जेलखाने में रखें। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि कानपुर से लखनऊ रेलगाड़ी में जाना पड़ता था तो डेली डांट खानी पड़ती थी लेकिन अब समय से ट्रेनें चलती हैं तो डांट नहीं खानी पड़ती है। पहले चीजें महंगी और यहां तक कि मिलती नहीं थी लेकिन अब मिल भी रही ह और सस्ते दामों पर मिलती है। इसलिये एमरजेन्सी को जून से पहले अप्रैल में लागू होना था। मैंने कहा क्यों? उन्होंने

कहा कि उस समय हमारी लड़की की शादी थी तो शकर 5 रु0 किलो खरीदा था और अब शकर 4 रुपये में मिल रही है। इसका तात्पर्य यह था कि इमरजेन्सी से देश का शासन सुधरा; लोगों में कार्य करने की प्रवृत्ति पैदा हुई है और लोगों में अनुशासन आया है। वह चाहते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरे और उत्पादन में वृद्धि हो। इस संदर्भ में प्रधान मंत्री ने 20-सूत्री कार्यक्रम को घोषित किया है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसको यदि देखें तो 20-सूत्री कार्यक्रम का प्रतिबिम्ब परिलक्षित होता है। मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि यदि प्रदेश ने 20-सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने में सरकार को योगदान देकर चलाया तो समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आप जानते है सामाजिक कार्यकर्ता ही ऐसा वातावरण पैदा कर सकते हैं और यह सबसे अधिक अधिकारी और कर्मचारी पर है। लेकिन मैं बहन जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजकीय कर्मचारी और अधिकारियों में इस 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने में जो ललक होनी चाहिये वह नहीं है। हम इन लोगों को 3 हिस्सों में बांटने के लिये तैयार हैं। एक तो वह जो चाहते हैं कि 20-सूत्री कार्यक्रम पूरा हो और इसके सहारे देश की प्रगति हो। दूसरे वह हैं जो चाहते हैं कि जैसी स्थिति है वैसी ही रहे और सुधार नहीं चाहते हैं। दुख की बात है कि तीसरे कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो 20-सूत्री कार्यक्रम से उल्टा आचरण कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री और विद्युत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें। आपातकालीन स्थिति का जितना असर दिल्ली में हुआ है उतना लखनऊ में नहीं हुआ है और जितना लखनऊ में हुआ है, उतना गावों में नहीं हुआ है। इसलिये यदि यहां आर्थिक कार्यक्रमों को सफल बनाना चाहते हैं तो जो इमरजेन्सी का वातावरण है उसको सही ढंग से कार्यान्वित करें जिससे अच्छे परिणाम हमारे सामने आ सकें।

*श्री राजब्रजराज सिंह (जिला खीरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष के लोग एवं विपक्ष के साथियों, इसके पूर्व कि आज के इस अहम मसले पर कुछ कहें मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत उठक-बैठक के बाद मुझे बोलने का मौका दिया। इस वक्त देश और प्रदेश में जो भयंकर और भयावह परिस्थिति चल रही है उससे आप सभी भली-भांति परिचित हैं। इस वक्त इस देश में, विशेषकर इस प्रदेश में, जनता की जो करुण कथा व संतप्त हृदय की व्यथा है उसका जितना बखान किया जाय वह कम है। हमारे कम्युनिस्ट भाई लोग जो जोर जुर्म हो रहा है उससे ज्यादा पूर्णरूप से विदित नहीं है क्योंकि वह मानते हैं कि सरकारी नजरिया नरम है और अभी काफी लोगों को जेल में भरने की जरूरत है। उन साथियों को यह विचार मुबारक हो।

मैं श्रीमन्, आपको याद दिलाना चाहता था कि सन् 1942 और उसके पहले भी आन्दोलन हुए। वह अंगरेजों का जमाना था लेकिन तब भी उतनी जेलें नहीं भरी गयीं जितनी कि आज भरी गयीं। हो सकता है कि जनसंख्या बढ़ गयी इसलिये उसके अनुपात में जेलें भरी गयीं। हमारे बहुत से कांग्रेस साथियों ने कहा कि ला ऐन्ड आर्डर की स्थिति खराब हो गयी थी इसलिये मीसा और डी0 आई0 आर0 लाना पड़ा। मैं आपके सामने यह पेश कर रहा हूं। रियासत हुसेन जो कि सेक्रेटरी थे कांग्रेस के, उन्होंने जो कहा वह 4-6-75 को प्रकाशित हुआ था पायनियर में :

"The law and order situation in U. P. is deteriorating because most of the political leaders of the ruling Congress are encouraging anti-social elements for their personal ends"

जो सच्चाई है उसको कहने में जुर्म नहीं, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों। सच्चाई मानना और स्वीकार करना बहुत उत्तम चीज है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज ब्रजराज सिंह]

लोगों ने जोर जुर्म का विरोध किया और प्रधान मंत्री के विचारों से जिनके विचार भिन्न थे उनको क ा परिणाम भुगतान पड़ा।

नई दिल्ली की 19-6-75 की न्यूज है :

"Some prominent young Turks including Mr. Mohan Dharia, Mr. Chandrasekhar and Mr. Krishna Kant, stayed away from the Congress Parliamentary Party meeting here this evening. Mr. Ram Dhan, General Secretary of the CPP and Mrs. Laxmikanthamma were also absent. It is understood that their absentation was in protest against the declaration in the resolution that Mrs. Gandhi's "continued leadership as Prime Minister was indispensable."

पांच-छः आदमी जेल में भर दिये गये और यदि कोई और हिम्मत करता तो उसका भी यही हस्र होता। जो भी ऐसे विचारों के लोग थे वह जेल में सड़ रहे हैं। अगर इन्दिरा रिजीम में इसी तरह से चलता रहा तो शायद लोगों का संसदीय प्रणाली से विश्वास उठ जायगा। जो सत्याग्रह या और तरीके हैं उनमें विश्वास छोड़कर लोग कोई अन्य रास्ता अपनायेंगे।

मान्यवर, डेमोक्रेसी के लिये तीन आवश्यक तत्व होते हैं और जो हमारे राजनैतिक नेता हैं उनके भी यही विचार हैं, एक तो निस्पक्ष न्यायपालिका, दूसरे स्वतंत्र समाचार पत्र और तीसरे सशक्त विरोधी दल। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेज का सुपरसेशन हुआ। सरकार से जो जजेज इत्तिफाक नहीं करते थे उनको सुपरसीड कर दिया गया और दूसरे को बैठाला गया। यही नहीं मिलिट्री में भी यही हुआ। ऐसा करना डेमोक्रेसी की न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ है। जब जजेज के साथ ही न्याय नहीं है तब इसका अन्त कहां होगा? दो तीन दिनों से सेन्सर के बारे में भी यहां पर बहस हो रही है। सेन्सरशिप के ऊपर बड़े जोर के साथ प्रहार किया जा रहा है। सेन्सरशिप इतनी कठोर है, इतनी सख्त है कि कोई भी विरोधी दल यदि कोई ठोस सुझाव भी देता है या अपनी राय व्यक्त करता ह तो उसको रोक दिया जाता है, वह प्रकाशित नहीं हो सकता। क्या डेमोक्रेसी का यही तकाजा है? जो पार्लियामेंट और संसद है वहां पर प्रोसीडिंग्स छपती हैं, वहां पर जो लोग अच्छी बातें कहते हैं, ठोस सुझाव देते हैं उनको छापा जाता है। मेरा यह निवेदन है कि सरकारी पक्ष को यहां भी इसी प्रकार से विचार करना चाहिये। जो चीजें आपत्तिजनक हैं, हानिकारक हैं या उनसे किसी प्रकार का विद्रोह हो जाने की आशंका है या फिर झगड़ा फसाद का जिनसे बढ़ावा मिलता है उसको, आप न छापें। लेकिन सशक्त सुझावों को आप प्रकाशित होने दीजिये, जो देश के हित में बातें हैं उनको आप प्रकाशित होने दीजिये। स्वस्थ प्रजातंत्र की रक्षा के लिये और संसदीय प्रणाली को चलाने के लिये इस प्रकार की बातों का प्रकाशित होना आवश्यक है।

आज की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वह यदि मैं कहूं कि वह अध्यादेशों और आदेशों की गवर्नमेंट है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे यहां का शासन आज अध्यादेशों के द्वारा किया जा रहा है। संसद चला करती है लेकिन फिर भी अध्यादेश आ जाते हैं। संसद के 10, 5 दिन पूर्व आरम्भ होने के भी अध्यादेश जारी हुआ करते हैं। मेरा यह विचार है कि यह प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है।

जो मीसा और डी0 आई0 आर0 की बात है इस सम्बन्ध में यह कहना है कि इस वक्त देश और प्रदेश में हजारों कैदी मीसा और डी0आई0 आर0 में जेलों में भर दिये गये हैं। कभी इन्दिरा जी ने भी इस बात को कहा था कि मीसा और डी0 आई0आर0 राजनैतिक कैदियों और बन्दियों के लिये नहीं होगा। लेकिन आज उन्हीं के खिलाफ इसका प्रयोग किया जा रहा है। जब तक किसी नेता का यह इरादा बदल न जाये कि वह अपनी पार्टी को छोड़ देगा या उसका वह एलान न कर दे उस वक्त तक राजनैतिक बन्दी को मुक्त नहीं किया

जा सकता है। क्या प्रजातंत्र का यही तकाजा है? मान्यवर, आज विरोधी पार्टियों के खिलाफ झूठे केसेज लगाये जा रहे हैं, वह क्या उचित है? प्रजातंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उस देश में सशक्त विरोधी दल हो। आपको जानकर खुशी होगी कि विरोधी दल चार पार्टीज को मिला कर एक हो गया है और यदि आपने इसी तरह से ज्यादतियां कीं तो आज जो 155 की स्ट्रेंग्थ है वह बढ़ कर ढाई सौ हो जायगी। नेहरू जी इस देश के नेता थे, देश के रहनुमा थे। नेशनल हेराल्ड में उनके पहले से छपा करता था "फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड विद आल योर माइट" आज इसे छापने से निकाल दिया गया। ईमानदारी का तकाजा तो यह है कि इसे छापा जाय। फिर डिसिप्लिन एंड डेमोक्रेसी की नई परिभाषा मेरी समझ में नहीं आती, यह डेमोक्रेसी नहीं तानाशाही है। इन्दिरा जी डिसिप्लिड डेमोक्रेसी की बात करती हैं तो यह लोकतंत्र है अथवा राजतंत्र है। असल में तो यह इन्दिरातंत्र है, लोकतंत्र नहीं है।

"इन्दिरा नचा रही है कांग्रेस को अपनी तान पर,
इनके दिमाग अब जा रहे हैं आसमान पर।
इस कांग्रेस राज्य में जमीन कैद है, आसमान कैद है,
भारत का भूत कैद है, भविष्य, वर्तमान कैद हैं।"

मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि स्थितियों को देख कर यह सोचने के लिये हम मजबूर हैं कि प्रजातंत्र की जो दुहाई देने वाले हैं प्रजातंत्र के जो रक्षक ऊंचे से ऊंचे स्थान पर आसीन हैं वे ही आज प्रजातंत्र पर प्रहार कर रहे हैं और देश ही नहीं विदेश भी इन चीजों को देख कर इस सरकार को धिक्कार रहे हैं।

श्री रामनारायण पाठक (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। राज्यपाल महोदय ने जिन रचनात्मक कार्यों के बारे में उल्लेख किया है उनके सम्बन्ध में कुछ न कह कर विरोधी दल के नेताओं ने इधर-उधर की बातें कहीं। राज्यपाल महोदय ने विशेष रूप से तस्करी, जमाखोरी, काला बाजार, बढ़ती हुई कीमतों की रोकने की बातें, हरिजनों के लिये मकानों की व्यवस्था के बारे में, खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के बारे में जो कदम उठाये गये हैं उनका जिक्र किया लेकिन विरोधी दल की ओर से इन्दिरा गांधी, संजय गांधी तथा एमरजेंसी की ही चर्चा किया गया। विरोधी पक्ष का सन् 66 से 76 तक का जो लेखा-जोखा है उस सम्बन्ध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। सन् 65 में बारिश न होने से सूखा पड़ा, 1966-67 में भी सूखे का प्रकोप रहा और लाखों आदमियों के लिए भोजन की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ी, पानी की व्यवस्था करनी पड़ी। यहां तक कि जानवरों तक के लिए भी पानी की व्यवस्था करनी पड़ी। सन् 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई हुई जिससे देश पर बोझ जो आया वह कम नहीं था। ऐसी परिस्थितियों से देश को गुजरना पड़ा और विरोधी पक्ष को उस समय भी यह कहने का मौका नहीं रहा कि उन्होंने सरकारें नहीं बनायीं। उन्होंने कई प्रान्तों में सरकारें बनायी थीं। लेकिन कैसी सरकार बनायी लंगड़ी सरकारें बनाईं। एक पैर के बल पर वह खड़ी थीं जिससे वह ज्यादा दिन तक न चल सकें। देशवासियों ने समझ लिया कि ये कैसी सरकारें बना सकते हैं और चला सकते हैं।

मान्यवर, 1972–73 में भी सूखा पड़ा। बहुत सी कठिनाइयों से गुजरने के बाद भी हमारी प्रधान मंत्री जी ने 74 में जो अणु परीक्षण किया और 75 में आर्यभट्ट छोड़ा उससे सारी दुनिया के लोग सोचने लगे कि हिन्दुस्तान अब दुनिया के मुकाबले में एक बड़ा देश खड़ा हो रहा है। अणु बम और आर्यभट के परीक्षण से विश्वास हुआ कि हमारा मुल्क मजबूत है। वहीं पर 74 में गुजरात और बिहार में क्या हुआ? विधायकों के लिये गुजरात में क्या कहा गया? विधायकों के बच्चों को पकड़ लिया और स्त्री से कहा कि तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे अगर विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया। यही बिहार में हुआ। इसका नतीजा

[श्री रामनारायण पाठक]

यह हुआ कि प्रतिक्रियावादियों ने वहां पर क्रांति मचा दी और चाहे आर0एस0एस0 के हों, चाहे आनन्दमार्गी हों, चाहे सी0 आई0 ए0 के हों, एकट्ठा होने लगे और षंडयन्त्र रचने लगे। उससे पहले सन् 1971 में जब बंगला देश पर संकट आया, पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर हमला कर दिया जो घटनायें घटीं, विरोध पक्ष के लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनको कोई जानकारी नहीं है। 1 करोड़ बंगला देश से आये शरणार्थियों को भोजन देना पड़ा और जो लड़ाई का बहुत बड़ा खर्च देश पर आ पड़ा जिससे हमारे देश की अर्थ व्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही साथ सारी दुनिया में खाद्यानों का अभाव हुआ, रासायनिक खाद का अभाव हुआ। पैट्रोल के दाम बढ़े। जिसका असर हमारे मुल्क पर भी पड़ा। भारत-वर्ष में चीजों के दाम बढ़ने लगे। चारों तरफ त्राहि–त्राहि मचने लगी। उस समय विरोध पक्ष का जो फर्ज था उसे वह नहीं निभा रहा था उनके पास एक ही नारा था चोर से कहो कि चोरी करे और साधु से कहो कि जगते रहो। दुनियां में इतनी बड़ी घटनायें घट रहीं थीं लेकिन उन्होंने एक रिस्पांसिबिल अपोजिशन का काम नहीं किया। देश की सारी जनता ने उनके कार्यकलापों को देखा। मान्यवर, ये कठिन परिस्थितियां बनी रहीं और 75 में इन लोगों ने बवन्डर खड़ा कर दिया और कुछ को छोड़कर सारे विरोधी दल 22 से 25 जून तक दिल्ली में एक जगह इकट्ठा हुये और उन्होंने षड़यंत्र के बड़े–बड़े फैसले किये।

मान्यवर, जो कदम श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उठाये उसके बारे में दुनियां के मुल्कों ने और प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने उसे सामयिक कदम बताया। मिसाल के तौर पर मैं एक-दो कही गयी बातें पढ़ना चाहूंगा। श्री उमाशंकर दीक्षित ने कहा कि अगर सरकार इस दिशा में कदम न उठाती तो देश में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी फैलने और कानून तथा व्यवस्था को खतरा पैदा होने की आशंका थी। विरोधी दलों ने 29 जून से सीधी कार्यवाही का कार्यक्रम तैयार किया था और उनमें से एक व्यक्ति ने जो कि नेता समझा जाता है, यहां तक कह दिया कि सेना और पुलिस सरकार के आदेश न माने। मान्यवर, इतना ही नहीं शेख अब्दुल्ला जी जय-प्रकाश बाबू के परम मित्रों में से हैं लिखते हैं कि 'पिछले कुछ महीनों से कुछ प्रतिक्रियावादी देश में गैर-जिम्मेदाराना भाषण, रैलियां तथा प्रदर्शन करके सारे देश में अशांति फैला रहे थे। इससे हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था। देश में आपातस्थिति की घोषणा किसी भी दृष्टि से असंवैधानिक नहीं है क्योंकि भारत के विधान में ऐसी व्यवस्था है।'

मान्यवर, प्रधान मंत्री जी ने भी कहा था कि कुछ ऐसे भी देश हैं जो यह कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। ये वे देश हैं जिन्होंने स्वयं समाचार पत्रों को कोई स्वतंत्रता नहीं दे रखी है। लोकतंत्र के प्रति इन देशों की भावनाओं का कोई अर्थ नहीं है। मान्यवर, और भी लोगों ने इस तरह की बहुत सी बातों को कहा है। मेरा अपना विश्वास है कि इन परिस्थितियों में जो 29 जून की तैयारियां हो रही थीं उसके लिये इमरजेंसी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मान्यवर, जयप्रकाश बाबू ने जिस तरह से इंदिरा जी का 20-सूत्री कार्यक्रम है उसी तरह 9-सूत्री कार्यक्रम बनाया था। वे हैं एक वर्ष के लिये स्कूल और कालेजों की परीक्षाओं का बहिष्कार करना, विधान सभा सदस्यों का घेराव करना और उन सदस्यों से त्यागपत्र दिलाने के लिये बाध्य करना, विधान सभा सदस्यों का सामाजिक बहिष्कार करना, समानांतर विधान सभा का निर्माण करना, सरकारी कार्यालयों में काम ठप करना और कर न देने का अभियान छेड़ना, अदालतों का बहिष्कार करना, समानांतर सरकार और अदालतों की स्थापना करना और सशस्त्र सेना पुलिस कर्मचारियों को उकसाना, यह सब प्रयास किये गये। परन्तु लोगों का उसे समर्थन नहीं मिला।

मान्यवर, इतना ही नहीं जार्ज फरनांडिज ने कहा था और मई, 1974 में रेल परि-वहन को पूर्णतः पंगु बनाने की योजना बनाई गई। इस योजना के निर्माता श्री जार्ज फरनांडीज ने इसके विनाशकारी परिणाम पर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की और कहा 'एक इस्पात कारखाने की भट्टी बंद होने पर उसे दोबारा जलाने में नौ महीने लगते हैं। रेलवे की 15

दिन की हड़ताल से देश भूखा मर जायेगा।' जनसंघ का भारतीय रेलवे मजदूर संघ और मार्क्सवादी साम्यवादी दल जल्दी ही इस षडयंत्र में शामिल हो गये। मान्यवर इन सब बातों को देखकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह कदम उठाये। लेकिन इन बातों के बारे में ध्यान देने के बजाय या एक जिम्मेदार अपोजीशन की तरह विचार करने के बजाय आनंदमार्ग, सी0 आई0 ए0 और आर0 एस0 एस0 जैसी शक्तियों को संगठित किया और बहुत बड़े षड़यंत्र की तैयारी की। मान्यवर, मैं इसलिए कहता हूं कि किसींजर की बातों को भी ध्यान में रखा जाय उन्होंने कहा है कि जिन मुल्कों की सरकारें अमेरिका की बातें नहीं मानती हैं और उसकी नीतियों का समर्थन नहीं करती हैं वहां की सरकारों को गिराने के लिये सी0 आई0 ए0 काम करती है और यही चिली में भी किया और ऐसी ही शक्तियों ने मुजीबुर्रहमान की हत्या की और उनके 9 वर्ष के बच्चे की भी हत्या की गई। यही बात हिन्दुस्तान में भी दोहराना चाहते थे। तो मान्यवर, आज हमारा देश सजग है, आज हम वह नहीं है जो पहले थे, जो बातें पाकिस्तान के रेडियो से हमको किसी जमाने में सुनने को मिलती थीं। आज भारत वह नहीं है जिसको दुनियां में क्या हो रहा है उसकी जनकारी न हो। मुझे याद है कि बहुत सी बातें पाकिस्तान रेडियो से एलान होती थीं और उसे सुन कर हम देखते ही रह जाते थे। आज भारत की सरकार वह सरकार नहीं है हमारी प्रधान मंत्री को सारी घटनाओं की जानकारी हो जाती है कि देश में और दुनिया में क्या बातें हो रही हैं। आज सम्पूर्ण-क्रान्ति का नारा असफल हो गया है। इसके लिये प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं, रेल ठीक चल रही है। मैं रेल मंत्री श्री कमला पति त्रिपाठी को इसके लिये बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। जो अनर्गल बातें कर रहे थे, उन पर थोड़ा नियन्त्रण हुआ है, इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं। संजय गांधी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। आज संजय गांधी नौजवानों को रचनात्मक कार्य में लगाने की बातें करते हैं। कलकत्ता में उनकी सभा में भाषण सुनने के लिये 10 लाख लोगों की भीड़ थी। जितनी भीड़ जय प्रकाश जी की सभा में नहीं हुई। बिहार की सभा में 3 लाख की भीड़ हुई थी। उस पर ये लोग पर्दा डालना चाहते हैं। ये बात-बात में संजय गांधी की बात करते हैं, लेकिन इनके पास कोई रचनात्मक कार्य क्रम शामिल नहीं है। इन्हें वक्त का ध्यान रखना चाहिये। भाई भीखालाल ने जो कहा है कि आर0 एस0 एस0 के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है और मैं मान्यवर, आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि सी0 बी0 आई0 द्वारा तमाम मजदूर संगठनों में मार्क्सवादी लोगों को जो अपनाया जा रहा है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये। क्योंकि प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम में वे विश्वास नहीं रखते हैं। श्रम मंत्री जी ने तमाम कारखानों में संयुक्त समितियां बना दी हैं। कुछ जगह नहीं बनी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वहां भी इसकी व्यवस्था की जाय। मैं श्रम मंत्री को इसके लिये धन्यवाद देता हूं और प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।]

श्री ए0 सी0 ग्राइस (नाम निदेशित आंग्ल-भारतीय)—

मान्यवर, आपने मुझको जो मौका दिया मैं अपनी तरफ से और अपनी कम्युनिटी की तरफ से सरकार को और प्रधान मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह इमरजेंशी ले आई। यह पहला साल है, जब हमारे इम्तहान सभी कालेजों में बिना झगड़े के हो रहे हैं, यह पहला साल है जब हमारे इन्विजिलेटर्स बिना किसी डर के आते हैं, वगैर पुलिस का मेला लगाए हुए जाते है और उनकी जान का कोई खतरा नहीं है। मैं इसके लिये भी ग्रेटफुल हूं कि वह इमरजेंसी ले आई, चाहे कुछ हो या नहीं, हमारे स्कूलों में शान्ति कायम हो गई है। हमारे कालेजों के भी जो इम्तहान होंगे, वह भी शान्ति से होंगे यदि यह कायम रही। हमें आशा है कि यह चलते-चलते दो-तीन साल और लग जायेंगे और हमारे लड़के शान्ति और अनुशासन के रास्ते पर आ जायेंगे। जबसे हिन्दुस्तान का फ्रीडम हुआ है, किसी ने हाथ नहीं उठाया है स्कूलों और कालेजों से पालिटिक्स को निकाल देने के लिये। किन्तु आज वह भी हो रहा है और मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि पालिटिक्स को हमारे स्कूलों, कालेजों में न

[श्री ए0सी0 ग्राइस]

जाने दो। हमारे स्कूलों में बिलकुल यूनियन बाजी होने न पाए, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा।

प्रधान मंत्री का जो 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम है उसके लिये उनको बधाई देना चाहता हूं, परन्त मैं सरकार में कहना चाहता हूं कि उसे इनिशिएट करने में, उन्होंने जो कहा है कि एकोनामिकली बैकवर्ड और लैन्डलेस लेवर्स जो हैं, उसमें हमारे क्रिश्चियन्स को भी शामिल किया जायं। बहुत से विलेजेज में हमारे बहुत से क्रिश्चियन हैं, लेकिन उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जमीन उन्हीं लैन्डलेस लेबर्स को दे रहे हैं, जो शैड्यूल्ड कास्ट्स या बैकवर्ड क्लास के हैं। लेकिन जो हमारे क्रिश्चियन्स सेक्शन से आए हैं और ईसाई बन गए हैं उनको नहीं उसमें वह समझ रहे हैं। उनकी बिलकुल बेइज्जती हो रही है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से विद आल माई ह्यूमिलिटी ऐट माई डिस्पोजल, प्रार्थना करता हूं कि उनकी ओर भी यह सरकार हाथ रखे। प्रधान मन्त्री से भी इस पर बात हुई थी कि किन-किन जगहों पर यह हैं। सरकार इस बात को ध्यान में रखे जब विलजेज में जमीन बंट रही हो।

दूसरी बात पर मैं आना चाहता हूं। यह हमारे स्कूल्स जो हैं विलेजेज में, इनके ऊपर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। आबादी इतनी बढ़ गयी है रूरल और अरबन एरियाज में, स्कूल बिलकुल इतने ठस-ठस पड़े हुए हैं। किसी स्कूल में आप चले जाइए वेटिंग लिस्ट इतनी है कि एक हजार स्कूल में हैं और डेढ़ हजार वेटिंग लिस्ट में हैं। सरकार स्कूल न बनाने देती है और न खुद बनाती है। इसका कुछ इन्तजाम होना ही है। जहां हम लोगों के पास जमीन है वहां हम लोग करना भी चाहते हैं, सीलिंग लग गयी, पता नहीं सरकार इजाजत देगी या न देगी मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स को बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। जो विलेजेज में हैं उनको डबुल शिफ्ट चलायें तो डबुल शिफ्ट्स चलने में सबेरे बड़े बच्चे और छोटे बच्चे दिन में, इनसे बी0टी0सी0 के जो लोग बेकार हैं वह एम्प्लायड हो जायेंगे। डबुल शिफ्ट प्रैक्टिकेबुल है, बिल्डिंग वहां है, इक्यूपमेंट वहां है इससे बड़ी आसानी होगी। मैं देख चुका हूं और मैं इसको इक्सपेरीमेंट कर चुका हूं, यह बात हो सकती है। आखिर में एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूं क्योंकि हमारे जो क्रिश्चियन्स हैं विलेजेज में उनको लैन्ड के अलावा स्माल स्केल और काटेज इन्डस्ट्रीज का कुछ इन्तजाम हो जाय, तो बेहतर होगा, नहीं तो एक सेक्शन हिन्दुस्तान का पिछड़ा रह जायगा। आखिर में मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे मौका दिया है।

(श्री प्रेमदत्त को बुलाए जाने पर)

श्री दयाराम भास्कर—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप, उसी तरफ के लोगों को मौका देंगे? कई बार मैं खड़ा हो चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई जरूरी नहीं है; मैं जिसको चाहूंगा बुलाऊंगा।

*श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

मान्यवर, मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। विरोधी-दल के बयान को मैंने सुना। मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं कि जो हमारे महामहिम राज्यपाल ने जो हमारी प्रधान मन्त्री जी ने 20-सूत्री कार्यक्रम दिया है उसको लेकर इस भाषण में बहुत सी चीजें पा रहा हूं। 20-सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्राय: सभी पार्टियों ने माना है। उसे जब महामहिम राज्यपाल ने रखा, पता नहीं क्यों विरोधी पक्ष के लोग उसका विरोध कर रहे हैं? विरोधी पक्ष की यह आदत है कि जब कभी भी सरकार की तरफ से कुछ आता है तो उसका विरोध अवश्य करेंगे चाहे भूमि का आबंटन हो, चाहे कर की मुक्ति के सम्बन्ध में हो,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहे छात्रों और कालेजों की शिक्षा की सुविधाओं का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे बुनकर का मामला हो। मैं समझता हूं कि विरोधी दल के हमारे भाई इसको पढ़ लें और उन्हें समझना चाहिये और जो मोशन उन्होंने रखा है उसको उन्हें वापस लेना चाहिये। हमे बड़ा दुःख हुआ जब मैं आज माननीय राममूर्ति जी का भाषण पढ़ रहा था और सुन रहा था।

मान्यवर, मैं बताऊं आपने पहली अप्रैल, 67 में जब कांग्रेस सरकार गिरी और उसके बाद चरण सिंह जी की सरकार आयी तो इस विधान सभा में एक ऐसा हंगामा पैदा किया गया, एक मामले में, जिसमें शासन की तरफ से कुछ कहा गया था, उसमें दुर्भाग्य से मैंने इतना ही कहा था कि जिसको जहां वोट देना हो, दे, आप क्यों घसीटते हैं। तो मैं बताऊं कि मेरे ऊपर इतनी मार पड़ी थी जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने वह भी दिन देखे हैं। मैंने परसों देखा कि इमरजेन्सी में देखा कि सारे के सारे लोग चुपके से शान्तिपूर्वक चले गये। पिछली बार जब महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था तो किसी ने पर्चे फेंके और तमाम प्रकार के नारे लगाये गये। जय प्रकाश जिन्दाबाद के नारे लगाये गये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो सब लोगों ने देखा है। इसे क्यों कह रहे हैं?

श्री प्रेमदत्त—

मान्यवर, बार-बार कहा जाता है कि इमरजेन्सी की क्या आवश्यकता है। कहते हैं कि जब आन्तरिक खतरा हो तब इमरजेन्सी लगायी जाती है। इससे ज्यादा खतरा और क्या हो सकता है? जार्ज फर्नाडिस जैसे आदमी ने कहा कि रेल ठप हो जायेगी। छात्रों से कहा जाये कि पढ़ाई बन्द कर दो। प्रधान मंत्री के मुकदमे का जजमेंट हुआ और सभी जानते हैं कि उसकी अपील का प्राविजन है और कहते हैं कि इस्तीफा दें। तमाम तरह के बलबे होते हैं। क्या हमारा कसूर है? हम दुनिया के पहले देश हैं जिसने मुद्रा-स्फीति पर कंट्रोल किया है। क्या कारण है कि जो उपलब्धियां हैं उनकी विरोधी दल वाले चर्चा नहीं करते हैं और उनको घुमा देते हैं। जनता में निराशा का वातावरण पैदा करते हैं। जब से अजादी मिली तबसे हमारी प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ही ऐसी हैं जिन्होंने राजनैतिक पीड़ितों को सम्मानित किया। उनके सम्मान के साथ ही साथ देश का भी सम्मान हुआ। हम नहीं कहते कि वह हमारी बातों को दुहरायें। अच्छा विरोधी दल वह होता है जो हमारी त्रुटियां बताये। यहां पर तो यह तरीका हो गया है कि हमारी बुराइयां की जातीं हैं और कोई ठोस सुझाव दिया नहीं जाता है। देश में जब अशांति हो तब हमारी प्रधान मंत्री के पास कोई नारा नहीं था सिवाय इमरजेन्सी लागू करने के।

आप देखें कि कितना काला धन था। आप जानते हैं कि कितने लोगों ने स्वेच्छा से उसका डिसक्लोजर किया और जो हमारी अर्थ-व्यवस्था बरबाद हो रही थी उसमें सुधार आया। इस डिसक्लोजर से तमाम धन बाहर आया जिससे हमारे देश की उन्नति हो सकती है। यह सब हमारी प्रधान मंत्री की नीतियों की वदौलत है। उससे देश मजबूती की ओर जायेगा। जबसे देश में इमरजेंसी लागू हुई, रेलें समय से चलने लगी, हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों पर अंकुश बढ़ा और आवश्यक वस्तुओं के दाम घटे। जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं और वहां के लोगों से मिलता हूं तो वहां की जनता कहती है कि यह काम अच्छा हुआ है। ऐसे कामों की जनता ही निर्णायक हुआ करती है। सभी कहते हैं कि इसको बहुत पहले देश में लागू कर देना चाहिये था क्योंकि इससे आम आदमियों को राहत मिली है। हमारे देश के जो सबसे बड़े संत विनोबा जी हैं, उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी "अनुशासन पर्व" है। देश में वातावरण बदला, जागृति आई और कारखानों व खेतों में उत्पादन बढ़ा।

जब हम 20 सूत्री कार्यक्रम को पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इसमें क्या करें क्योंकि सारे कार्य तो सरकार द्वारा ही होने हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि हमारी जो सरकारी मशीनरी

[श्री प्रेमदत्त]

है, जैसा कि सब लोग कहते हैं और मैं कहता हूं, उनमें वह भावना नहीं है जो कि होनी चाहिए थी उनके मष्तिष्क और विचारों को बदलने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक उनमें इस कार्यक्रम के प्रति आस्था नहीं होगी यह केवल नारे के रूप में रहेगा और व्यर्थ में उपहास बन जायगा। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार इस कार्य की ओर ध्यान दें।

मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। हमारे यहा पर एक लड़कियों का स्कूल है जो बहुत अच्छा काम करता है लेकिन विभाग के सचिव पता नहीं किस कारण से नाराज हो गये और उसकी मान्यता ही समाप्त कर दी। मैं माननीया राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस पर ध्यान दिया और वहां के बच्चों को लाभ हुआ। तो आज हमारी ब्यूरोक्रेसी हमारे सही कामों में भी बाधा पैदा करती है। सरकार को इन बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिये। हमारे विरोध पक्ष वालों ने कहा है कि इसमें जो संशोधन रखे गये हैं वे बहुत आवश्यक हैं लेकिन हमारी समझ में उनकी यह बात नहीं आती है। जितने भी कार्यक्रम हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहे हैं, वे एक वर्ष के कार्यकाल की हैं जिनका पूर्ण हो जाना साधारण बात नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

मान्यवर, इस अवसर पर अब मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। यह दुर्भाग्य है कि फतेहपुर न पूर्व में है न पश्चिम में, न बुन्देलखंड में है, न पहाड़ी क्षेत्र में है, श्रीमन्, आपका भी क्षेत्र हमसे मिला है। आप देखते हैं कि इलाहाबाद का कुछ हिस्सा बुन्देलखंड में ले लिया गया है और हमारा और आपका मिला हुआ क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है, यह आपसे छिपा नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे कानपुर और फतेहपुर को भी भी एक ऐसी योजना दे दी जाय जिससे इसका पिछड़ापन दूर हो सके। हमारे निर्वाचनक्षेत्र में 20 किलोमीटर भी पक्की सड़क नहीं है। मैं चाहूंगा कि शासन इस ओर ध्यान देने की कृपा करे। इसी तरह से फतेहपुर में आजतक कोई डिग्री कालेज लड़कियों का नहीं है और न कोई वहां पर इण्डस्ट्रियल एरिया है। अगर उन्नाव में औद्योगीकरण के लिये कुछ किया जा सकता है तो हमारे जिले को भी, जो कानपुर से 50 मील की दूरी पर है औद्योगीकरण के लिये ले लें। इससे मैं समझता हूं कि जो पिछड़ापन है वह कुछ हद तक दूर हो जायेगा।

साथ ही मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करूंगा कि फतेहपुर में ऐसे लघु उद्योग, जैसे चमड़ा है, जूट है, आर्थिक सहायता देने से तरक्की कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास है कि विरोधीदल 20 सूत्री कार्यक्रम की जो झलक मिलती है इस अभिभाषण में उसमें सहयोग करेगा। धन्यवाद।

श्री दयाराम भास्कर—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए यह कहना चाहता हूं कि आज देश में सर्वत्र चर्चा है कि कमजोर वर्ग और हरिजनों को सरकार काफी लाभ पहुंचा रही है। खासतौर से कांग्रेसी भाई बड़े जोर-शोर से इस आपात्कालीन स्थिति में यह प्रचार कर रहे हैं, सरकार द्वारा रेडियो, समाचारपत्र और पर्चों द्वारा धुआंधार प्रचार हो रहा है।

("पढ़ रहे हैं" की आवाजें।)

श्री उपाध्यक्ष—

यह हो सकता है, अगर आपको पढ़ना है, तो भेज दीजिये प्रोसीडिंग में छप जायगा।

श्री दयाराम भास्कर—

मैं पढ़ नहीं रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, पढ़ नहीं रहे हैं, मदद ले रहे हैं।

श्री दयाराम भास्कर—

चढ़ जायगा नजरों में उत्तर जायेगा दिल से। सबकी नजरों में समाना उचित नहीं है। मतलब यह कि आज हरिजन सबकी नजरों में चढ़ा हुआ है। आज सब जगह इस तरह का प्रचार है कि हरिजनों को सब कुछ मिल रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाय तो यह बात है नहीं। आप नौकरी के मामले को ले लें। अभी हमारे प्रश्न के उत्तर में माननीय कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि विभाग में 14 हजार चपरासियों और अमीनों की छंटनी हो गयी जिसमें से 1473 अनुसूचित जाति के हैं। मैंने पूछा कि अनुसूचित जाति का कृषि विभाग में 18 प्रतिशत कोटा पूरा नहीं है, जो संविधान में लिखा हुआ है तो क्या सरकार इनको खपाने के लिये कोई योजना बना रही है? सरकार के सामने इस तरह की कोई बात नहीं है और न उनको खपाने की कोई योजना है। इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग में व अन्य विभागों में भी छंटनी हुई है। लेखपाल, कानूनगो बराबर कम होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ कहा जाता है कि सब जगह हरिजन भरे जा रहे हैं।

इसी तरह से भूमि आबंटन की बड़ी चर्चा है कि हरिजनों में भूमि का आबंटन हो रहा है लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि गांव समाज की जो सम्पत्ति है और कृषि योग्य भूमि है, और बड़ी भारी मात्रा में है, सारी की सारी जमीन को बड़े-बड़े लोग दबाये हुए हैं। कमजोर वर्ग और हरिजनों को वह जमीन नहीं दी जा रही है। गोशाला के नाम पर, स्कूल के नाम पर, खेल के मैदान के नाम पर लोग उस जमीन को अपने हित में रखना चाहते हैं, कमजोर वर्ग को जमीन देने की कत्तई कोई मंशा नहीं है। जहां कहीं ऊसर, कंकरीली व पथरीली जमीन है, नदी-नाले के किनारे वाली जमीन है, वही जमीन हरिजनों को दी गयी है, जहां एक पोरसे तक और चार-चार, पांच-पांच हाथ तक पानी लगा रहता है जिससे खेती उसमें हो नहीं सकती है। आज मार्च का महीना चल रहा है लेकिन आज भी उसमें पानी लगा हुआ है। फूलपुर तहसील के गरबरा गांव की यह बात है। लोगों की शिकायतें बराबर मिलती हैं, लिखा पढ़ी होती है लेकिन सारी की सारी दरख्वास्तें दबा ली जाती हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। यह है आपका भूमि का आबंटन। आज जो गोशाला, स्कूल व खेलकूद के मैदान के लिये जमीन छोड़ने की बात की जा रही है, भूमि आबंटन से पहले न तो गोशाला थी और न स्कूल के लिये कोई जमीन छोड़ी गयी थी। इस तरह के गलत कामों में गांव के पुराने रूढ़िवादी लोग हैं, और सरकारी कर्मचारी व अधिकारी भी शामिल हैं ताकि हरिजनों व कमजोर वर्ग के लोगों को जमीन न मिले।

इसी तरीके से हरिजनों को नौकरी देने के बारे में एक सवाल किया था तो श्री बहुगुणा जी ने उत्तर दिया था कि भाई देखो, उसके लिये हम कुछ कर रहे हैं। 27-28 साल से हरिजनों का कोटा जो 18 प्रतिशत का संविधान में निहित है पूरा नहीं है। उसको पूरा करने के लिये मैं 50 प्रतिशत की दर से भर्ती कर रहा हूं, यह रेडियो में आ गया, समाचार पत्रों में आ गया और यह खबर गांवों तक भी पहुंच गयी। इस पर गांव के भाई नाराज हो गये और कहने लगे कि देखो, इन्दिरा जी ने हरिजनों को ही सब दे दिया गाड़ी में, मोटरों में, रिक्शे पर सब जगह यही जोरदार चर्चा है। लोग नाराज हैं कि नौकरी चाकरी, अनुदान सब यही लिये जा रहे हैं, हम लोग कहां जाय। सारा राजकाज अब हरिजनों का ही है, हम लोगों के लिये कुछ नहीं है। लेकिन यह बात कहने भर के लिये है। 50 प्रतिशत, 45 प्रतिशत की घोषणा की गयी लेकिन घोषणा करने के बाद जिस मिनिस्टर के पास जाइये या जिस विभाग में जाइये, वहां यही जवाब मिला कि हरिजनों का कोटा तो पूरा हो गया है। हमने बहुत कहा कि ये हरिजन हैं और बेकार हैं, भूमिहीन हैं, इनके पास कोई जमीन नहीं

[श्री दयाराम भास्कर]

ह, तो लोगों ने साफ-साफ जवाब दिया कि दो साल के लिये नियुक्ति और भर्ती बिलकुल बन्द हैं। यह एक मिसाल है। हम बदनाम हो जाते हैं लेकिन हम मिलता कुछ भी नहीं है।

इसी तरह से उपाध्यक्ष जी आप देखेंगे कि सरकार द्वारा मोमिन अन्सार और पिछड़ी व अनुसूचित जाति के छात्रों को वजीफा मिलता है लेकिन वजीफा क्या है? सैकड़ों में 3–4 छात्रों को वजीफा मिलता है लेकिन बदनामी भी पूरी की जाती है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक नाम मात्र को केवल दिखाने के लिये बजीफा दिया जाता है। इसलिये

(इस समय 4 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दिया जाता है जिससे ललचाये रहे और आशा लगी रहे और हमारा स्वार्थ सिद्ध होता रहे। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत कहने सुनने के बाद और बड़ी लड़ाई के बाद यह फैसला हुआ, सरकार ने किया कि 10 वीं कक्षा के पास करने के बाद ऊपर की कक्षाओं में सबको छात्रवृत्ति दी जायगी। मेरा कहना यह है कि कक्षा 1 से 10 तक मदद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे बच्चों के पास किताब नहीं हो पायगी। कपड़े नहीं होंगे, पढ़ाई के साधान नहीं होंगे तो बच्चे कैसे स्कूल जायेंगे और कैसे पढ़ेंगे और कैसे देश के कर्णधार होंगे? यह समस्या है। कमजोर वर्गों को और हरिजनों को यकीन दिलाने के लिये सरकार बराबर इस बात का प्रयास कर रही है कि 'न मरें न मोटाय'। किसी ने कहा है 'उखिया ऊख न दे कोल्हरवा रस के बुलावै' सिर्फ लालच दिया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार को पढ़ाई के लिये ध्यान देना चाहिये। कक्षा एक से 10 तक मदद करनी चाहिये और साधन देना चाहिये जिससे पढ़ाई में मदद मिल सके।

मान्यवर, अब मैं अनुदान की बात लेता हूं। अनुदान की हालत यह है कि एक ब्लाक है उसमें 5–6 हजार लोग दरख्वास्त देते हैं। उसके बाद अधिकारियों के पास दौड़ते हैं, तमाम पैसा खर्च करते हैं लेकिन एक ब्लाक में आप देते क्या हैं कि मकान बनाने के लिये, 3 व्यक्तियों के लिये और 4–5 वर्षों से कुओं को बनाने के लिये अनुदान नहीं देते हैं। आपकी मदद कैसे काफी होगी इसी पर मैं कहता हूं कि आप पूर्ण प्रयास यह कर रहे हैं कि 'न मरें न मोटायें'। वही हाल है, जब बड़े जानवर को काटना होता है तो कसाई उसके सामने चारा खाने के लिये रखता है और जब जानवर गरदन लपकाता है तो कसाई अपना हथियार चला देता है, गरदन साफ हो जाती है। आज हरिजनों के साथ ठीक इसी प्रकार का व्यवहार है। उसको केवल लालच दिखाया जाता है, मिलता कुछ नहीं है। इसी तरीके से मैं ऋण के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। आपने कहा है कि महाजनों को न ऋण दीजिये, ठीक है। आज जब गांवों में यह लोग पैसा लेने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम नहीं देंगे। तुमको तो सरकार दे रही है। इसी तरह से जो सरकार का पैसा इन गरीबों के पास है, निश्चित रूप से उनसे 100 रुपये की जगह पर हजार, डेढ़ हजार तक वसूला जाता है। जेल भी जाना पड़ता है, सजा उठानी पड़ती है। तो अगर सरकार में ईमानदारी है तो इन लोगों के पैसे को माफ कर देना चाहिये। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की जा रही है। इन लोगों के कर्ज मुक्त करने से पहले कोई व्यवस्था करनी चाहिये थी जिससे इनको आसानी से कर्ज मिल जाता। आज इस बात की बड़ी जरूरत है। ऐसी बात की व्यवस्था नहीं है। आज गांव में यदि किसी हरिजन का, गरीब का रिश्तेदार आ जाता है तो उसको खिलाने के लिये भी आज भूमिहीन के घर में अनाज नहीं है। एक सेर अनाज भी उसको कोई उधार देने वाला नहीं है। यदि पैसे के लिये जाते हैं तो कहा जाता है कि तुमको तो बहिन इन्दिरा जी देंगी, सरकार देगी। यदि हम देंगे तो सरकार हमको जेल भेज देगी। आज गरीबों और हरिजनों की दुर्दशा हो रही है।

आप कहते हैं, हमारे दोस्त कहते हैं कि सुझाव दीजिये तो मैं सुझाव दे रहा हूं। आज जरूरत इस बात की है कि कमजोर सेक्शन के लिये, पिछड़े हुये लोगों के लिये, हरिजनों

के लिये इस तरह की व्यवस्था करें कि उनको आसानी से पैसा मिल सके क्योंकि उनका बाप मर जाय तो आज कफन के लिये उनके पास पैसे नहीं हैं। उनके घर अतिथि आ जाय, शादी-ब्याह पड़ जाय, लड़के की पढ़ाई हो किसी चीज के लिये उनके पास पैसा नहीं है। इसके लिये आप सोचें और व्यवस्था करें। अगर व्यवस्था नहीं होती है तो रेडियो पर, अखबारों में जो प्रचार हो रहा है यह झूठा ही रहेगा। उसमें बहुत कुछ असत्यता है। इस तरह से आज देखा जाय तो देश में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। हमारे दोस्त कहते हैं कि आज किसान बड़ा खुश है। तो ऐसा कैसे हो सकता है जबकि आपने खाद के दाम 1 रु0 प्रति बोरी घटाया है और गल्ले का दाम डेढ़ सौ रुपया कुन्तल। इसी तरीके से मिट्टी के तेल, नमक, मिर्चें आदि चीजों के दाम कम होना चाहिये था। लेकिन उन पर कोई इमरजेन्सी नहीं लगी है। मिट्टी के तेल के दाम बढ़े हैं, चोरी–डकैती बढ़ी हैं, रिश्वतखोरी बढ़ी है तो इन पर इमरजेन्सी कहां है? कौन आपके अधिकारी हैं, क्या आपकी व्यवस्था है? केवल नेताओं को जेलखाने में ठूंस देने के अलावा और कोई चारा नहीं है जिससे विरोध पक्ष के लोग देश के सामने कुछ न कह सकें। इदिरा जी हार गईं गुजरात में हार गईं बस शोर हुआ कि नेताओं को जेल में ठूंस दो। आपने अनायास लोगों को जेल में ठूंस दिया। जो बनिया आपके कर्मचारियों को पैसा न दे उसको जेल भेज दिया जाय। भले लोग जेल में भेजे जा रहे हैं। इसलिये आपसे कहना है कि आप गांवों की तरफ सोचें। खाद का दाम आधा होना चाहिये था तो किसान आपसे खुश रहता। अभी चुनाव का समय आया था तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ी। आपको पता चल गया कि किसान नाराज है और चुनाव टाल दिये गये। चुनाव क्यों नहीं करा देते हैं जिससे पता चल जाय कि सत्यता क्या है? इन शब्दों के साथ मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का आभारी हूं कि उन्होंनें 2-3 मिनट और समय दे दिया।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे बोलने का समय दिया। सर्वप्रथम मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और विरोधी दल के नेता द्वारा रखे गये संशोधनों का विरोध करता हूं। यह बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति है जो सदन के लिये तमाम राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार होता रहा और इस पक्ष के माननीय सदस्य असमर्थ रहे चूंकि उधर के लोगों ने सम्पूर्ण बातें आपात्कालीन स्थिति से संबंधित रखीं और यही रोना रहा कि यह बात खराब है, वह बात खराब है और आपात्कालीन स्थिति से जो लाभ हुये उस पर प्रकाश नहीं डाला। हमारी प्रार्थना है कि उनको वास्तविक बातों को लेना चाहिये था। इस पर बहुत कहा जा चुका है इसलिये इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा।

अभी–अभी हाल में विरोध पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि हम गांव से आते हैं और किसान परिवार से संबंधित हैं। तो मैं भी किसान परिवार से और गांव से संबंधित हूं और ग्रामीण क्षेत्र से आया हूं। उन्होंने भूमि आवंटन के सम्बन्ध में कहा कि यह निरा दिखावा है और हरिजनों के लिये कुछ नहीं हुआ। भूमि आबंटन की बात गलत है और कहा गया कि बंजर भूमि दी गयी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे विरोधी दल के साथी अपने क्षेत्रों में जाकर देखते नहीं। वह अगर यह चाहें कि केवल सरकार और उसकी मशीनरी ही भूमि आबंटन का सारा काम कर दे और सही सही कर दे तो यह मुश्किल काम है। हमारा भी कर्त्तव्य है कि हम क्षेत्र में जायं और सरकारी मशीनरी को सहयोग दें। मैं अपनी बात बतलाता हूं। मैं अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अपने क्षेत्र में गया तो मैं कह सकता हूं कि 90 फीसदी तक सही काम हुआ है। कुछ लेखपाल और कानूनगो जरूर गलत काम भी करते हैं। ऐसे लोगों को हमने सस्पेंड करवाया। इसके साथ कुछ प्रधान भी इस गलत काम में साजिश करते हैं। खासतौर से जो विरोधी कार्यकर्ता है वह नहीं चाहते कि भूमि का आबंटन हरिजनों को हो। ऐसे प्रधानों को भी हमने सस्पेंड करवाया। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप क्षेत्र में जायं और देखें और सरकारी लोगों को सहयोग दें, तो अवश्य सही काम होगा

[श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान]

दूसरी बात यह कही गयी कि हरिजनों को जो अनुदान मिला है वह ठीक नहीं मिला और जो दलाल लोग होते हैं वह दूसरे गलत आदमियों को दिलवा देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिलों में हरिजन कल्याण समिति है और हमारे साथी विधायक उसके सदस्य हैं। हमने अपने यहां जिला स्तर पर बैठकर आबंटन किया। हमने व्यक्तिगत सिफारिश नहीं मानी और 20 हजार रुपया अपने क्षेत्र में बांटा। जब हम मीटिंग में बैठे तो बाहर से परची आयी कि इन इनको दे दें। लेकिन मैंने उन पर्चियों को फाड़ दिया और सही आदिमयों को पैसा दिया। किसी को ऐसे ही दोषी ठहराने की बात नहीं है। हम स्वयं क्षेत्र में जायं और देखें और अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो उसको सरकार की नोटिस में लायें।

इसके अलावा यह कहा गया कि न्यायपालिका को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। मैं व्यक्गित रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिये एक निश्चित् नीति होती है। अगर उस नीति के पालन में जुडीशियरी के कुछ मुट्ठी भर लोग बाधक होते हैं तो यह जरूरी है कि जुडीशियरी कमिटेड हो जिससे कि जो नीति राष्ट्र हित में है वह कार्यान्वित हो सके। यह मेरी व्यक्तिगत राय है। पार्टी से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मान्यवर, दूसरी बात यह कही गई प्रेस के बारे में। प्रेस को पूंजीपति और कैपिटलिस्ट लोग ही चला रहे थे और वे जो कुछ चाहते थे वही छापा जाता था और सही तस्वीर राष्ट्र और जनता के सामने नहीं आ रही थी। इस पर जो नियंत्रण लगाया गया है इसका आपको अफसोस है। आज सही बातें अखबारों में निकल रही हैं, पेपर सही बातों को कह रहे हैं। श्रीमती इदिरा गांधी के नेतृत्व में आज राष्ट्र में अच्छा काम हुआ है जिसकी जनता सराहना कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी हमारे देश की स्थिति बहुत ऊंची पहुंच चुकी है और विश्व हमको बहुत इज्जत की नजरों से देख रहा है।

माइनारिटीज के बारे में राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया। माइनारिटीज के बारे में भी कुछ कहने की बातें हैं। मैं अलीगढ़ से आता हूं। मैं उन्हीं माइनारिटीज के बीच में रहता हूं जो काफी संख्या में हैं। वे कहते हैं कि उर्दू को जो दर्जा दिया जाना चाहिये था वह उसको समुचित स्थान नहीं मिल पाया है।

एक सदस्य--

हिन्दुस्तान में कौन से लोग माइनारिटीज में हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

जो स्थान हरिजनों को, शिड्यूल कास्ट वालों को मिला है वही उनको भी मिलना चाहिये। अभी हाल ही में राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन साहब अलीगढ़ आये थे और उन्होंने कहा था कि यह हमारे मुस्लिम भाइयों की कमजोरी है कि वे स्वयं अपने को शक की नजर से देखते हैं, उनको भी कम्पटीशन में आना चाहिये और वे आगे बढ़ें तो उनको भी सर्विसेज मिलें यही बात हिन्दू भाइयों के साथ भी है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कुछ अच्छी बातें भी कहीं हैं, दहेज प्रथा की भी बात है। दहेज प्रथा पर रोक एक अच्छा काम है। हमारे देहात के भाई यह भी कहते थे कि देहात में तो दो-दो बार सीलिंग हो गई, लेकिन शहरों में क्यों नहीं हो रही है ? अब वह भी होने जा रही है। इसके लिये हम भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार के आभारी हैं।

विद्युत् में भी सराहनीय सुधार हुआ है। लेकिन एक दिक्कत किसानों को यह हो रही है कि अगर किसी काश्तकार के पास 10 हार्स पावर है और वह उसको घटाकर साढ़े 7 करवाना चाहते हैं तो वह नहीं किया जाता है। एक तरफ तो आप कनेक्शन नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ पावर को कम भी नहीं करते हैं, जो होना चाहिये। दो तीन महीने के लिये बिजली बन्द हो जाती है। उस समय का किसान से मूल्य नहीं लेना चाहिये।

गेहूं के भाव के सम्बन्ध में यह कहना है जैसा कि जगजीवन राम जी ने कहा है कि 30 प्रतिशत खाद की कीमतों में कटौती की जा रही है। यह विशेष रूप से यूरिया में होना चाहिये क्योंकि खेती में सबसे अधिक उपयोग में यही खाद आती है।

इसी प्रकार से सिंचाई के बढ़े हुए रेट्स को कम किया जाना चाहिए। किसान यह महसूस करता है कि गेहूं की कीमत या तो बढ़ाई जाय अथवा सिंचाई, खाद तथा बिजली के रेट्स को कम करके उसे सबसिडाइज किया जाय। शिक्षा के सम्बन्ध में सिद्धान्त रूप से यह मान लिया गया है कि इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए क्योंकि हमने यह महसूस किया कि हमारे यहां से जो अनुदान दिए जाते हैं उस सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता है। मेरा भी निजी अनुभव है कि टीचर्स की नियुक्ति फर्जी होती है। मैनेजमेंट इन्सपेक्टर्स से मिल कर फर्जी नियुक्तियां करा कर पेमेन्ट लेता रहता है। इसमें बहुत धांधलेवाजी तथा गड़बड़ी है। पिछले बजट के समय भी मैंने कहा था कि राष्ट्र की निधि को बचाने के लिए, शिक्षा के हित में यही है कि उसका राष्ट्रीयकरण हो। अलीगढ़ के ताला लघु उद्योग के बारे में भी मुझे यह कहना है कि पिछले बजट में कोई नया टैक्सेशन तो नहीं किया गया, लेकिन परचेज टैक्स 5 परसेन्ट बढ़ा दिया गया। मेरा क्षेत्र अलीगढ़ से तीन तरफ से चिपका हुआ है। ताले उद्योग में 50 हजार मजदूर वहां काम करते हैं और इस परचेज टैक्स से उन पर सबसे बड़ा असर पड़ रहा है। लघु उद्योग मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री काफी हद तक सहमत हैं कि इस परचेज टैक्स के सम्बन्ध में कोई निर्णय जल्दी लिया जाय क्योंकि एक तरफ तो देहात के गरीब मजदूरों को 20-सूत्री कार्य-क्रम के अन्तर्गत 5 हजार रुपया ऋण से रूप में दिया जा रहा है, दूसरी तरफ परचेज टैक्स लगाने से उनकी दस्तकारी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 50 हजार मजदूरों से इसका सम्बन्ध है, अत: सरकार इस पर जल्दी निर्णय ले।

*श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

दिनांक 22 मार्च, 1976 को श्रीमन्, राज्यपाल महोदय ने यहां अपना अभिभाषण दिया। विरोध पक्ष के लोग आए और शान्तिपूर्वक उठ कर चले गए। लेकिन सरकारी पक्ष के लोगों ने कटाक्ष किया कि पिछले वर्षों में जब इमरजेन्सी नहीं थी तब हम लोग शोर मचाते हुए उठते थे और यह एमरजेन्सी का ही प्रभाव है कि हम लोग अब शान्तिपूर्वक उठ कर चले गए। इस तरह से सरकारी पक्ष को न हमारी खामोशी पसन्द है, न शोर पसन्द है, उनको अपनी इमरजेन्सी पसन्द है।

हम राज्यपाल महोदय का भाषण सुनना चाहते थे, लेकिन हमको दुख है कि इस सदन के अनेक माननीय सदस्य जेलों में यातनायें भुगत रहे हैं जिनको 9 महीने से मीसा तथा डी0 आई0 आर0 के अन्दर जेलों में बन्द कर रखा है। आप जनतन्त्र की दुहाई देते हैं, 20-सूत्री कार्य-क्रम की बात करते हैं, प्रदेश की तरक्की की बातें करते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस सदन में अनुपस्थित सदस्यों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। आप अगर बाढ़ में फंसे हों तो चाहे सरकारी पक्ष में कोई हो, लेकिन हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम मजबूती से आपको बतायें कि हम लोग, जनता द्वारा चुनकर आये हैं और उनकी नुमाइन्दगी करने के लिये यहां प आये हैं। हमारा आप से मतभेद हो सकता है और मतभेद है और इसीलिये विरोध पक्ष में बैठे हैं और उसी को व्यक्त करके हमने चुनाव लड़ा है और जनता ने भेजा है। लेकिन हमारा यहां आना आपको अच्छा नहीं लगा और इसीलिये आपने हमारे साथियों को जेल में डाल रखा है। इससे आपके दिल में जरा भी संकोच और तकलीफ नहीं है। अभिभाषण में कहीं भी इस बात का संकेत नहीं है कि वे लोग अपने विचार व्यक्त करने के लिये यहां पर आयें और सदन में बैठ कर अपने विचार रखें जो कि अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये हम लोग उठकर चले गये।

उसके बाद मैंने राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा। उसमें पहली लाइन में लिखा है कि देश में युगान्तकारी परिवर्तन हो गया है। एक वर्ष में ही युगान्तकारी परिवर्तन हो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य प्रकाश]

गया। एक वर्ष में युगान्तकारी परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। कौन से युगान्तकारी परिवर्तन हो गये। हां, इतना जरूर हुआ कि जनतंत्र की हत्या कर दी गई, उसको समाप्त कर दिया गया है। टेलिविजन, रेडियो, प्रेस सब यही कह रहे हैं कि जनतंत्र फल रहा है, फूल रहा है। इस विषय में आपने कमाल हासिल कर लिया है। इसकी जितनी तारीफ आप अपने मुंह से कर सकें यह थोड़ी ही है। आज नहीं तो कल वह दिन निश्चित रूप से आयेगा कि इन सब बातों का पर्दाफाश होगा और जनता यह सब बदल देगी। मैं कहता हूं कि हिम्मत हो तो हमको पब्लिक में बोलने दिया जाय, क्यों आपने रोक लगा रखी है। आपके जो जनतंत्रवादी नेता है, वे हमें क्यों नहीं इजाजत देते ? आपने सभी जिलों के अन्दर पिछले साल भर से दफा 144 लागू कर रखी है और कहते हैं कि हमारा जनतंत्र है और हमारा स्वराज्य है। यह स्वराज्य नहीं है, तानाशाही का राज्य है। आज जिस सदन में मैं बैठा हूं उसी में पिछले दो सालों से बैठता आ रहा हूं। मैं देखता हूं कि इतनी पुलिस सादी वर्दी में है जितनी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर जिले 4-4 सी0 आई0 डी0 के इन्स्पेक्टर और कांस्टिबुल मौजूद हैं। दर्शक दीर्घाओं में जितने लोग बैठे हैं, उनमें सब सी0 आई0 डी0 के लोग बैठे हैं और सदन के चारों तरफ सी0 आई0 डी0 पहरा दे रही है। क्या यही जनतंत्र है ? यह विधान सभा हो रही है जो कि पुलिस और सी0 आई0 डी0 के घेरे में हो रही है। सारे सदन को घेरा हुआ है। आज जिनका काम था चोर और डकैतों को पकड़ना, काला बाजार करने वालों को पकड़ना और उन्हें जेल में भेजना लेकिन वे आज यहां पर पहरा दे रहे हैं। आप पर नहीं, विरोध पक्ष के सिर्फ 10, 150 लोगों पर। हम लोगों पर आपका सारा का सारा ध्यान लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 महीनों में सत्याग्रह भी हुये और उनको मनमाने ढंग से पकड़ा गया। आप झूठे आरोप लगाते हैं। मेरे ऊपर तो न्यायालय में मुकदमा भी चलाया गया, कोई आरोप सिद्ध नहीं कर सके। क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। लोकतंत्र की रक्षा आप भी करने की बात करते हैं और हम भी करते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह समय आ गया है कि हम इन सब बातों पर शांति से विचार करें।

जहां तक जमीन बांटने का सवाल है, कोई वर्ष ऐसा नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं है जब पेट में भूख न लगती हो। अन्न की बात होगी, रोज भूख की बात होगी। लेकिन हमारी जबान पर ताला लगा हुआ है ताकि हम कुछ न बोल सकें। हम यहां पर विचार व्यक्त करने के लिये आये हैं कोई यहां पर दुकानदारी नहीं हो रही है, यहां पर कोई व्यापार नहीं हो रहा है यह सरकार आपने बनाई है और हम विरोध पक्ष में बैठे हैं, जिसके लिये जनता ने हमको इजाजत दी है। लेकिन आज हमारी जबान पर ताला लगा हुआ है। मुख्य मंत्री जी बोलें तो उनका फोटो छपे, राज्यपाल का भाषण अविरल रूप से छपे। उस पर आपका सेंसर क्यों नहीं लगता है ? लेकिन अगर चौधरी चरण सिंह यहां पर बोलते हैं तो उनकी एक लाईन भी नहीं छपती है। आप कहते हैं कि भेद-भाव नहीं हो रहा है लेकिन भेद-भाव हो रहा है यह मैं अपनी आखों से देख रहा हूं किस-किस का जिक्र करूं।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह भेद-भाव समाप्त होना चाहिये। प्रेस हमारी भावना को जनता तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। जिस प्रकार शरीर से जबान को काट दिया जाय तो बाकी शरीर बोल नहीं पायेगा। शरीर से अगर हाथ काट दिया जाय तो बाकी शरीर रहेगा, आंख फोड़ दी जाय तो बाकी शरीर रहेगा लेकिन अगर जबान ही काट दी जाय तो बाकी शरीर बोल नहीं पायेगा। आप कहते हैं कि हिन्दुस्तान में लोकतंत्र है। रेडियो में और अखबारों में आप कहते हैं कि जनतंत्र है लेकिन हिन्दुस्तान का हर बच्चा बच्चा जानता है, हर आदमी जानता है, कि लोक तंत्र समाप्त हो चुका लेकिन इमरजेंसी के कारण वह बोल नहीं रहा है। आज भारत में लोक तंत्र नहीं है

इसीलिये हम कहते हैं कि लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया जाय। आज हम यहां पर बोल रहे हैं यह कोई आपकी कृपा नहीं है। अध्यक्ष जी, आप के माध्यम से वह सुरक्षित है। लेकिन आज प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। एक गाईडलाइन केन्द्र की हैं, दूसरी गाई डलाइन हमारी प्रदेश सरकार के सूचना विभाग की हैं जिस पर किसी का नाम नहीं है। यह कहा गया है कि जो प्रेस में जायेगा, उसकी एक कापी सरकार को जायेगी। आखिर किसलिए? 1975 तक हमारी सारी बातें जो यहां पर होती हैं वह छपती रही कभी हमने शिकायत नहीं की लेकिन आज जब से आपात्कालीन स्थिति लागू हुई उसको कवरेज नहीं मिलता है। हम यहां किस लिए बोलते हैं इन दीवारों को सुनाने के लिये? हमारी बातों को जो हम यहां पर बोलते हैं उसको जनता जानना चाहती है उसके लिये प्रेस ही माध्यम है। उसका माध्यम यह विधान सभा की जो किताबेंहै छः महीने बाद छपकर मिलती हैं वह नहीं है यह जनता के पास नहीं पहुंचेगी, यह जनता के पास नहीं जायेगी। इसलिये सत्य को स्वीकार करें मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है, यह मेरे अंतरात्मा की आवाज है इसे समाप्त करें। आप कहेंगे कि हमारी बातें भी नहीं छपतीं तो यह सरासर गलत है। अगर आप यही चाहते हैं तो यह सब बेकार है बजट तो आप पास करा ही लेंगे फिर विरोध पक्ष की क्या जरूरत है, लेकिन यह सब अधिकार इसलिये दिया गया है कि अगर कहीं पर कोई गलत बात हो रही है तो उसके लिये ध्यान दिलाया जाय और अगर कोई बात सही हो तो उसे माना जाय। इसलिये यह बनाया गया है आज इसको आप समाप्त करने जा रहे हैं और हमसे कहते हैं कि आप खामोश रहें।

आज इस सदन में बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, वैसे हमारे नेता चौधरी चरण सिंह जी छोड़ दिये गये, मुझे नहीं मालूम कि किन कारणों से छोड़ा उन्हें भी वह मालूम नहीं है, वह उत्तर प्रदेश की जनता के नेता हैं, उनके हाथ में नेतृत्व है, इसी तरह से संगठन कांग्रेस के नेता इस सदन में हैं। सभी लोग मौजूद हैं लेकिन मुझे दुख है कि हमारे जनसंघ के नेता श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अभी भी जेल में बंद हैं। हमारे साथ यह क्यों ज्यादती हो रही है। जनसंघ पार्टी के साथ ही यह सबसे ज्यादा अन्याय क्यों हो रहा है? अगर कोई अनुचित बात की हो या गैर कानूनी बात की हो तो आप मुकदमा चलाइये, उसके लिये सजा दीजिये, हम उसके लिये तैयार हैं, सजा मिलनी चाहिये लेकिन आप केवल राजनीतिक अय्याशी के लिये यह बात कर रहे हैं। इसके लिये हम बराबर संघर्ष करते रहेंगे, हिन्दुस्तान की जनता इसके लिये संघर्ष करती रहेगी। अंग्रेजी राज्य के लिये हमने संघर्ष इसलिये नहीं किया था कि उसका राज्य खराब था बल्कि इसलिये किया था कि वह एक विदेशी सरकार थी। आखिर हम उसको हटाने के लिये फांसी के तखत को चूमे संग्राम किया और उसी प्रकार से आज आप हमको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं अतः संघर्ष जारी रहेगा। रोजी रोटी की बात तो रोज होती है, लेकिन पहले हमारी जबानों पर से ताला हटाओ, लेखनी पर से कानून की बंदिश हटाइये।

मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, जो मुख्य मंत्री के हाथ में है, जो अपने को बहुत बड़ा पार्लियामेन्टेरिएन होने का दावा करते हैं, जो इतनी मोटी मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस की किताब यहां लेकर आते हैं और हमको हर मुल्क की प्रेक्टिस सिखाया करते हैं, कि हमसे पिछड़ा हुआ एक प्रदेश बिहार है, उसके बारे में लिखा गया है कि वहां पर जो सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगी हुई थी, वह समाप्त कर दी गई है और लोगों को जनता में बोलने की इजाजत हो गई है। तो मेरा कहना है कि यह तो कम से कम यहां भी होना चाहिये, हम आपस में अपनी बातें दूसरों से कह सकें। हमको इसकी इजाजत होनी चाहिये।

इसके अलावा प्रदेश में हमारे तमाम शिशु मन्दिर हैं बच्चों को पढ़ाने के लिये जो चलाए जाते हैं, उनको आर0 एस0 एस0 का अड्डा बताया गया है। (व्यवधान) मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप शिशु मन्दिर के नतीजों को अपने स्कूलों तथा अन्य स्कूलों के

[श्री सत्य प्रकाश]

नतीजों से मुकाबला कर लीजिए और देख लीजिए कि किसका परीक्षा फल और अनुशासन अच्छा रहा है। यह एकेडिमिक डिस्कशन की चीज है, उसका उसी तरह से सामना कीजिए। यदि उत्तर प्रदेश में सारे के सारे स्कूल सरकारी हों, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन सरकार के अतिरि त अन्य दूसरे लोगों को अपने स्कूल चलाने दिया जाय और हम पर लांछन लगाकर असत्य प्रचार करके शिशु मंदिर बन्द हों, यह ठीक नहीं है और इस पर हमें बड़ी आपत्ति है कि किसी का गला मरोड़ दें आप और किसी को खुली छूट दे दें। वहां की किताबें बदली जा रही हैं, अध्यापक हटाए जा रहे हैं, ऐडमिनिस्ट्रेशन बदला जा रहा है। अभी हाईकोर्ट में यह सारे का सारा मामला विचाराधीन है, उसका फैसला आने देते तब कोई कदम उठाते। लेकिन ऐसा न करके आपने अपनी हार देखकर उसके पहले ही आर्डिनेन्स जारी करके सारे के सारे शिशु मन्दिरों को अपने हाथ में ले लिया। यह 1 से 5 दर्जे तक के बच्चों से आप बदला ले रहे हैं, हमारी वजह से आप उनसे बदला ले रहे हैं। हमें मालूम है कि दूसरे स्कूलों का क्या स्टैन्डर्ड है और यहां का क्या है। आपको आपत्ति कोई थी तो उसकी जांच कराते और उस संस्था विशेष को बन्द करा सकते थे। जिस तरह से कंस को हर जगह कृष्ण ही दिखाई पड़ता था, वैसे ही आज आपको प्रदेश के हर कोने में, हर स्थान पर आर0 एस0 एस0 और जनसंघ ही दिखाई पड़ता है। इसका नतीजा क्या होगा, यह आप सोच लीजिये। आप शान्ति से सब पर विचार कीजिये और जो जो गल्तियां हैं, उन पर विचार कर उनका सुधार कीजिये। आप किसी को ऐसी गाली न दें, जो आप स्वयं पर लागू हो। जो स्वयं शीशे के मकान में रहता है, उसे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिये। इसके साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश अमेन्डमेंट का समर्थन करता हूं।

श्री भीखालाल—

सरस्वती शिशु मन्दिर के लड़कों ने सम्भल में मस्जिद जला दी थी।

श्री सत्य प्रकाश—

यह सब झूठ है, जांच कराइये।

(व्यवधान)

*श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत हुआ है, मैं उसके पक्ष में बोलने और उसमें जो संशोधन विरोधी दल के नेता ने प्रस्तुत किया है, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं इस सदन में पहली बार चुनकर आया हूं और दो साल का मुझे अनुभव है लेकिन हमने जो कुछ पढ़ा था वह यह-पढ़ा था कि विधान सभा में सरकार की जो नीति होती है उस पर विरोध पक्ष अपने विचार व्यक्त करता ह और सरकारी पक्ष उन विचारों को उस परिपेक्ष में प्रस्तुत करता है जिस परिपेक्ष में वह अपना कार्यक्रम चलाता है। माननीय विरोधी दल के नेता के विचारों को मैंने ध्यान से सुना। हम अगर कहें कि हम उनसे ज्यादा बुद्धिमान हैं या ज्यादा अनुभव प्राप्त हैं तो यह हमारी धृष्टता होगी। वह बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं और जनसेवा भी उनकी काफी है। लेकिन उन्होंने जिस किस्म की बातें की है और उन्होंने एक ही बात पर जिस तरह से सारे भाषण को केन्द्रित किया है, मान्यवर, मुझे सुनकर बड़ा दुःख हुआ, बड़ा क्लेश हुआ। हमारे एक विधान सभा के माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारे विधान सभा के माननीय सदस्य के एक मिनट के भाषण की कीमत 200 रु0 होती है। मान्यवर, कितनी हजार रुपये उनके भाषण म खर्च हुए होंगे। कोई हमारी समझ में नहीं आया कि उनके कहने का मकसद क्या था। मान्यवर, यह होता है कि एक दल दूसरे दल पर आक्षेप करता है, उनकी कमियां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की आलोचना करता है लेकिन उन्होंने भारतीय इंदिरा गांधी जी को अपना टारगेट बनाया। उन्होंने फिर बहन जी कहा है। इस तरह से उन्होंने अपना खुद भाषण इस प्रकार से देकर अपने स्तर को कम किया है।

मैं चौधरी जी से यह कहना चाहता हूं कि वह कहते हैं कि यह तानाशाही चल रही है। मान्यवर, जब देश खतरे में था तब उनसे कहा जाता था कि इस्तीफा लिखो। मान्यवर, ऐसी स्थिति इस देश में हो रही थी। मान्यवर, विधायकों को वहां की जनता चुन कर भेजती है वह अगर किसी कारणवश वहां पर इस्तीफा दे देते हैं माननीय सदस्य तो इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकेगा। मान्यवर, अगर किसी सदस्य को चुनकर विधान सभा में भेजा जाता है और ऐसे लोग जो जनता के मतदान से चुने हुए सदस्य को मजबूर करते हैं, लाठी से, हथौड़ों की मारपीट से कहते हैं कि तुम यहां इस्तीफा लिखो। मान्यवर, भारतीय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी.....

श्री अध्यक्ष —

आप भारतीय प्रधान मंत्री न कहिए, अपनी प्रधान मंत्री कहिये।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

मैं स्वीकार करता हूं, मान्यवर। मेरा यहां कहने का मतलब यह था कि विरोधी पक्ष के लोगों को यह समझना चाहिये कि हम एक कठिन समय में थे और अगर ऐसा नहीं करती सरकार तो सरकार अपनी अकर्त्तव्यपरायणता के दोष की भागी होती। लेकिन इस तरह से करके देश को बंगला देश की जैसी घटना को दोहराये जाने से बचाया गया। यह समझना चाहिये ठीक है कोई भी सरकार करेगी उसमें कुछ दोष होंगे कुछ गुण होंगे। अगर सरकार के दोषों को बताया जाता है, तो उससे सरकार को ताकत मिलती है और हमको रास्ता मिलता है कि कहां पर हमारी कमियां हैं।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के भाषण में जितनी बातें थीं, उनपर न तो किसी विरोधी भाइयों ने चर्चा की और न चौधरी साहब ने किया। महामहिम राज्यपाल जी के भाषण में यह बात है कि जो अर्थशास्त्र की सबसे बढ़िया बुनियाद है, वह हमारे देश में शुरू की गयी है। इस बात की राज्यपाल जी के भाषण में काफी चर्चा है। बंधुआ मजदूरी खत्म की गयी। मान्यवर, गुलामी के बाद बंधुआ मजदूरी की प्रथा को समाप्त करने के लिये राज्यपाल जी ने अपने भाषण में काफी प्रकाश डाला है। इन सब अच्छी बातों की ओर विरोधी पक्ष के लोगों का ध्यान नहीं गया। होर्डिंग तथा भुखमरी आदि में सुधार लाने के लिये इस भाषण में कहा गया है। इसके लिये हमारी सरकार दृढ़संकल्प है। इसके लिये उनको बुरा लगता है तो जेल उनके लिये बड़ी सजा नहीं हो सकती है। प्रशासनिक सुधार में सरकार ने कुछ बातें कहीं हैं लेकिन जैसा आप जानते हैं यहां पर राष्ट्रपति शासन हुआ और उसका आपको अनुभव है। मैं इस अवसर पर आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में थोड़े एक ही शब्द में बताया कि प्रजातंत्र के प्रति आप में कितना प्रेम है। इससे हमें उत्साह मिलता है। हमारी मायूसी दूर होती है।

मान्यवर, सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं; उनको चाहिये कि प्रशासन में सुधार करें। हम चाहते हैं कि प्रशासन में सुधार किया जाये। अच्छा होता यदि बेसिक एजूकेशन, सरकारी समिति और पीने के पानी की समस्याओं को हल किया जाये। ग्राम पंचायतों, प्राइमरी शिक्षा और पीने के पानी का मिनिमम नीड प्रोग्राम बनाना चाहिये। सब से पहले ग्राम स्तर पर इन बातों को करना है। कक्षा 8 तक शिक्षा सुलभ होनी चाहिये। हर गांव में पंचायत होनी चाहिये। जहां तक पीने के पानी की समस्या है मैं अखबारों में पढ़ता हूं कि उसकी कितनी समस्या है। सरकार को इस ओर शीघ्र ही ध्यान देना चाहिये। पहाड़ों पर मान्यवर, 3–3 मील दूर पर पानी के लिये जाना पड़ता है। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि पीने के पानी की कितनी समस्या है। सरकार को चाहिये कि वह इन सब बातों को देखे कि जनता का धन जो है, उसका उपयोग ठीक ढंग से हो।

[श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला]

मान्यवर, पर्वतीय भाग की समस्या अलग ही है। पर्वतीय क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। मान्यवर, आप देखें कि पर्वत के ही लोग देश की रक्षा करते हैं, उसकी सीमाओं पर तैनात हैं। उनकी सैनिक शिक्षा के लिये वहां पर सैनिक स्कूल होना चाहिये जिससे यह ट्रेनिंग प्राप्त कर सकें। मान्यवर, पहाड़ों पर सैनिक स्कूल हो जाने से वहां के लोगों को और उस क्षेत्र के बच्चों को ट्रेनिंग मिल जायेगी और वह अच्छी तरह से उसका ज्ञान हासिल करेंगे। इससे वे अच्छी-अच्छी नौकरियों में में जा सकेंगे और अपनी हालत में सुधार कर सकते हैं। इस तरह सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करता हूं कि वह इस पर जरूर ध्यान दे। इसी के साथ ही साथ पीने के पानी की जो समस्या है उसकी ओर भी शासन को ध्यान देना चाहिये। और हर संभव वहां पर पानी की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाना चाहिये। मान्यवर, जो फारेस्ट प्रोडक्शन है, उसके आधार पर उद्योग वहां पर खड़ा किया जाना चाहिये।

मान्यवर, हरिजनों पर अत्याचार की बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जब उन पर बीतती है तो कांग्रेस के आदमी भी पीछे नहीं रहते हैं। मैंने अपने जिले और अन्य जिलों को देखा है और सुना है कि कांग्रेस वालों पर ये आरोप लगाये जाते हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। मेरे जनपद में एक फोरेस्ट की भूमि है। उस पर चारों ओर सवर्ण जाति के लोग बसे हुए हैं। सरकार के वन विभाग ने उनको टच नहीं किया, लेकिन जहां पर वृक्ष भी नहीं थे वहां के हरिजनों को हटाया गया। सरकार की नीति है कि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलना चाहिये, इसी उद्देश्य से आवंटन की नीति में उनको प्राथमिकता दी जाती है।

आज हमारी जो टेक्निकल शिक्षा है, इसमें भी सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज हमारी शिक्षा बेरोजगारी को बढ़ा रही है। हमारे युवक बी० ए० और एम० ए० कर लेते हैं लेकिन टेक्निकल ज्ञान न होने के कारण उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। इसकी ओर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। हमारी शिक्षा रोजगारपरक होनी चाहिये।

विरोधी पक्ष के लोगों ने जो बातें सदन में कहीं, उनके सम्बन्ध में देश की औद्योगिक प्रगति का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे देश में सबसे पहले रेलें वर्ष 1806 में चलीं। अंग्रेजों ने हमारे देश में वर्ष 1947 तक राज्य किया। जब से रेलें चलीं और तब तक जब कि वे हमारे देश से गये, 141 वर्ष की अवधि हुई लेकिन उन्होंने इस देश में एक भी कारखाना नहीं खोला कि जहां पर इजिन तैयार हो सकते थे। वे इंग्लैंड से ही इंजिन लाते रहे। वर्ष 1960 में हमारे देश में इजिनों का कारखाना चितरन्जन में लगा और अब वहां पर हर वर्ष हजारों इंजिन्स तैयार हो रहे हैं। यह देश की प्रगति को बतलाता है। पहले हमारे देश में लोगों की औसत आयु 25 वर्ष थी, अब यह बढ़कर 50 वर्ष हो गई है। इसी प्रकार से गेहूं, चावल और गन्ना का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा है। मैंने यह भी पढ़ा है कि पहले हम हर चीज में पीछे थे लेकिन आज हमारी कृषि की जो टैक्नोलाजी है वह बहुत से देशों से अच्छी है। इन सब बातों से पता चलता है कि हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक तो माननीय श्रीनारायण की है, जिसमें मिलों पर किसानों के गन्ने के बकाया का प्रश्न उठाया गया है। यह प्रश्न आप बार-बार उठाते हैं। इस बारे में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा के बीच इसकी चर्चा हो सकती है। इसके अतिरिक्त निकट भविष्य में बजट पर सामान्य चर्चा भी होगी तथा सम्बन्धित अनुदान के सम्बन्ध में भी आपको अवसर होगा। तब आप इसे उठा सकते हैं।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

मान्यवर, चीनी मिलें बन्द हो गई हैं। किसानों के गन्ने का नुकसान हो रहा है। आप इसे वक्तव्य के लिय स्वीकृत कर लें।

श्री अध्यक्ष—

आप अभिभाषण के सम्बन्ध में बोलते हुए इस पर कह लें।

श्री श्रीनारायण—

मान्यवर, हुगली मिल बन्द हो गई है। किसानों का पिछले वर्ष का भी बकाया है और इस वर्ष के जब दाम मांगते हैं तो उन्होंने मिल ही बन्द कर दिया। आसपास की मिलें भी बंद हो गयी हैं। वहां के किसान परेशान हैं, उद्वेलित है। तो कृपया इसको वक्तव्य के लिये रख दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

इस बीच में जब आपको इसका उपचार उपलब्ध है. . . . .

श्री दीपनारायण पांडेय (जिला गोंडा)—

कार्यवाही के लिये भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

हां, कार्यवाही के लिये भेज देता हूं, वह तो ठीक है। लेकिन 56 और 51 में आप देते जायं हर सवाल को और अन्त में कहें सब कार्यवाही के लिये भेज दीजिये तो कैसे होगा यह ? मैं इसको भेज देता हूं, लेकिन आप जानते हैं ये चीनी मिलों पर किसानों की बकाया कीमत एक निरन्तर प्रश्न है। यह कोई तत्काल की ही घटना नहीं है।

श्री श्रीनारायण—

जो गन्ना खेत में खड़ा है और मिल बन्द हो गयी, उसके लिये मैंने दिया है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, कार्यवाही के लिये भेज देता हूं।

दूसरा है माननीय दीपनारायण पांडेय, दीपनारायण वन और सत्यवीर सिंह का। उन्होंने जो लखनऊ नगर में कुमारी शुभ्रा लहरी हत्याकांड है, उसके बारे में दिया है। तो मैं तो समझता हूं कि यह मामला तो सी0 आई0 डी0 के सिपुर्द हो गया है शायद सी0 बी0 आई 0 के सिपुर्द हो गया है। इसमें क्या आप चाहेंगे ?

श्री दीपनारायण पांडेय—

यह जरूरी है चूंकि 24 तारीख के अखबार में है कि इसमें बड़े-बड़े लोगों का हाथ है।

श्री अध्यक्ष—

आप जानते हैं कि यह मामला सी0 आई0 डी0 या सी0 बी0 आई0 के सिपुर्द कर दिया गया है। सी0 आई0 डी0 की कार्यवाही अपनी होती है न ?

श्री दीपनारायण पांडेय—

चूंकि इसमे बड़े-बड़े लोगों का हाथ है. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

सी0आई0डी0 को सिपुर्द करने के पहले तो आप कह सकते थे लेकिन जब सी0आई0 डी0 की जांच चल रही है तो इस वक्त आप क्या मदद करना चाहते हैं ? यहां बहस करने से क्या फायदा ? यह गोपनीय प्रकृति की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा हो रही है, उसके बारे में आपशासन को क्या बतायेंगे ?

श्री दीपनारायण पांडेय—

यह इस सदन में चर्चा का विषय होना चाहिये। रोज कत्लेआम हो रहा है। इसमें कुछ प्रभावशाली लोगों का हाथ है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि वह कौन लोग हैं ?

श्री अध्यक्ष—

प्रदेश की जनता को सन्तोष होना चाहिये और आप उसको सन्तुष्ट करने की दिशा में अग्रसर रहें कि शासन द्वारा जो कार्यवाही इस हत्याकांड के सम्बन्ध में की गयी है, वह पर्याप्त है।

श्री दीपनारायण पांडेय—

वक्तव्य आप दिला दीजिये, हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इसको आप जो राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है और आय-व्ययक पर और अनुदानों पर जो चर्चा चलेगी, उठा सकते हैं। शासन जवाब दे देगा।

श्री दीपनारायण पांडेय—

अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

लोक महत्व का है, लेकिन बड़ी गोपनीय प्रकृति का है। इसके बारे में बयान के लिये भी स्वीकार करना उचित नहीं है। अगर शासन का जवाब नहीं आयेगा आपके इस बात के उठाये जाने पर तो देखा जायगा।

श्री दीपनारायण पांडेय—

कम से कम उन तीन आदमियों का नाम ही आ जाता।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

जो भी उपलब्धि हो, सदन में वह प्रस्तुत हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

वह तो आप प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है। बयान का मतलब है कल परसों में शासन बयान दे और वह मामला सी0 आई0 डी0 को दिया गया है और गोपनीय प्रकृति का है। इसलिये अभी स्वीकार करना निरर्थक होगा।

श्री दीपनारायण पांडेय—

बयान के लिये रख दिया जाय; फिर देखिये सरकार की ओर से क्या बयान आता है ?

श्री अध्यक्ष—

अगर इसे आप उठायेंगे अभिभाषण पर जो बहस चल रही है, उसमें और शासन की ओर से उसका जवाब नहीं आयेगा, तो मैं देखूंगा।

श्री दीपनारायण पांडेय—

मैं तो केवल यह चाहता हूं कि जो लोग राजनीतिक वातावरण को गन्दा कर रहे हैं और जो सफेद पोश जरायम करने वाले हैं, उनके चेहरे भी जनता के सामने आने चाहिये। तीन-तीन आदमियों का नाम छिपाया जा रहा है। जनता जानना चाहेगी कि वह कौन से लोग हैं। यह राजधानी है, जहां मंत्री और बड़े-बड़े अधिकारी रहते हैं, उनकी छत्रछाया के नीचे यह कांड हुआ है।

श्रीअध्यक्ष--

उसको आप यहां उठायेगें अ प और शासन की ओर से जो उत्तर आयेगा, उससे आप संतुष्ट न हो तब इसे दीजियेगा, तो देखा जायेगा ।

श्री दीपनारायण पांडेय--

केवल इसे वक्तव्य के लिये मान लीजिये ।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)--

जवाब तो माननीय सदस्य माकूल कहते हैं । जब यह कहा जा रहा है कि इसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हैं जिस बेचारी का कत्ल हुआ है उसने अपने कत्ल से पहले राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी तो यह चीज सब की रोशनी में कैसे आयेगी ? आप कहते हैं कि सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया है, केन्द्र की सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया है लेकिन माननीय सदस्यों को यह तो मालूम हो कि इस कांड में किन किन लोगों का हाथ है । अगर वे बड़े लोग हैं तो वे सी0 आई0 डी0 पर भी असर डलवा सकते हैं । तो और चारा ही क्या है जानने के लिये कि इसके पीछे कौन-कौन हैं ? कुछ सूचना इस सिलसिले में मेरे पास भी है । तो कम से कम सरकार इतना तो बताने का कष्ट करे कि आखिर राष्ट्रपति को चिट्ठी क्या गयी है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप प्रश्न कर सकते हैं । आप अल्पसूचित प्रश्न करें, उसका जवाब आपको दिलवा दिया जायेगा । प्रश्न आप दें, माननीय सदस्य दें या जो कोई भी दे ।

श्री दीपनारायण पांडेय--

मेरी गुजारिश है कि इस बारे में प्रदेश की जनता जानना चाहती है । इसलिये मेरी दरख्वास्त है और आपसे एक ही आग्रह है कि इस पर आप बयान जरूर दिलवा दें ताकि प्रदेश की जनता को सन्तोष हो कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है । अगर इसको कोई दबवा दे तो क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष--

दबाने का कोई सवाल नहीं है । राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर बोलते हुए अगर आप इसकी गुरुता पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करें या आपके और कोई साथी आकृष्ट करें और शासन उसका समाधान न करे तब तो ठीक है । एकाध मैं स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन जब राज्यपाल का अभिभाषण चलता है तो उस समय सारी बातें कह सकते हैं । इस समय सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का अवसर आपको उपलब्ध है, प्राप्त उस अवसर का इस्तेमाल न करके आप अनउपलब्ध अवसर की तलाश में हैं ।

श्री नियाज हसन खां--

माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का जवाब अपने बयान में दें, तो ठीक है । लेकिन अब वे बिलकुल सो जाय और इस प्वायंट का जवाब ही न दें, तब क्या होगा ?

*श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

हर एक मेम्बर को इस पर बोलने का हक है, लेकिन जवाब देने के लिये किसी को मजबूर तो किया नहीं जा सकता है । जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि इसमें बड़े-बड़े लोगों का हाथ है, पोलिटिकल लोगों का हाथ है और वह गरीब बेचारी मार डाली गयी । इसलिये उस पर एक बयान तो दिलवा दें कि किस तरह से, किस दिन, किस वक्त, कहां उसका मर्डर हुआ और इस सिलसिले में राष्ट्रपति को जो चिट्ठी गयी, वह क्या है ? यह तो मालूम हो जाय । सी0 बी0 आई0 या किसी विभाग पर यहां बयान देने से कोई असर तो पड़ेगा नहीं । इसलिये अगर आप इस पर बयान दिलवा दें तो सब को सन्तोष भी हो जायेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

बयान के लिये स्वीकार करने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि इससे एक नयी परम्परा पड़ जायेगी। राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर किसी भी चीज पर बोलने का सब को अवसर मिलता है। अगर उस अवसर से आप सन्तुष्ट न हों और आपको जवाब न मिले तब तो बेशक यह वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जा सकता है। तब देंगे, तो यह वक्तव्य के लिये स्वीकार हो सकता है और फिर मुख्य मंत्री जी भी नहीं हैं। बार-बार शासक दल के माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं। आप किसी प्रश्न को नियम 51 में रोज दे सकते हैं हमको कहना पड़ रहा है कि अभी मुख्य मंत्री जी भी नहीं हैं।

गृह राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर)—

मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्य प्रश्न कर दें। प्रश्न के उत्तर में स्थिति साफ हो जायगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मान्यवर, अगर यह कह दिया जायगा कि यह तो से टर की चीज है तो क्या होगा? प्रश्न तो किया गया है, राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है, उस सम्बन्ध में किया गया है, जो चिट्ठी राष्ट्रपति को पहले लिखी गयी है, उस सम्बन्ध में किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

वह तथ्य हो सकता है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मान्यवर, अगर जवाब भी हो जायगा, अगर ऐसा रहा तो बात परदे की परदे में रह जायगी।

श्री अध्यक्ष—

इस सदन की परम्परा आप अच्छी तरह से जानते हैं। इतने माननीय सदस्य खड़े हैं अगर मुख्य मंत्री जी होते तो खड़े होकर जवाब दे देते और मामला खत्म हो जाता। आपके विरोध पक्ष के लोग आपको अत्यधिक समर्थन दे रहे हैं इसको आप नहीं समझते हैं तो मैं क्या बताऊं? अच्छा है इधर के लोग उधर की मदद करें और उधर के लोग इधर के लोगों को मदद दें, यह अच्छा है।

एक सूचना माननीय नियाज हसन खां ने दी है कि श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी को 29-2-76 को पुलिस ने चारपाई से खींचकर पीटा और उनके साथ वहशियाना ढंग से व्यवहार किया। तो यह डी0 आई0 आर0 में गिरफ्तार हुये या मीसा में? किस किस्म को गिरफ्तारी है?

श्री नियाज हसन खां—

जिस वक्त अस्पताल में भर्ती थे, उस वक्त मीसा में थे।

श्री अध्यक्ष—

तो मीसा के बारे में यहां कैसे बहस होगी?

श्री नियाज हसन खां—

मान्यवर, अन्य राजनैतिक बंदी थे। कहीं और होता तो बात अलग थी, मगर अस्पताल में यह हो तो आखिर यह कैसे और कब तक जारी रहेगा? मान्यवर, चन्द्र मोहन सिंह नेगी जो हैं ये उप मंत्री रह चुके हैं। यह राजनैतिक बंदी हैं। इनकी बीबी के बाल पकड़ कर धक्का दे दिया गया। मान्यवर, इस तरह का व्यवहार किया गया। हम इसको कैसे उठा सकेंगे?

श्री अध्यक्ष—

पुलिस की ज्यादती हुयी है यह आप कह सकते हैं। इनके साथ दुर्व्यवहार किया या है, इस स्थिति के बारे में कह सकते हैं। तो स्थिति की जानकारी करा देंगे कि सही है या नहीं, इसको दुर्व्यवहार आप कह सकते हैं।

श्री नियाज हसन खां—

मान्यवर, चन्द्र मोहन सिंह नेगी के मामले में इनकी बीबी ने एक प्रार्थना पत्र 1 मार्च को मुख्य मंत्री जी को दिया है और अनुरोध किया है कि इसकी जांच की जाय, जिन्होंने जुल्म किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, तो इसका उत्तर भी नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, यह पहलू जो है कि बेरहमी से फेंक दिया तो इसको देखा जा सकता है। लेकिन मुख्य मंत्री जी आ जायं तो इस पर आप बात करें, अभी नहीं। आवश्यक कार्यवाही क लिये कहें, तो भेज दें।

श्री नियाज हसन खां—

मान्यवर, बयान होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

उनको आने दीजिये, तब देखेंगे। हो सकता है कि शासन स्वयमेव बयान दे दे, चूंकि आपने पत्र का हवाला दिया है इसलिये भी।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
25 मार्च, 1976।

सत्य प्रिय सिंह
सचिव, विधान सभा;
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 300..पर।]

सूखाग्रस्त ग्रामों की सूची (तहसील ज्ञानपुर)

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	क्रम-संख्या	ग्राम का नाम
1	2	1	2
	ब्लाक ज्ञानपुर		
1	विसौली कृपालपुर	34	तिवारीपुर
2	ख्योंखर	35	चहरपुर
3	नेवादा	36	कांवल
4	जगतपुर	37	चक सिखारी
5	मकनपुर	38	नन्दपुर
6	मिड़िउरा	39	पुरेगड़रिया
7	क्षत्रशाहपुर	40	गजधरा
8	दुलहीपुर	41	चक किसनदास
9	घाटमपुर	42	भुसौला
10	भोपतपही	43	सप्हई
11	हियाई	44	वेदपुर
12	उधोपुर	45	जोरई
13	पाली	46	लखनी
14	गनेश रायपुर	47	टकटैया
15	नौवापुर	48	केसवपुर सरपतहा
16	कुसौली	49	चक टोडर
17	नथईपुर	50	जीतरामदत्त
18	कारीगांव	51	मिस्की
19	वेयी परवां	52	शिवरामपुर
20	चकसाहब	53	रायपुर
21	संसारापुर	54	चकहनुमान
22	हिच्छनपुर	55	चक श्रीदत्त
23	सारीपुर उर्फ उमरपुर	56	परशुरामपुर
24	केसीदहा	57	बंजापुर
25	सइसीपुर	58	पूरे कोड़रिया
26	मीनपुर	59	उमरिया
27	रमईपुर	60	पुरेरूप
28	जीयनपुर	61	बिजईपुर
29	सोनरवरी	62	ठुहिया
30	पुरेबहुरिया	63	भावसिंहपुर
31	धानोपुर	64	चकसुन्दर
32	हरिहरपुर	65	देवजीतपुर
33	वेदो खास	66	गोपीपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	1	2
67	काशीरामपुर	93	भैरीपुर
68	गिरधरपुर	94	कूवी हरदीप पट्टी
69	सिंहपुर	95	मिया का पुरा
70	चक जौंका	96	सौवरी
71	छोटूपुर	97	चौरहटा
72	चक मनीराम	98	मुगरी
73	भिड़िउरा	99	विश्वनाथपुर
74	रामपुर धौबार	100	पुरभान
75	—	101	श्रीकान्तपुर
76	भुड़की	102	चकसारनाथ
77	केसापुर	103	बिगहिया
78	लक्षमण पट्टी	104	माहनपुर
79	धरांव	105	धुर्रमटका
80	बनकट	106	पिलखुना
81	राम का पुरा	107	हरिहरपुर
82	पुरैरजा	108	रौही
83	मतैथू	109	अकोडा
84	कनकपुर	110	दशरथपुर
85	गोविन्द पट्टी	111	वारी
86	मेढो	112	कसियापुर
87	गिरधरपुर	113	घहरहा
88	प्रतापसिंह पट्टी	114	पकरीखुर्द
89	वीरभद्र पट्टी	115	पकरी कलां
90	दानूपुर पट्टी	116	दशरथपुर
91	हरी पट्टी	117	गल्हया
92	चोराकला	118	भग्वास

ब्लाक डीघ

1	नवधन	15	खानापुर
2	कुरमैचा	16	कलनुआ
3	सुघवे	17	बड़ा गांव
4	भगपुर	18	महुआरी
5	बरेपुर	19	कौलापुर
6	बिछिया	20	प्रयागदासपुर
7	भरतपुर	21	डीघ
8	त्रिभुवनपुर	22	बनकट
9	कलांपुर	23	तिलंगा
10	बनकटखास	24	धनापुर उर्फ बैकुण्ठपट्टी
11	सोकोचौरा	25	बिहरोसपुर
12	सागर रायपुर	26	बेरीबीसा
13	चकमानरता	27	बिरनयी
14	गांधी	28	इनारगांव

उत्तर प्रदेश सभा

1	2	1	2
29	सौनेचा	35	तुलसीदासपुर
30	छतनी	36	इटहरा
31	माधोपुर	37	सुजातपुर
32	किसुनदेवपुर	38	आनापुर
33	दुगना	39	कली का मवैया
34	घनतुलसी		

ब्लाक औराई

1	हथियाडिल	26	बनौडीगुलालपुर
2	श्रीरामपुर मैड़हा	27	हरिजनबस्ती (डेहिरया जगदीशपुर)
3	मियांखां का पुरा	28	गिर्द बड़ा गांव
4	कटेबना	29	सरायबाबू
5	माधोसिंह	30	सिंहापुर
6	घोसिया	31	डिथवट
7	जैरामपुर	32	उदयकरनपुर
8	औरंगाबाद	33	नेवादा
9	सीडर	34	चकलाला
10	भमौरी भिसरान	35	धमहापुर
11	चुकधुन्धा	36	भगैनी
12	नकूपट्टी	37	कुनबीपुर
13	हरचहरपट्टी	38	लखनपुर
14	बसन्तापुर	39	जोगीवारी
15	तितिराही	40	चकौडा
16	लीलापुर	41	दीक्षितपुर
17	टेथीपुर	42	ढोढवा
18	पुरौना	43	तुलापुर
19	ऊबापुर	44	पयागापुर
20	मुक्तापुर	45	भवानीपुर
21	चकापुर	46	बनवारीपुर
22	कन्सापुर	47	भावापुर
23	हुसैनीपुर	48	कृपालचकैडा
24	तिड़री	49	चकपुरुषोत्तम (पूरे रिसाल मीर)
25	पुरानापुर		

ब्लाक भदोही

1	खेमईपुर	9	मनापुर
2	चकहरिबंश	10	धोरीखास
3	औसानपुर	11	नरपतपुर
4	कन्सापुर	12	जगदीशपुर
5	डोमनपुर	13	बरैला
6	निदिउर	14	ममहर
7	पल्हैया	15	रमईपुर
8	जोगीपुर	16	दलापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	1	2
17	गरूपुर	35	सनकडीह
18	सरबतखानी	36	पिपरिस
19	नईबाजार	37	जमुआ
20	डोमनपुर	38	चकमईधर
21	गलौरा	39	अनगपुर
22	खेखा	40	मानिकपुर
23	परगासपुर	41	वेदमनपुर
24	मदनपुर	42	कैल्हडा
25	रघुनाथपुर	43	मौढ़रामपुर
26	कुरोठी	44	डोहकोईरान
27	फुलवरिया	45	भुकोडा
28	छितिउना	46	कोस
29	नूरपुर	47	वाडी
30	केसरायपुर	48	बरवाखास
31	रामरायपुर	49	धनबतिया
32	अजयपुर	50	दुरासी
33	महरमा	51	इसमैला
34	बीरापट्टी		

ब्लाक सरियावां

1	सरियावां पट्टीजारावर	24	चमरूपट्टी
2	सिंह	25	मकनपुर
3	कसौडा	26	बहुता चक डाही
4	एकोनी	27	दुमेदुमा
5	छपरिया	28	महादेवपुर
6	भटवरा	29	खरकपुर
7	झिग्हेपुर	30	भौरी
8	तलापुर	31	बहरैची
9	छेतमा	32	सुकापुर
10	केडा	33	मंगुरी
11	तेजसिंहपुर	34	चौगुना
12	हरिपुर	35	कडोरा
13	जमुनापुर	36	चतुरीपुर
14	हरिपट्टी	37	गोपीपुर
15	सरायछत्रगाह	38	अमोला
16	कौथिया	39	गुवाली
17	बलभद्रपुर	40	लालीपुर
18	बेनकट	41	गुडौरी
19	चमरूपट्टी	42	शिवपुर
20	सरायभाव सिंह	43	खरकसनपट्टी
21	छनौरा	44	फत्तूपुर
22	विहियापुर	45	सरायटोला
23	कान्तीरामपुर	46	गंगारामपुर

1	2	1	2
47	टेमा जा0 श्रीपुर	55	भागीरथीपुर
48	बीरापुर	56	नवलपुर
49	मिसराइनपुर	57	बरबसपुर
50	कुढ़वा	58	बूढ़नपुर
51	प्रयागपुर	59	करनपुर
52	मंडा	60	सरायबंसराय
53	धनऊपुर	61	हरदुआ
54	गोथर		

तहसील वाराणसी

ब्लाक सेवापुरी

1	टोडरपुर	14	खबरी
2	खरगरामपुर	15	सोलहरा
3	पतवारुपुर	16	कमलहार
4	बरनी	17	डेकवा
5	खरगपुर	18	पुर
6	पचवार	19	रामसिंहपुर
7	रनिवरला	20	मिश्रवनपुर
8	पसेहूपुर	21	बरंकी
9	सबेहटा	22	थाकुलपुर
10	बीहज	23	सिंडी
11	ठटरा	24	सिंघक
12	गुडिया	25	बहवानपुर
13	गोर	26	जगदीशपुर

ब्लाक आराजीलाइन

27	नयापुर	31	धर्महापुर
28	रूपापुर	32	पखना
29	खेपलो	33	तीयरी
30	मेजपुर		

ब्लाक बड़ागांव

34	हसनपुर	45	चकचमारान
35	तेलारा	46	ढोढईपुर
36	चकिया	47	रामपुर
37	पिरहा	48	अमीठा
38	मधुमुखिया	49	सरांवा
39	साइपुर	50	सोइलार
40	मजगवां कला	51	दादपुर
41	शिसवा	52	महिमापुर
42	अमिला	53	रसुलहा
43	धनअर्जनपुर	54	तिलवार
44	अनेई	55	बीरसाहपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	1	2
56	मजगंवाखुर्द	66	बड़वापुर
57	कनियर	67	सोनही
58	कुसकुरा	68	सहीपुर
59	ईअहो	69	पलीरामपुर
60	विश्वनाथपुर	70	चतुरपुर
61	नेवादा	71	बोलिया
62	खरीरपतवीराव	72	ईश्वरपुर
63	मोटी	73	कोदोईपुर
64	खरोखा	74	हलवरिया
65	विराब		

ब्लाक चिरईगांव

75	मिसपुरा	80	चिरईगांव
76	सुलतानपुर	81	ब्यलिनगर
77	गोईडहा	82	लाहपरी
78	खालिसपुर	83	बरेला
79	बरधरकलां	84	परसीपुर

ब्लाक बेलापुर

85	चौबेपुर	90	अजगेरा
86	वरथराखुर्द	91	सुलतानपुर
87	दाउदपुर	92	लखनपुर
88	महदा	93	पहाड़पुर
89	चौबेपुर खुर्द		

ब्लाक आरो विद्यापीठ

94	सहतिया बाजार	95	भगवार

उत्तर प्रदेश सूचना

नत्थी 'ख'

[देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 303 पर।]

(क) प्रशिक्षण केन्द्रों की रूप-रेखा

1—प्रत्येक केन्द्र में निम्नलिखित स्टाफ होगा :—

क्रम-सं0	पद	संख्या	वेतन
1	मास्टर क्राफ्ट्समैन	2	500 रु0
2	सहायक क्राफ्ट्समैन	2	400 रु0
3	जूनियर फील्ड आफिसर	1	550–900 रु0
4	स्टोर कीपर/एकाउन्ट्स क्लर्क	1	260–400 रु0
5	चौकीदार	1	196–230 रु0

2—प्रत्येक केन्द्र पर 50 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायगा जिन्हें 60 रुपए प्रति माह स्टाइपेन्ड मिलेगा।

3—प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की होगी।

4—प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् प्रशिक्षण केन्द्रों को उत्पादन केन्द्रों में परिणत कर दिया जायगा।

(ख) प्रशिक्षण केन्द्रों का स्थान

जिला वाराणसी

1—कटरा बाजार
2—धनखुलभी
3—ममीपुर
4—रायपुर कोइराना
5—सोहागी
6—जिगना धोरई
7—सेवापुरी
8—मिर्जा मुराद
9—राजा तालाब
10—प्रमेशपुर।

जिला जौनपुर

1—मछलीशहर
2—मड़ियाहूं
3—जमालापुर

जिला मिर्जापुर

1—विषयपुर
2—लालगंज

जिला इलाहाबाद

1—भारतगंज
2—कठारा
3—फूलपुर
4—जंघई
5—हंडिया

(ग) व्यय

प्रत्येक केन्द्र पर 60,000 रुपए के व्यय का अनुमान है।

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 306 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा दि फर्रुखाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, फतेहगढ़ को 31 नवम्बर, 1975 तक दी गई बल्क सप्लाई की दरें

रु0 प्रति के0 बी0 ए0

1—रेट चार्ज	(अ) फिक्स्ड चार्ज—	
	प्रत्येक मास की बिल योग्य मांग के प्रथम 1900 के0 बी0 ए0 पर ..	20.00
	मास के शेष बिल योग्य मांग के के0 बी0 ए0 ..	15.00
	(ब) रनिंग चार्ज—	पैसे प्रति यूनिट
	प्रथम 200 यूनिट प्रति के0 बी0 ए0 ..	14
	200 यूनिट प्रति के0बी0ए0 से अधिक	13
2—बिल योग्य मांग ..	यह वास्तविक के0 बी0 ए0 या शर्तनामों की मांग का 75 प्रतिशत जो भी अधिक हो, माना जाएगा।	
3—कोल सरचार्ज ..	उपरोक्त के अतिरिक्त कोल-अधिभार थर्मल विद्युत् उत्पादन इकाइयों के कोयले के वास्तविक व्यय पर निर्भर करेगा जिसकी गणना कोयले के मूल्य में रु0 50.00 प्रतिटन के ऊपर एक पैसा प्रति टन की वृद्धि होने पर 0.0015 पैसा प्रति यूनिट की दर से की जाएगी।	

दिनांक 1 दिसम्बर, 1975 से पूर्व दि फर्रुखाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड; फतेहगढ़ के विद्युत् वितरण क्षेत्र में लागू विद्युत् विक्रीय दरों की सूची।

शीर्षक	दर प्रति यूनिट पैसे	रिबेट पैसे	शुद्ध दर प्रति यूनिट पैसे
1—प्रकाश एवं पंखा	54	3	51
	न्यूनतम प्रभार रु0 5 प्रति माह		
2—घरेलू शक्ति ..	44	3	41
	न्यूनतम प्रभार रु0 5.00 प्रति माह प्रति के0 डब्ल्यू0 (एक्सरें के लिए न्यूनतम प्रभार रु0 25.00 प्रति माह 9-7-75 तक तथा उसके बाद रु0 5.00 प्रति के0 डब्ल्यू0 प्रति माह)		
3—मोटिव पावर ..	30	2	28
	न्यूनतम प्रभार रु0 10.00 प्रति के डब्लू सम्बद्ध भार प्रति माह।		

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 310 पर।)

सूची (1)

जनपद प्रतापगढ़ के सांगीपुर विकास क्षेत्र में विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्रम-सं0	ग्राम का नाम	विद्युतीकरण की तिथि
1	समसपुर	1966–67
2	बरहुबोर	1966–67
3	शुकुलपुर	1967–68
4	ननौती	1969–70
5	किसुनगढ़	1969–70
6	सरवन	1969–70
7	जगदीशपुर	30–8–71
8	गदियान	30–10–71
9	रंजीतपुर	15–11–71
10	मरैनी	15–12–71
11	अमावा	30–1–72
12	राजापुर	30–9–72
13	नवबस्ता	30–11–72
14	भगतपुर	30–6–73
15	गोपालपुर	30–7–73
16	यदिलपुर	1–2–74
17	ओरीपुर नौगीर	1–2–74
18	दला पट्टी	31–3–74
19	अन्तू	30–6–74
20	भवानीपुर	30–6–74
21	बाबूपुर	31–3–75

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 313 पर।)

नगरपालिका अमरोहा, जिला मुरादाबाद, दिनांक 15 मई, 1969 से अवक्रमित की गई। तब से उक्त नगरपालिका में निम्नलिखित नए कर आरोपित किए गए :—

(1) दिनांक 15 दिसम्बर, 1969 से टोल टैक्स लागू किया गया जिसकी दरों में दिनांक 3 मई, 1973 से शतप्रतिशत वृद्धि की गयी और साथ ही बैलगाड़ी तथा रेड़ी पर भी पथकर आरोपित किया गया। इस वृद्धि से पथकर से होने वाली आय में शतप्रतिशत वृद्धि हुयी।

(2) दिनांक 31 जनवरी, 1970 से प्रेक्षागृह-कर आरोपित किया गया। दिनांक 8 अप्रैल, 1974 से प्रेक्षागृह-कर की दरों में शतप्रतिशत की वृद्धि की गयी। इस वृद्धि से प्रेक्षागृह कर से होने वाली आय में शतप्रतिशत वृद्धि हुयी।

(3) चुंगी शैड्यूल में निम्नलिखित वस्तुओं पर चुंगी की दरों में संशोधन किया गया :—

(क) शकरकन्दी पर चुंगी की दर में दिनांक 25-5-1975 से कमी की गई (1 रु0 10 पैसे से घटाकर 1 रुपया प्रति क्विन्टल)।

(ख) आलू पर उसी दिनांक से चुंगी की दर को 30 पैसे प्रति क्विन्टल से बढ़ाकर 1 रुपया प्रति क्विन्टल किया गया जिससे 300 प्रतिशत की वृद्धि हुयी।

(ग) दिनांक 8 जुलाई, 1970 से बीड़ी पत्ते पर चुंगी की दर को 75 पैसे प्रति क्विन्टल से बढ़ाकर 1 रुपया प्रति क्विन्टल कर दी गयी जिससे इस मद पर चुंगी से होने वाली आय में 33.3 प्रतिशत की वृद्धि हुयी।

(घ) डीजल और पैट्रोल पर दिनांक 8 जुलाई, 1970 से चुंगी की दर को 50 पैसे प्रति क्विन्टल से बढ़ाकर 1.50 रुपए प्रति क्विन्टल कर दी गयी जिससे इस मद पर चुंगी से होने वाली चुंगी की आय में 300 प्रतिशत वृद्धि हुयी।

2—नगरपालिका अमरोहा की गत तीन वर्षों की आय का विवरण निम्नवत है, जिसमें अनुदान को सम्मिलित नहीं किया गया है :—

1973-74	..	14,61,241
1974-75	..	14,13,025
1975-76 (29-2-76 तक)	..	13,06,106

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ 324 पर।)

उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976

जन साधारण के हित में लीसा के क्रय और वितरण का राज्य के द्वारा, दूसरों का अपवर्जन करके, व्यापार चलाए जाने और वन उपज पर आधारित विभिन्न वस्तुओं के निर्माण और तैयारी और उससे सम्बद्ध विषयों के लिए जन साधारण के हित में व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य बन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) (क) अध्याय 1 तथा 3, 4 अक्तूबर, 1975 से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

(ख) अध्याय 2—

(i) अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, गढ़वाल, टिहरी-गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून, बरेली और सहारनपुर जिलों में 4 अक्तूबर, 1975 से प्रवृत्त समझा जाएगा ; और

(ii) उत्तर प्रदेश के शेष क्षेत्रों में ऐसे दिनांक के प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें, और ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में विभिन्न दिनांक नियत किए जा सकते हैं।

अध्याय 2

लीसा के व्यापार का विनियमन

परिभाषाएं

2—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्याय में—

(क) "नियत दिन" का तात्पर्य किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उस दिन से है जब से यह अध्याय उस क्षेत्र में प्रवृत्त हो ;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार के अधिकारी से है, जिसे वह अपनी ओर से लीसा के क्रय या विक्रय के लिए और धारा 5 के अधीन अनुज्ञा-पत्र देने के लिए प्राधिकृत करे ;

(ग) "विहित" का तात्पर्य इस अध्याय के अधीन बनाये गए नियमों द्वारा विहित से है ;

(घ) "लीसा" का तात्पर्य चीड़ या कैल के वृक्षों से छेव द्वारा निकाले गए स्राव से है ;

(ङ) "लीसा डिपो" का तात्पर्य उस स्थान से है जिसको इस रूप में अरण्यपाल उस डिपो के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में छेवे गए लीसा के क्रय, संग्रह या विक्रय के लिए विनिर्दिष्ट करें ;

(च) "लीसा उत्पाद" का तात्पर्य लीसा के प्रसंस्करण से प्राप्त व्युत्पादन से है और उसके अन्तर्गत रोजिन, तारपीन, जमाया हुआ लीसा, और सीधे लीसा से बनाए गए पेन्ट और वारनिश भी है :

(छ) "लीसा छेवक" का तात्पर्य लीसा छेवने वाले व्यक्ति से है ;

(ज) "इकाई" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित इकाई से है ;

(झ) जो शब्द तथा पद इस अध्याय में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित हैं और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय वन-अधिनियम, 1927 में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिये दिए गए हैं।

अधिनियम संख्या 16, 1927

इकाइयों का गठन

3—राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, राज्य को उतनी इकाइयों में बांट सकती है जितनी वह उचित समझे, और जब तक कि ऐसी अधिसूचना द्वारा परिवर्तन न किया जाय, प्रत्येक वन सर्किल (जैसा वह राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश से तत्समय परिसीमित हो) एक इकाई होगी।

लीसा आदि के विक्रय, क्रय और परिवहन पर निर्बन्धन

4—नियत दिनांक को और उसके पश्चात् —

(क) कोई व्यक्ति, जब तक कि वह धारा 10 के अधीन और अनुसार रजिस्ट्रीकृत न हो, लीसा का न छेवन करेगा, न किसी लीसा उत्पाद का निर्माण करेगा और न किसी लीसा या लीसा उत्पाद का निर्यात करेगा ;

(ख) कोई व्यक्ति राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को लीसा का विक्रय नहीं करेगा ;

(ग) राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति लीसा छेंवक से लीसा क्रय नहीं करेगा ।

(घ) राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति लीसा का परिवहन, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, नहीं करेगा —

(i) जहां वह लीसा का छेवक होने के कारण उसका परिवहन जिस क्षेत्र में लीसा का छेवन किया जाय उसके लिए विनिर्दिष्ट लीसा डिपो को करें ; या

(ii) जहां वह राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी की ओर से परिवहन करे ;

(ङ) राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति किसी इकाई में निर्मित लीसा उत्पाद का उस इकाई के बाहर किसी स्थान को ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, जारी किए गए अनुज्ञा-पत्र के बिना परिवहन नहीं करेगा।

विक्रय, परिवहन आदि के लिए अनुज्ञा-पत्र

5—(1) धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या कोई प्राधिकृत अधिकारी ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर और ऐसी रीति के जो विहित की जाय —

(क) किसी व्यक्ति को, जिसने नियत दिन के पूर्व उस क्षेत्र में जिसमें यह अध्याय लागू हो, लीसा क्रय किया हो, राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को ऐसे लीसा का विक्रय और परिवहन करने की अनुज्ञा दे सकता है और राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को उसका क्रय और परिवहन करने की अनुज्ञा दे सकता है ; या

(ख) किसी व्यक्ति को जिसने लीसा उत्पाद का निर्माण करने के लिए राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी से लीसा क्रय किया हो, उसके परिवहन के लिए और लीसा उत्पाद का निर्माण करने के लिए जिस लीसा का उपयोग करने में वह असमर्थ रहा हो, उसके विक्रय के लिए अनुज्ञा दे सकता है ; या

(ग) किसी व्यक्ति को, जिसने उत्तर प्रदेश के बाहर लीसा क्रय किया हो उसे राज्य के भीतर लाने की अनुज्ञा या तो लीसा उत्पाद का राज्य के भीतर निर्माण करने या उत्तर प्रदेश के बाहर अन्यत्र परिवहन के लिए दे सकता है ; या

(घ) किसी व्यक्ति, को जिसने उत्तर प्रदेश के भीतर किन्तु उस क्षेत्र के बाहर जिस पर यह अध्याय लागू होता है, लीसा क्रय किया हो, उसे किसी क्षेत्र को जिस पर यह अध्याय लागू होता है, लीसा उत्पाद का निर्माण करने के लिए परिवहन करने की अनुज्ञा दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन जिस व्यक्ति को अनुज्ञा-पत्र दिया जाय वह विहित फीस का देनदार होगा।

सलाहकार समिति का गठन

6—(1) राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष के लिए और प्रत्येक इकाई के लिए जिसमें लीसा का छेवन किया जाता हो, एक सलाहकार समिति गठित करेगी जिसमें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट नौ से अनधिक सदस्य होंगे :

परन्तु ऐसे सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य वन विभाग के और एक-तिहाई से अनधिक सदस्य लीसा छेवकों में से होंगे।

(2) प्रत्येक ऐसी इकाई की सलाहकार समिति राज्य सरकार को समय-समय पर उचित और युक्तियुक्त कीमत निर्धारित करने के लिए, जिस पर उस इकाई में विक्रय के लिए प्रस्तुत लीसा राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से क्रय किया जा सके, सलाह देगी और ऐसे अन्य विषयों पर भी सलाह देगी जो उसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जायें।

(3) समिति का कार्य विहित रीति से संचालित किया जायगा।

राज्य सरकार द्वारा कीमत निर्धारित करना

7—(1) राज्य सरकार, निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कीमत निर्धारित करेगी जिस पर वर्ष पर्यन्त प्रत्येक इकाई में उसके द्वारा या लिए लीसा क्रय किया जायगा, अर्थात् :—

(क) इकाई के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्ष के दौरान इस अध्याय के अधीन लीसा के लिए निर्धारित की गई कीमत यदि कोई हो ;

(ख) इकाई में छेबे गये लीसा की किस्म ;

(ग) परिवहन व्यय;

(घ) इकाई में श्रमिक के लिए प्रचलित मजदूरी की सामान्य दर ;

(ङ) लीसा छेवने का व्यय;

(च) लीसा पैक करने का व्यय जिसके अन्तर्गत उस डिब्बा का मूल्य भी है जिसमें लीसा दिया जाता है।

(छ) कोई अन्य तथ्य जिसे राज्य सरकार सुसंगत समझे।

(2) इस प्रकार निर्धारित कीमत राज्य सरकार द्वारा निदेशित रीति से प्रकाशित की जायगी, और जिस वर्ष के सम्बन्ध में वह हो, उसके दौरान उसमें परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(3) इस प्रकार निर्धारित कीमत लीसा के शुद्ध भार के लिए होगी, जिसमें उस डिब्बा का भार सम्मिलित न होगा जिसमें लीसा पैक हो।

(4) यदि धारा 6 के अधीन सलाहकार समिति गठित कर दी गई हो तो राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कीमत निर्धारित करने के पूर्व, जहां व्यवहार्य हो, उससे परामर्श करेगी।

8—(1) राज्य सरकार लीसा डिपो पर कार्य के सामान्य समय में उसे या उसके लिए विक्रयार्थ प्रस्तुत किए गए समस्त लीसा को धारा 7 के अधीन निर्धारित कीमत पर क्रय करने के लिए बाध्य होगी :

राज्य सरकार विक्रय के लिए प्रस्तुत समस्त लीसा क्रय करेगी

परन्तु प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे लीसा को क्रय न करने से इन्कार करने का अधिकार होगा, जो उसकी राय में लीसा उत्पाद का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ अनुपयुक्त हो।

(2) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के लीसा क्रय करने से इन्कार करने से व्यथित कोई व्यक्ति, इस प्रकार इन्कार किए जाने के पंद्रह दिन के भीतर, और विहित रीति से, प्रभागीय वन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी को (जिसे आगे सक्षम अधिकारी कहा गया है) परिवाद कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन परिवाद प्राप्त होने पर, सक्षम अधिकारी संक्षिप्त जांच करेगा और परिवाद की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसा आदेश देगा जो वह उचित समझे, और उस दशा में, जब उसे क्रय करने से इन्कार करना अनुचित प्रतीत हो तो वह प्राधिकृत अधिकारी को उसे क्रय करने का निदेश दे सकता है।

(4) यदि सक्षम प्राधिकारी को लीसा को इन्कार करना उचित प्रतीत हो किन्तु उसकी राय में लीसा कम कीमत पर क्रय किया जा सकता है तो वह प्राधिकृत अधिकारी को उसे उस कीमत पर, जिसे वह उचित समझे, क्रय करने का निदेश दे सकता है।

(5) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि विक्रय के लिए प्रस्तुत किए गए लीसा का छेवन किसी ऐसी भूमि पर स्थित वृक्षों से किया गया जो राज्य सरकार में निहित थी या उसके स्वामित्व में थी या जो आरक्षित वन या संरक्षित वन या पंचायती वन के रूप में गठित थी, तो कीमत का भुगतान किए बिना, और केवल ऐसे संग्रह-प्रभार का, यदि कोई हो, भुगतान करके जिसे राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी अवधारित करें, ऐसे लीसा का विनियोग किया जा सकता है।

(6) उपधारा (5) के अधीन की गई किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में उपधारा (2) से (4) के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(7) इस धारा के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

9—(1) यदि राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी इकाई में किसी चीड़ या कैल के वृक्ष का छेवन नहीं किया जा रहा है तो राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे वृक्ष के स्वामी से विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे वृक्ष से छेवन प्रारम्भ करने या कराने की अपेक्षा कर सकता है।

वृक्षों का छेवन जिनका छेवन न किया जा रहा हो

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किये जाने के पश्चात् वृक्ष का स्वामी ऐसी नोटिस का अनुपालन न करे तो राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी लीसा निकालने के लिए विहित रीति से वृक्ष का छेवन कराएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी वृक्ष से निकाला गया समस्त लीसा इस अध्याय और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार बेंच दिया जायगा, और उसकी कीमत उसमें से छेवन व्यय काटने के पश्चात् ऐसे वृक्षों के स्वामी को दे दी जायगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ, किसी चीड़ या कैल वृक्ष के सम्बन्ध में, पद "स्वामी" के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जिसके कब्जा, प्रबन्ध या नियन्त्रण में ऐसा वृक्ष हो।

लीसा छेवकों आदि का रजिस्ट्रीकरण

10—लीसा का प्रत्येक छेवक, लीसा उत्पाद का प्रत्येक निर्माता और लीसा या लीसा उत्पाद का प्रत्येक निर्यातकर्ता ऐसी फीस, ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, देने पर रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा।

लीसा का निस्तारण

11—राज्य सरकार द्वारा क्रय किए गए लीसा का विक्रय या अन्य प्रकार से निस्तारण ऐसी रीति के किया जायगा जैसी राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेशित हो।

शक्तियों का प्रतिनिधान

12—राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस अध्याय या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अपनी कोई शक्ति का कृत्य सहायक अरण्यपाल से अन्यून पद के किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकती है, जो ऐसी शर्तों या निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जिन्हें राज्य सरकार आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उनका प्रयोग या सम्पादन करेगा।

प्रवेश करने, तलाशी लेने, अधिग्रहण करने आदि की शक्ति

13—(1) कोई पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, या कोई वन अधिकारी, इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने या अपना यह समाधान करने के उद्देश्य से कि उक्त उपबन्धों का अनुपालन किया गया है :—

(i) लीसा या लीसा उत्पाद के परिवहन के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी व्यक्ति, जलयान, गाड़ी या पात्र को रोक सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है ;

(ii) किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है ;

(iii) लीसा या लीसा उत्पाद को जिसके सम्बन्ध में उसे यह सन्देह हो कि इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, ऐसे पात्र सहित जिसमें ऐसे लीसा रखा या पहुंचाना हो, अभिगृहीत कर सकता है।

(2) तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबन्ध जिस प्रकार लागू होते हैं उसी प्रकार से वे, यथाशक्य, इस धारा के अधीन तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में लागू होंगे। अधिनियम सं0 2, 1974

शास्ति

14—यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो उसके बारें में यह समझा जायगा कि उसने वन अपराध किया है और लीसा या लीसा उत्पाद को, यदि कोई हो, जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध किया जाता है, ऐसा अपराध किए जाने के सम्बन्ध में वन उपज समझा जायगा, और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अध्याय 9 के उपबन्ध (उसकी धारा 69 को छोड़कर) तदनुसार आवश्यक परिष्कार सहित लागू होंगे। अधिनियम संख्या 16, 1927

कम्पनियों द्वारा अपराध

15—(1) यदि इस अध्याय के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य-संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए अपराधी माना जाएगा और तदनुसार कार्यवाही किए जाने और दन्ड दिए जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किए जाने का निवारण करने लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जबकि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया या उपेक्षा जनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाहीं किए जाने और दण्ड दिए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है ; और

(ख) 'निदेशक" का, किसी फर्म के सम्बन्ध में तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अपराधों का संज्ञान

16—किसी वन अधिकारी द्वारा जो रेंज अधिकारी के पद से नीचे का न हो या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार सामान्य या बिशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त करे, उन तथ्यों के सम्बन्ध में जिनसे कि अपराध बनता हो, दी गयी लिखित रिपोर्ट के सिवाय, कोई भी न्यायालय इस अध्याय के अधीन दन्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

अधिनियम के उपबन्धों का अधिभावी प्रभाव

17—किसी अन्य विधि या किसी संविदा या अन्य लिखत में किसी असंगत बात के होते हुए भी, इस अध्याय के उपबन्ध प्रभावी होगे।

सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के सम्बन्ध में अपवाद

18—(1) इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में किए गए या किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के आधार पर या ऐसी किसी बात से जो इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए अभिप्रेत हो, किसी हानि के लिए जो हुई हो या जिसके होने की सम्भावना हो या किसी क्षति के लिएजो हुई हो, या जिसके होने की सम्भावना हो, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

19—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशेषत: और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :—

(क) लीसा की कीमत सूची का प्रकाशन;

(ख) इस अध्याय के अधीन जांच करने की रीति ;

(ग) प्राधिकारी जिसके द्वारा, रीति जिसके अनुसार और शर्तें जिन पर धारा 5 के अधीन अनुज्ञा-पत्र जारी किया जा सकता है और ऐसे अनुज्ञा-पत्रों के लिए देय फीस ;

(घ) धारा 8 के अधीन जिस लीसा को क्रय करने से इन्कार किया गया हो उसका निस्तारण ;

(ङ) धारा 9 के अधीन वृक्षों से लीसा के छेवन की रीति ;

(च) धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की रीति, अवधि जिसके भीतर ऐसा रजिस्ट्रीकरण किया जायगा और उसके लिए देय फीस ;

(छ) किस्म का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए लीसा की विशिष्टियां ;

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या किया जाय।

(3) इस अध्याय के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात्; यथाशीघ्र, राज्य विधान मन्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब कि उसका सत्र हो रहा हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो उसके एक सत्र या दो या इससे अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मन्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर बनाया गया कोई नियम ऐसे भूतलक्षी दिनांक से बनाया जा सकता है जो ऐसे प्रारम्भ के पूर्व न हो।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

20—जहां नियत दिनांक से पहले किसी समय किसी व्यक्ति ने अपने द्वारा छेवे जाने की प्रत्याशा में किसी व्यापारी को लीसा के विक्रय के लिए कोई संविदा कर ली थी और उस संविदा के अधीन व्यापारी को दिए जाने के लिए प्रत्याशित लीसा की कीमत का कोई अग्रिम उस व्यापारी से प्राप्त कर लिया था तो इस बात के होते हुए भी, कि धारा 4 और 17 के उपबन्धों के कारण वह संविदा नियत दिन पर शून्य हो जायगी, उक्त व्यक्ति और व्यापारी ऐसे अग्रिम का ब्योरा देते हुए एक संयुक्त आवेदन-पत्र प्रभागीय वन अधिकारी या उनके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी को दे सकेंगे, और तदुपरान्त उक्त अधिकारी इस बात का यथाविधि समाधान हो जाने पर कि उक्त व्यक्ति ने आवेदन-पत्र स्वेच्छया दिया है, अधिकारी को यह निदेश दे सकते हैं कि उक्त व्यक्ति की ओर से उस व्यापारी को उक्त अग्रिम के बराबर धन (उक्त व्यक्ति के द्वारा उस व्यापारी को पहले ही भुगतान की गई धनराशि को कम करके) किसी ब्याज या प्रतिकर के बिना धारा 8 के अधीन विक्रय किये गये लीसा के लिए उक्त व्यक्ति को देय कीमत में से दिया जाय और ऐसे भुगतान की सीमा तक राज्य सरकार का

उक्त व्यक्ति के प्रति और उक्त व्यक्ति का व्यापारी के प्रति दायित्व उन्मुक्त हो जायगा और उक्त व्यक्ति का कोई दायित्व उस अग्रिम के सम्बन्ध में कोई व्याज या प्रतिकर देने के लिए नहीं होगा।

अध्याय

वन उपज पर आधारित वस्तुओं के निर्माण और तैयारी का विनियमन

अधिनियम सख्या 16, 1927 का संशोधन

21—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय वन अधिनियम 1927, के अध्याय 8 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायगा अर्थात् :—

"अध्याय 8—क

वन उपज पर आधारित वस्तुओं के निर्माण और तैयारी का विनियमन

वन उपज पर आधारित वस्तुओं के निर्माण आदि के विनियमन की शक्ति

51—क—राज्य सरकार—

(क) जो आरा मिल और इकाइयां (जिनमें कारखाने भी है) ;

(i) खैर वृक्ष से कत्था

(ii) रोजिन, तारपीन और लीसा के अन्य उत्पाद

(iii) इमारती लकड़ी के प्लाईबुड और दियासलाई

(iv) वन उपज पर आधारित ऐसी अन्य निर्मितयां जिन्हें राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें

के निर्माण या तैयारी में संलग्न है, उनकी स्थापना और अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा के द्वारा या अन्यथा (और उनके लिए फीस के भुगतान) विनियमन के लिए उपबन्ध,

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित निर्मितियों से सम्बन्धित कच्चे माल की आपूर्ति के अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा के द्वारा या अन्यथा विनियमन, उसके लिए फीस के भुगतान ऐसे किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र या अन्य दस्तावेज की शर्तों के यथाविधि पालन के लिए ऐसी धनराशि जमा करने, इस प्रकार जमा की गई धनराशि या उसके किसी भाग का ऐसी किसी शर्त के उल्लंघन के लिए समपहरण और ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र में विनिर्दिष्ट करें ऐसे समपहरण के न्याय निर्णयन के लिए उपबन्ध,

बनाने के लिये नियम बना सकती है।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10, 1976, उत्तर प्रदेश अध्यादेश सख्या 30, 1975

निरसन और अपवाद

22—(1) उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन और 1976 के उक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

आरक्षित, सिविल, पंचायती और सोयम बनों में लीसा का छेवन और विक्रय वन विभाग द्वारा किया जाता था, जब कि स्थानीय निकाय, छावनी क्षेत्रों तथा नाप भूमि के वनों में लीसा का छेवन और विक्रय उसके स्वामियों द्वारा स्वयं किया जाता था। लीसा की चोर बाजारी, उसकी मांग उसके उत्पादन से अधिक होने के कारण बढ़ गयी थी और वन विभाग के लीसा का विक्रय छेवकों द्वारा नाप भूमि के स्वामियों को गुप्त रूप से किया जा रहा था जिससे परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की बड़ी हानि होती थी। इस चोरी का पता लगाना अथवा उसे रोकना सम्भव नहीं था क्योंकि नाप और बेनाप भूमि के मध्य कोई सीमा रेखा नहीं है। विभिन्न उद्योगों में लीसा का उपभोग अत्यधिक बढ़ गया है और यह लोकहित में है कि इसका उत्पादन बढ़ाया जाय। इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, लीसा के क्रय, वितरण और परिवहन का राज्य के द्वारा, दूसरों का अपवर्जन करके, व्यापार चलाए जाने की व्यवस्था करना आवश्यक समझा गया था।

खैर वृक्षों की अवैध कटाई को प्रतिषिद्ध करने की दृष्टि से आरा मिलों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन की व्यवस्था करना भी आवश्यक समझा गया था।

चूंकि राज्य विधान मन्डल सत्र में नहीं था, इसलिए उपर्युक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए 4 अक्तूबर, 1975 को उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1975 राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

इस बीच 30 नवम्बर, 1975 को राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया गया था और चूंकि 5 जनवरी, 1976 को संसद का सत्र प्रारम्भ होने के कारण उक्त अध्यादेश 16 फरवरी, 1976 के पश्चात् प्रवृत्त न रह जाता, अतएव, उक्त अध्यादेश को निरसित करना और नए अध्यादेश द्वारा उसे प्रतिस्थापित करन आवश्यक समझा गय था और तदनुसार 16 फरवरी, 1976 को उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1976 प्रख्यापित किया गया था।

यह विधेयक 1976 के उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

अजीत प्रताप सिंह,
वन मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०—एल 26 वि० सभा (44)—1976—8401